Par. S. 17. II. 28. 53
285

अंक २
संख्या २८

शुक्रवार
८ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४१७१—४११८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४२१८—४२४६]

(मूल्य ४ आने)

245

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ८ मई १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भाखड़ा नंगल परियोजना में विदेशी विशेषज्ञ

*१९४३. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भाखड़ा नंगल परियोजना के निर्माण तथा संयंत्र बनावट के संचालक श्री एम० एच० स्लोकम ने हाल में इस परियोजना के लिये कुछ और विशेषज्ञों को विदेशों से मंगाने के लिये कहा है; और

(ख) इस परियोजना में पहिले ही कितने विदेशी विशेषज्ञ काम करते हैं और इस काम से उन का प्रति वर्ष कितना वेतनादि का व्यय लिया जाता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) (१) ४४ ।

(२) ४०,८८,००० रुपये ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं उन भारतीय इंजीनियरों की संख्या जान सकता हूं जो कि श्री स्लोकम की इस परियोजना के निर्माण में सहायता कर रहे हैं ?

श्री हाथी : इन की संख्या लगभग एक सौ या इस से भी अधिक है । मेरे विचार में इन की कुल संख्या ११६ या लगभग इतनी ही है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या श्री स्लोकम ने यह शिकायत नहीं की थी कि जिन भारतीय इंजीनियरों को वह चाहता था उसे वे नहीं दिये गये और जिन्हें उस ने स्वीकार नहीं किया था उन्हें उस के ऊपर लाद दिया गया अतः वह इस यात्रा में एकाकी चल रहा है ?

श्री हाथी : जी नहीं, यह स्थिति नहीं है । कोई इंजीनियर श्री स्लोकम पर लादा नहीं गया । उस ने किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले कर उसे नहीं चुना । उस ने कहा था कि उसे एक विशेष प्रकार के इंजीनियर चाहियें जिन की कि अमुक् अमुक् अर्हतायें हों और वे व्यक्ति उसे दे दिये गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : इन विशेषज्ञों को कितनी देर तक रखा जायेगा इस सम्बन्ध में नवीनतम अनुमान क्या है ?

श्री हाथी : सम्भव है चार वर्ष तक या इस से कुछ अधिक ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य है कि नंगल में अमेरिकन इंजीनियरों के लिये विभिन्न नमूनों के क्वार्टर बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : विभिन्न नमूनों के क्वार्टर नहीं बनाये जा रहे हैं । उन के स्थान में कुछ अन्तर हो सकता है, किन्तु नमूनों में नहीं ।

श्री जसानी : दया में श्री स्लोकम तथा इस परियोजना में काम करने वाले अन्य विशेषज्ञों का वार्षिक वेतन जान सकता हूं ।?

श्री हाथी : उन की संख्या ४४ है। यदि वे चाहें, तो मैं सदन पटल पर एक विवरण रख सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कई बार पूछा जा चुका है ।

श्री जसानी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस वेतन पर कर लिया जाता है ?

श्री रघुवीर सहाय : इस काम के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

श्री हाथी : पहिला प्रक्रम १९५५-५६ तक पूरा हो जायेगा ।

श्री अच्युतन : इस परियोजना में विदेशियों के सम्बन्ध में नवीनतम प्रवृत्ति क्या है ? क्या यह उन्हें बढ़ाने की ओर है या घटाने की ओर ?

श्री एन० एम० लिंगम् : श्रीमान् , मैं जान सकता हूं कि ये विशेषज्ञ किस किस राष्ट्र के हैं ?

श्री हाथी : ये अधिकांशतया अमेरिकन हैं ।

तिब्बत के साथ व्यापार

*१९४४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तिब्बत और भारत के मध्य पुनः साधारण रूप से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं;

(ख) १९५२-५३ में लगभग कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का तिब्बत से भारत में आयात किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि में लगभग कितने मूल्य की वस्तुओं का भारत से तिब्बत को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तिब्बत और भारत के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों में हाल में कोई असाधारण बात नहीं हुई ।

(ख) ७१ लाख रुपये ।

(ग) २२७ लाख रुपये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या तिब्बत और भारत के प्रतिनिधियों के मध्य दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में कोई समझौता हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं समझा कि इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है । यदि उन का यह तात्पर्य है कि क्या यह व्यापार सरकारी स्तर पर होता है, तो इस का उत्तर नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या तिब्बत को सूती वस्त्रों के निर्यात के लिये अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं ? यदि हां, तो १९५३ में कितना कपड़ा भेजा जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहिले इस की मात्रा पर सीमाबन्धन था । हम ने प्रति वर्ष के लिये ६०० टन की मात्रा निश्चित की हुई थी । परन्तु बाद में वितरण पर से नियंत्रण हट जाने से वह बदल गई और अब सिक्किम के राजनैतिक पदाधिकारी को जिन व्यक्तियों को वह उचित समझे उन्हें लगभग १,००० टन तक की कुल मात्रा की अनुज्ञप्तियां देने का अधिकार है ।

डा० राम सुभग सिंह : ऐसे कौनसे पदार्थ हैं जिन का कि तिब्बत को निर्यात तथा वहां से आयात नहीं करने दिया जाता ?

श्री टी० टी० कृस्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को व्यापार की वस्तुएं बतला सकता हूं । मैं यह नहीं बतला सकता कि किन किन वस्तुओं के लाने या ले जाने की आज्ञा नहीं है ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात तथा आयात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्यात की वस्तुओं में अधिकांशतया सूती वस्त्र, रंग, गुड़, लोहा, नमक, चीनी, खाद्य पदार्थ, तम्बाकू की वस्तुएं, खालें, और चमड़ा, धातुएं और कुछ बहुत छोटी छोटी 'विविध' वस्तुएं होती हैं जो कि बतलाई नहीं जा सकतीं। आयात की वस्तुएं, ऊन, ऊनी धागे, ऊनी कपड़ा, पशुओं के बाल, गलीचे, खालें, फर (झब्बेदार खालें) और पालतू पशु हैं।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत और चीन के मध्य वस्तुओं के लिये अनुज्ञप्तियां हमारे सिक्किम स्थित राजनैतिक पदाधिकारी द्वारा दी जाती हैं और क्या उसे चीन की सरकार मानती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कोई भारत और चीन का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल तिब्बत से है। चीन की सरकार द्वारा राजनैतिक अभिकर्त्ता को मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि वह अनुज्ञप्ति देने की सिफारिश कर देता है, तो अनुज्ञप्ति दे दी जाती है। यह तो केवल एक प्रक्रिया की चीज़ है।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पश्चिमी तिब्बत में हमारे व्यापारियों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते हैं, यदि उन को ज्ञात है, तो इस संबंध में कोई लिखा-पढ़ी की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जो कर देने पड़ते हैं उन के बारे में हमारे पास कोई रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं आया है।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ये वस्तुएं अनुपलब्धता के कारण मंगवाई जाती हैं अथवा उनकी उत्तमता के कारण ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र यह नहीं समझते कि व्यापार तो एक प्रवाह है जो कि मांग और सम्भरण के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। यदि लोगों को वस्तुओं की आवश्यकता हो तो वे आती हैं, हम तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि या उन पर प्रतिबन्ध लगा दें या उन के आयात को विनियमित कर दें अथवा उन्हें स्वच्छन्दतापूर्वक आने दें। इस मामले में वस्तुएं थोड़ा बहुत स्वच्छन्दता से दोनों ओर लाने ले जाने दी जाती हैं।

श्री लंका में नियोजित अभारतीय

*१९४५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि क्या श्रीलंका में वहां सैर करने के लिये आने वाले विदेशियों को उस द्वीप में नौकरी या व्यापार करने से रोकने के लिये वहां के आप्रवासन नियमों में संशोधन कर दिया गया है या किया जाने वाला है ;

(ख) वहां इस समय कितने भारतीय नौकरी या व्यापार में लगे हुए हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार से भविष्य में भारतीयों के नियोजन तथा भारतीयों द्वारा वहां कौन-सा व्यापार किया जायेगा इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या फल हुआ है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) जी नहीं। किन्तु द्रष्टांक ले कर श्रीलंका जाने वाले व्यक्ति को अपने प्रार्थनापत्र में अन्य चीजों के साथ इस बात की भी घोषणा करनी पड़ती है कि वह श्रीलंका पहुंच कर कोई नौकरी नहीं करेगा।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या श्रीलंका की सरकार के साथ इस आशंका से कि सम्भवत: ऐसा कोई संशोधन कर दिया जाये नये सिरे से कोई पत्र-व्यवहार हो रहा है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : इस प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नहीं हो रहा है, किन्तु स्वाभाविकतया हम श्रीलंका की सरकार के साथ अपने उच्चायुक्त के द्वारा सम्पर्क बनाये रखते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मैं जान सकता हूं कि क्या हाल के समाचार पत्रों के इन वक्तव्यों में कोई सचाई है कि श्रीलंका में भारतीयों के साथ होने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के मध्य कोई उचित समझौता हो सकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन वक्तव्यों में केवल इतनी ही सचाई है कि हमारे उच्चायुक्त तथा श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी । हमें सदा यही आशा है कि उचित समझौता हो जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जान सकता हूं कि क्या श्रीलंका की सरकार ने कोई ऐसा संकेत किया है जिस के फलस्वरूप यह संभावना हो गई हो कि श्रीलंका में अधिवासित भारतीयों का बहुत देर का प्रश्न सुलझ जायेगा ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जैसा कि मैंने अभी कहा है .....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही तो कहा है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में प्रव्रजन करने वाले श्रीलंका के निवासियों पर भी इसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जहां तक मुझे ज्ञात है इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । जहां तक मैं जानता हूं कोई श्रीलंका वासी इस प्रयोजन के लिये भारत नहीं आता । सम्भव है कोई इक्का-दुक्का बूढ़ा व्यक्ति आ जाये ।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन सब तथा इसी प्रकार के प्रश्नों पर दोनों प्रधान मंत्रियों की आगामी लन्दन की बैठक में चर्चा की जायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी हां, इसी प्रकार के प्रश्नों पर तो हो सकती है, किन्तु इन सब प्रश्नों पर नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी द्वारा जिन प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है क्या उन के अतिरिक्त और कोई भी प्रतिवन्ध पहिले थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस प्रकार के प्रतिबन्ध ?

उपाध्यक्ष महोदय: किस प्रकार के प्रतिबन्ध ? यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, प्रार्थना-पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । मैं यह जान सकता हूं कि क्या पहिले कोई और प्रतिबन्ध भी थे जिन के सम्बन्ध में कि मंत्रालय से शिकायतें की गई थीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वर्तमान प्रतिबन्धों से विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन का आभास नहीं होता । जब कोई भारतीय नागरिक श्रीलंका जाने के लिये द्रष्टांक के लिये प्रार्थना पत्र देता है तो द्रष्टांक देने से पूर्व वे उसे यह आश्वासन देने के लिये कहते

हैं कि वह वहां इस प्रकार का कोई धन्धा नहीं करेगा क्योंकि वहां नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं है। यह कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है; यह तो द्रष्टांक प्रणाली के अन्तर्गत एक प्रतिवन्ध है। श्रीलंका में भारतीय उद्भव के तथा भारत से जाने वाले लोगों में भेद करना चाहिये। जैसा कि मैं बतला चुका हूं, यह द्रष्टांक ले कर जाने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है।

दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय

*१९४८. **श्री एस० एन० दास:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य ह कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हाल में भारतीय उद्भव के अधिकाधिक अफ़्रीकन नागरिकों को उन की जन्म भूमि से निकालने के चतुर ढंगों को अपनाना आरम्भ किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो अब तक भारतीय उद्भव के कितने ऐसे व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि श्री बूधिया माना नाम के एक भारतीय उद्भव के दक्षिण अफ़्रीकी नागरिक को जिस ने १६ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संघ में प्रवेश किया, उस के पिता की मृत्यु के पश्चात और अस्थायी परमिट की समाप्ति पर गृह मंत्री ने संघ छोड़ देने की आज्ञा दी।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख)। जहां तक भारतीय सरकार को विदित है अभी तक दक्षिण अफ़्रीका में उत्पन्न हुआ भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति उस की इच्छा के विरुद्ध देश से नहीं निकाला गया।

तो भी दक्षिण अफ़्रीका में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के बच्चों और पत्नियों को जिन्हें साधारणतः प्रवेश करने देना चाहिये, उन का दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश साधारण प्रावैधिक त्रुटियों पर बन्ध किया जा रहा है, और दक्षिण अफ़्रीका की सरकार ने अब विधान द्वारा उन का प्रवेश पूर्णतया बन्द करने का निर्णय किया है।

(ग) जी हां।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सम्बन्धित देशों में समझौता सम्बन्धी वार्तालाप के लिये काम करने वाले ३ व्यक्तियों के सद्-इच्छा आयोग ने कितनी यदि कोई हो, प्रगति की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई प्रगति नहीं की गई।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्यों कोई प्रगति नहीं हुई जबकि यह आयोग बहुत पहले बनाया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रथमतया इस का कारण इस कार्य में दक्षिण अफ़्रीका की संघ सरकार की अनिच्छा है; कुछ देरी संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोग के बनाने में हुई।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या दक्षिण अफ़्रीका में निर्वाचनों के पश्चात् से उस सरकार ने उस देश से भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को निकालने के लिए ढंगों को सख्त कर दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय निकालने के ढंगों को सख्त करने से है तो मैं समझता हूं कि वहां निकालने के कोई ढंग नहीं हैं। वस्तुतः उत्तर यह है कि वहां से कोई व्यक्ति नहीं निकाला गया।

श्री बोगावत : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुलझाने की संभावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विषय राष्ट्र संघ के समक्ष है।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे नागरिकों की लगभग १०० पत्नियां जो जहाज़ द्वारा वहां पहुंच रही थीं उन्हें अपने पतियों से मिलने नहीं दिया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मैं जानता हूं उन पत्नियों को वहां उतरने दिया गया था और संभवत: वे अपने पतियों से जा मिली हैं। परन्तु मैं जानता हूं कि दक्षिण अफ़्रीका की सरकार ने इस प्रकार का वक्तव्य निकाला था कि भविष्य में वह जैसा निर्णय करे वैसी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या अफ्रीका की सरकार गांधी स्मट्स समझौते को तोड़ने का प्रयास कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : तब से बहुत कुछ हो चुका है ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान् मैं, जान सकता हूं कि क्या दक्षिण अफ़्रीका में भारतीयों के अधिवास और नागरिकता के सम्बन्ध में अत्याधिक उलझन का ध्यान रखते हुए, सरकार उन के अधिवास के अधिकारों आदि को स्थापित करने के लिये, विषय को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का विचार रखती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे लिये इस प्रश्न का तुरन्त उत्तर देना कठिन है क्योंकि सामान्यत: कोई विषय दलों के पशमर्श से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाता है। मुझे सन्देह है कि दूसरा दल इसे स्वीकार करेगा ।

बर्मा से भारतीय व्यापारियों का निकाला जाना

***१९४९. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक बर्मा से कितने भारतीय व्यापारी निकाले गये हैं ?

(ख) बर्मा से भारतीय व्यापारियों के निकालने के क्या कारण हैं ?

(ग) किन श्रणियों के व्यापारी निकाले जाते हैं और किन श्रणियों के रखे जाते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अब तक ११ भारतीयों को बर्मा छोड़ने के लिये कहा गया है ।

(ख) कोई कारण नहीं बताये गये । विदेशियों संबंधी अधिनियम (बर्मा) की धारा ३ के अधीन बर्मा का प्रधान प्राधिकृत है कि वह बिना कारण बताए किसी विदेशी को बर्मा छोड़ने के लिये कह सके ।

(ग) निकालने के लिये व्यापारियों की कोई विशेष श्रेणी नहीं रखी गई परन्तु सामान्यत: जिन्हें आवश्यक समझा जाता है उन्हें निकलने के लिये कहा जाता है और जिन्हें अनावश्यक नहीं समझा जाता उन्हें रहने दिया जाता है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि बर्मा में इन भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है और क्या इन भारतीयों को अपनी सम्पत्ति वापिस दिलवाने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरे विचार में अभी तक सम्पत्ति का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। उन में से बहुतों ने वहां के न्यायालयों में अपीलें की हैं और उन की अपीलें लम्बित हैं। ये व्यक्तिगत मामले हैं। मैं नहीं समझता कि उन का विचार भारतीयों और बर्मियों के आधार पर होना चाहिये ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या हम भारत में ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अवश्य । हम किसी विदेशी के विरुद्ध सदा कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्रीमती ए० काले : अब तक कितने उदाहरण हुए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं कि हम ने ऐसी कार्यवाही की है ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि इन व्यापारियों को उन की सम्पत्ति सहित निकाला जाता है अथवा सम्पत्ति रख ली जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : संभवत: उन के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में कार्यवाही की गई है। उन का सम्पत्ति का अधिकार है और वह उन का रहेगा ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या ये सब व्यापारी दक्षिण भारत में आए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास उन के नामों की सूची है और उन के नामों से यह जाना जा सकता है कि वे सारे भारत के प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या भारत सरकार ने इस तरह का कुछ पता लगाया है कि वह लोग कैसे आदमी थे और उन लोगों का वहां से निकाला जाना वाजिब था या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां । हमें यह इत्तला मिली है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस में हमें ऐतराज़ करना चाहिये । वहां मामला अपील में है । मैं ज्यादा नहीं कह सकता और मेरा इस में कुछ कहना ठीक नहीं है जिसका कुछ असर इधर या उधर हो । लेकिन यह कोई हिन्दुस्तानियों के खिलाफ़ बात नहीं है । यह तो कुछ लोगों के खिलाफ़ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की गई है जिस को वह पसन्द नहीं करते थे ।

सामुदायिक परियोजनाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के सुझाव

*१९५०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **व्यवस्था** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक संगठन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने भारत से जाने से पूर्व व्यवस्था आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए क्या महत्वपूर्ण बातें सुझाईं ?

(ख) क्या व्यवस्था आयोग में उन द्वारा किये गये सुझावों के फल स्वरूप क्या भारत सरकार ने समुदाय की अधिकतम अर्थ तथा जन शक्ति का संगठन करने के लिये पग उठाये हैं अथवा पग उठाने का विचार रखती है; तथा

(ग) क्या इस सुझाव पर कि विश्वविद्यालयों को परियोजनाओं के साथ संबंधित किया जाये, विचार किया गया है और इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये पग उठाये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) मिशन का सरकारी प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ । इस बीच में मिशन द्वारा व्यवस्था आयोग के साथ बैठक में किये गये सुझाव राज्य सरकारों को भेजे गये हैं।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : परियोजना स्तर पर शिल्पिक सेवा के संबंध में मैं जान सकता हूं कि क्या इस सुझाव के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : जी हां। १६ अप्रैल से १९ तक विभिन्न राज्यों के विकास आयुक्तों की बैठक थी। इस प्रश्न पर विचार किया गया और सहमति द्वारा यह निर्णय किया गया कि

इसे क्रियान्वित करने के लिये अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाये ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन के सुझाव भी परियोजना में शामिल किये गये थे ।

श्री हाथी : हमारे अपने अनुभव द्वारा भी गांव के विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये नीति का प्रश्न पहले ही था ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ शिक्षा संस्थाओं ने भी इन परियोजना क्षेत्रों में कुछ स्वयम् अभिरुचि दिखाई है ?

श्री हाथी : कुछ शिक्षा संस्थाओं ने परियोजना क्षेत्र के साथ सम्बंध जोड़ा है । गुजरात के कुछ छात्रों, लगभग १५०० ने एक शिविर रखा है और बिहार में भी महाविद्यालयों के छात्रों ने इस परियोजना क्षेत्र में भाग लिया है ।

श्री एस० एन० दास : ग्रामीण बचत और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव के सम्बंध में अभी तक क्या किया गया है ?

श्री हाथी : जहां तक उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का सम्बंध है काम सम्बंधी बकारी और रोज़गार और अतिरिक्त श्रमिक-गण का अनुमान लगाने के लिए परियोजना क्षेत्रों के आपरीक्षण की आवश्यकता है । पटुता सम्पन्न परिमाण में छोटे उद्योगों की किस्मों और अन्य सेवाओं का शिल्पिक अनुसंधान हो रहा है ; उस में कुछ समय लगेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या विशेषज्ञों द्वारा किए गए सुझाव देश में परियोजना कार्यों के गहन अध्ययन के पश्चात् किए गए थे ?

श्री हाथी : वस्तुतः वह अब भी हो रहा है ।

नादिय पर पाकिस्तानी आक्रमण

*१९५२. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि २२ जनवरी, १९५३ को, हुगलबेरिया संघ में चेचानिया पर लगभग २५ पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया था ?

(ख) वे कितना लूट का माल ले गए ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि नादिया ज़िला में करीमपुर पुलिस थाने के अधीन कई सीमांत के गांवों में पाकिस्तानियों ने अपनी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है ?

(घ) भारत सरकार इन आक्रमणों को बन्द करने के लिए क्या पग उठा रही है ?

(ङ) पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के विभाजन से लेकर अर्थात १५ अगस्त, १९४७ से ३१ जनवरी १९५३ तक ऐसे कितने कितने आक्रमण किए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) । ऐसे व्यक्तियों ने जिन का संदेह है कि पाकिस्तानी हैं गांव चेचानिया से लगभग एक मील के अन्तर पर दीवानपुरा के एक घर में २२ जनवरी १९५३ को डाका डाला और ३००० रुपए की नकदी, गहने तथा पशु ले गए ।

(ग) तथा (ङ) : नादिया ज़िले के सीमांत के गांव में विभाजन पश्चात् पाकिस्तानियों ने १४२ आक्रमण किए । इन में से ४२ करीमपुर थाना पुलीस की सीमाओं में हुए । जनवरी १९५३ में नादिया ज़िला में ५ आक्रमण हुए जिन में से ३ पुलीस थाना करीमपुर में हुए ।

(घ) सीमांत के साथ साथ पुलिस का गश्ती दस्ता बढ़ा दिया गया है ।

सीमांत के गांवों में प्रतिरोधी दल संगठित किए गए हैं। विशेष घटनाओं के सम्बंध में मामला पूर्वी बंगाल प्राधिकारियों के पास रखा गया है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या जब माननीय प्रधान मंत्री पाकिस्तान के माननीय प्रधान मंत्री से मिलेंगे तो आक्रमणों के सम्बंध में कोई उच्च स्तर पर बात चीत होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सामान्यत: इन प्रश्नों की निम्न स्तर पर चर्चा होती है।

योजनाओं को प्राथमिकता

*१९५३. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न नई सिंचाई एंव विद्युत योजनाओं को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए कोई विशेष समिति बनाने का विचार रखती है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इसकी रचना और आर्थिक दायित्व क्या होगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख)। निकट भविष्य में ही ऐसी समिति बनाने का विचार है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक इस विशेष समिति की स्थापना होंगी ?

श्री हाथी : मैं ठीक समय तो बतला नहीं सकता। किन्तु कुछ महीने लग जायेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि यह नई समिति प्राथमिकता निर्धारित करते समय वर्तमान केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्यों का खंडन करेगी यदि नहीं तो इन दोनों में किस प्रकार सहयोग रहेगा।

श्री हाथी : इस समिति के कार्यों का उल्लेख योजना आयोग के विवरण में उल्लिखित है। यह समिति विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी रचना का परिगणित करेगी और तब वे प्राथमिकता का निर्धारण करेगी।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह नई समिति उन सभी प्रातों का प्रतिनिधित्व करेगी जो सिंचाई में रुचि रखते हैं।

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने कहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन है, किन्तु सम्बन्धित राज्यों के मुख्य इंजिनियर इस समिति में होंगे।

कच्ची खाल के उद्योग

*१९५४. **श्री गणपति राम:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५२ से जनवरी १९५३ तक भारतवर्ष में कच्ची खाल के उद्योग की स्थिति क्या रही ?

(ख) इस उद्योग की स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने क्या कोई उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख)। विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत हैं **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४१]**

श्री गणपति राम : क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि छोटे २ उद्योग धंधों को भी सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जाती है या कोई धन दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि जहां तक कि छोटे २ उद्योग धंधों का सम्बंध है वे तो अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग मंडल से सम्बन्धित है जिसने चमड़ा उद्योग को छोटे छोटे उद्योग में सम्मिलित कर लिया है और जिसे मंडल से सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रांतीय सरकारें इस उद्योग के विकास में रुचि ले रहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्राप्त सूचना के अनुसार मैं कह सकता हूं कि कुछ प्रांतीय सरकारें इसमें रुचि रखती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान् , कि हिमाचल प्रदेश के महासू ज़िले में कच्ची खाल बिना किसी प्रयोग के ज़मीन में गाड़ दी जाती है । यदि यह ठीक है तो इस क्षेप्य को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है अन्यथा इस प्रकार तो प्रति दिन के कार्य के लिए काफ़ी आयात हमें करना पड़ेगा?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आपकी जानकारी की अपेक्षा मेरी जानकारी इस सम्बन्ध में कुछ कम है । मैं आपकी इस सूचना को ग्राहय किये लेता हूं ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान् , कि खादी उद्योग को सहायता देने के लिये क्या २ प्रयोग किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय हम खादी की नहीं अपितु कच्ची खालों के बारे में बात चीत कर र हैं ।

आस्ट्रेलिया का प्रेस प्रतिनिधिमंडल

*१९५५. **श्री गणपत राम:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्ट्रेलिया का प्रेस प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आया था ?

(ख) उसका क्या उद्देश्य तथा इसके कौन कौन सदस्य थे ?

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रतिनिधि मंडल पर कोई खर्चा किया ?

(घ) क्या इस प्रकार के अन्य प्रतिनिधि मण्डल भी विदेशों से आमंत्रित गिये गये हैं ; यदि यह ठीक है तो कहां कहां से ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) इसका उद्देश्य भारत की वर्तमान स्थिति से आस्ट्रेलिया के उत्तरदायी प्रेस प्रतिनिधियों को अवगत कराना था तथा भारत और आस्ट्रेलिया के आपसी अबबोध को बढ़ाना था इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य निम्नलिखित थे :—

(१) श्री जे० गुडगे – 'सन' पत्र से – सिडनी ।

(२) श्री खेहैरियट – 'सिडनी मौर्निंग 'हैरल्ड' से – सिडनी ।

(३) श्री मौरिस सिम्पसन – 'वेस्ट आस्ट्रेलियन' से – पर्थ ।

(४) डा० पीटर रूसो – 'अरगुस' से मलबोर्न ।

(५) श्री डूगलस विल्की – 'सन न्यूज़ पिक्टोरियल'—मलबोर्न ।

(ग) इस प्रतिनिधि मंडल का सभी खर्चा भारत सरकार ने दिया था ।

(घ) जी । पिछले तीन वर्षों में बर्मा, तुर्की, तथा ईरान से प्रेस प्रतिनिधि मंडल निमंत्रित किये गये थे ।

अलीपुर गांव के लिये सड़क बनाना

*१९५६. **श्री गणपति राम:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि देहली राज्य के अलीपुर गांव के लिये सड़क बनाने का कार्य जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया था, सार्वजनिक सेवा विभाग द्वारा अनुमानित व्यय से एक तिहाई कम व्यय में समाप्त हो गया है ?

(ख) इस सड़क की लम्बाई कितनी थी, अनुमानित व्यय की अपेक्षा इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(ग) राज्य में सामुदायिक योजना के अन्तर्गत क्या इस प्रकार की और भी सड़कें बनाई गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सड़क की लम्बाई १९३३ फुट है । इस सड़क के निर्माण कार्य पर ७,६०० रुपया खर्च हुआ जब कि सार्वजनिक सेवा विभाग द्वारा इसका अनुमानित व्यय ११,००० रुपया था ।

(ग) जी, हां ।

श्री गणपति राम: क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह के और भी एक्सपेरीमट्स दूसरी स्टेट्स में किये गये हैं और वे एक्सपेरीमेंट्स कुछ सही निकले हैं ?

श्री हाथी : हां, जी, दूसरी स्टेट्स में भी एक्सपेरीमेंट्स किये गये हैं और सही निकले हैं ।

कोसी नियंत्रण योजना

*१९५७. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) २० फ़रवरी, १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या २२५ में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये क्या कोसी नियंत्रण योजना का वर्तमान कार्य, कोसी परामर्शदात्री समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर ही चल रहा है ?

(ख) यदि यह ठीक है, तो जैसा कि इस समिति ने सुझाव दिया था, पश्चिम की ओर मिट्टी के बांध का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(ग) वर्ष १९५३-५४ में कोसी नियंत्रण योजना पर खर्च करने के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, श्रीमान् ।

(ख) योजना की स्वीकृति मिल जाने के उपरान्त ही यह निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ।

(ग) इसके लिये कोई धन राशि स्वीकृत नहीं हुई है क्यों कि अभी तक योजना के लिये आगणन तैयार नहीं हुआ है ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि बल्का बांध का डिज़ाइन अन्तिम रूप से तैयार हो गया है और इसका आगणित व्यय क्या होगा ?

श्री हाथी: बल्का बांध का डिज़ाइन सम्भवत: मई १९५३ के अन्त तक तैयार हो सकेगा । डिज़ाइन के तैयार हो जाने के उपरान्त ही आगणित व्यय भी तैयार होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि बल्का बांध के डिज़ाइन के परीक्षण के लिये अमरीकी

विशेषज्ञ श्री सवेज को आमन्त्रित किया गया है ?

श्री हाथी : नहीं श्रीमान ! इस समय मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अमरीकी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कुछ ऐसा ज्ञात है कि इस बांध का वास्तविक कार्यक्रम अथवा नहर की खुदाई का काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री हाथी : बांध के आगणन तैयार हो जाने के उपरान्त ही यह कार्य प्रारम्भ होगा ।

बिहार को जूट मिलों के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

*१९५८. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २० फ़रवरी, १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या २२४ के दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये जो बिहार की जूट मिलों के प्रतिनिधि मंडल के सम्बन्ध में था, इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बिहार के जूट उत्पादकों तथा व्यापारियों ने, बिहार के प्रेस प्रतिनिधियों के साथ साथ इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा की जाने वाली जांच के ढंग का पूरा पूरा विरोध किया है, और अपने मामले की पुनः जांच करने की मांग की है ?

(ग) यदि यह ठीक है तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) । रेल मंत्रालय तथा बिहार सरकार के परामर्श के आधार पर इस प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया है । बिहार में जूट के उत्पादन तथा उसके परिवहन के सम्बन्ध में ही अधिकतर प्रश्न थे । रेलवे प्रशासन ने विशेष प्रबन्ध करके और विशेष गाड़ियां चलाकर वहां खाली वैगन भेजे ताकि फ़रवरी, १९५३ के अन्त तक बिहार की जूट का ५० प्रतिशत वहां से लाया जा सके, और ऐसी आशा की जाती है कि अगस्त के अन्त तक सभी स्टाक, जब कि जूट की नई फ़स्ल तैयार होगी, वहां से उठा लिया जायेगा ।

दूसरे प्रश्नों के सम्बन्ध में, उदारहणतः बिहार में जूट के उत्पादन में वृद्धि, जूट के पानी को सुखाने सम्बन्धी अच्छी सुविधायें, आदि आदि : जूट के अधिक एवं उत्तम उत्पादन के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति के प्रतिवेदन की सरकार प्रतीक्षा कर रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि पुर्निया तथा सहसरा ज़िले के उत्तरपूर्वी भागों की ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन आया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि उनके क्षेत्रों में उत्पादित जूट अच्छी तथा अधिक होती है और जैसा कि इस प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि यहां बुरी होती है यह ग़लत है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब कभी कोई आदमी यह कहता है कि इसकी क़िस्म बुरी है तो दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस बात के कहने के इच्छक रहते हैं कि नहीं इसकी क़िस्म तो अच्छी है । दोनों ही बातों की अच्छाई को लेते हुये इसे तै करना होता है । वास्तव में बात तो यह है कि बिहार में कुछ भाग ऐसे हैं जहां अच्छी क़िस्म की जूट पैदा नहीं होती । यह हो सकता है कि पुर्निया में उत्पादित जूट अच्छी हो, और

यह सभी जानते हैं कि पुर्निया की जूट की क़िस्म अच्छी होती है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार इस तथ्य की जांच करने के लिये —समस्त बिहार की जूट की क़िस्म तथा उत्पादन के बारे में अपने द्वारा भली प्रकार से जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने अपने उत्तर में बताया था कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने जूट उत्पादन के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की है । यह समिति जूट की क़िस्म सुधारने के सम्बन्ध में भी कार्य करेगी । इससे पहले कि हम इस दशा में कोई कार्यवाही करें हम यह चाहते हैं कि इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर लें ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या इस सन्देह का भी कोई कारण हो सकता है कि भारतीय जूट मिल संघ बिहार की जूट के विरुद्ध विभेद करता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रकार के सन्देह का तो मुझे कोई आधार दिखाई नहीं पड़ता । मैं तो यह नहीं सोचता कि बंगाल वाले भारतीय जूट मिल संघ के खास भाई हैं और बिहार वाले सम्बन्धी भी नहीं ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या जूट की क़िस्मों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने विशेषज्ञों से परामर्श मांगा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जूट को सम्भवत: माननीय सदस्य ने देखा नहीं है । यदि आपने देखा होता तो निश्चय ही आपका भी यह मत होता कि इसके लिये किसी विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता नहीं है । व्यापार में स्वयं ही पता चल जाता है कि इसकी क़िस्म कैसी है ।

बोकारों ताप-विद्युत् यंत्र के अमरीकी ठेकेदार की कलों की दूकान में हड़ताल

*१९५९. **श्री एन० पी० सिन्हा**: (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोकारो ताप-विद्युत यंत्र के अमरीकी ठेकेदार की कलों की दुकान के कर्मचारियों ने फ़रवरी, १९५३ में हड़ताल कर दी थी ?

(ख) यदि ऐसा है तो कितने दिन तक हड़ताल चलती रही और कब से ?

(ग) ठेकेदार कौन था ?

(घ) विवाद किस बात पर था और उसका समाधान हुआ था या नहीं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री वैलायुधन : क्या यह विदेशी ठेकेदार भारत सरकार ने बुलवाया था या वह अपनी ओर से ही यहां निजी व्यापार चला रहा है ।

श्री हाथी: यह तो एक फ़र्म है जो व्यापार करती है ।

भूमि वितरण

*१९६०. **श्री एन० पी० सिन्हा**: (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि-योग्य भूमि के स्वामित्व के लिये उच्चतम तथा निम्नतम सीमायें निश्चित करने के लिये, जो पंच वर्षीय योजना के सिद्धान्तों के अनुरूप हो, कोई विशिष्ट विधान सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि ऐसा है तो सीमायें निश्चित करने के लिये क्या कसौटी रखी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अनेक राज्यों ने इस विषय पर विधान निर्माण आरम्भ कर दिया है,

या उनका विचार ऐसा करने का है । ऐसा विचार नहीं है कि समस्त देश में एक ही एकविध विधान हो । परन्तु यह आशा की जाती है कि राज्यों के विधान योजना आयोग के प्रतिवेदन के सिद्धान्तों के सामन्यतः अनुरूप होंगे ।

(ख) सीमा के विषय में मैं माननीय सदस्य का ध्यान योजना आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय १२ की कंडिका १८(१) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि सीमा तो प्रत्येक राज्य को अपने कृषि सम्बन्धी इतिहास और वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रख कर निश्चित करनी पड़ेगी । उसी अध्याय की कंडिकाओं १४ तथा १६ में विविध सम्भव कसौटियां दी हुई हैं ।

श्री एन० पी० सिन्हा: योजना आयोग के प्रतिवेदन में लिखा है कि ऊपरी सीमा परिवार योग्य भूमि की तिगुनी होनी चाहिये, मैं जानना चाहता हूं कि परिवार योग्य भूमि का औसत परिमाण कितना होगा ।

श्री हाथी: विविध राज्यों को विविध बातों पर विचार करना होगा । जिनसे किसी विशेष क्षेत्र में परिवार योग्य भूमि या लाभप्रद भूमि-क्षेत्र का निश्चय होगा । वह सब तो भूमि की क़िस्म, फ़स्ल के उत्पादन और अन्य बातों पर निर्भर रहेगा । यह प्रत्येक राज्य को विनिश्चय करना होगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस मामले में कौन कौन से राज्य विधान-निर्माण करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हाथी: उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और मध्य भारत ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार ने योजना आयोग की सिफ़ारिश पर क्या कार्यवाही करना आरम्भ किया है ?

श्री हाथी: उत्तर प्रदेश ने तो भूदान यज्ञ अधिनियम नामक अधिनियम पारित कर ही दिया है । अन्य दो राज्यों, मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत में विधेयक विचाराधीन हैं ।

श्री ए० एन० टामस: योजना में यह सुझाव है कि एक व्यापक विधान बनाने से पूर्व १९५३ में एक भूमि-गणना की जाये । क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह सुझाव अब किस प्रक्रम पर है और क्या उस दिशा में कोई पग उठाये गये हैं ?

श्री हाथी: हां, भूमि-गणना १९५३ में की जानी है और आंकड़े संकलित करने के लिये व्यवस्था की जा रही है ।

श्री गणपति राम : क्या सरकार के पास इस तरह के कुछ मेमोरेंडम (स्मृति-पत्र) आये हैं या रिप्रेजेंटेशन्स (अभिवेदन) मिले हैं कि जितनी ऊसर और पड़ती ज़मीनें हैं, वे लैंडलेस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिकों) को दी जायं ?

श्री हाथी : ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये हैं, परन्तु योजना आयोग ने लिखा है कि ऐसी भूदान यज्ञ जैसी कोई चीज़ आरम्भ करना अभीष्ट होगा, क्योंकि उससे भूमिहीन श्रमिकों को भूमि मिलने में सहायता रहेगी और राज्य सरकारों को भी बड़े ज़मींदारों से भूमि लेने में सुविधा रहेगी ।

श्री पुन्नूस: क्या भारत सरकार की नीति प्रत्येक राज्य को यह मंत्रणा देने की है कि वह पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये कोई भूमि-सुधार अपनाये ?

श्री हाथी: योजना आयोग की एक सिफारिश यही तो है ।

श्री पुन्नूस: मैं जानना जाहता हूं कि क्या भारत सरकार की यह नीति है ।

उपाध्यक्ष महोदय: भारत सरकार की नीति योजना में दी हुई है।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या काश्मीर में कोई सीमा निश्चित कर दी गई है और क्या अन्य सरकारें उसका अनुसरण करने जा रही हैं ?

श्री हाथी: सीमा निश्चित करने का प्रश्न तो राज्यों पर निर्भर रहेगा।

श्री सुभाष चन्द्र बोस का परिवार

* १९६१. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि श्री सुभाष चन्द्र बोस की एक पत्नी 'फ्रौ शेंकल' तथा एक पुत्री अनीता बोस वियना में है !

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार का विचार परिवार के भरण पोषण के लिये राज्य की ओर से सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या सरकार ने श्री सुभाष चन्द्र बोस की पत्नी तथा पुत्री को भारत वापिस लाने की प्रस्थापना की थी ; और

(घ) यदि ऐसा है तो ऐसी प्रस्थापना का क्या परिणाम हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां। महिला का नाम फ्रौ शेंलक है।

(ख) से (घ)। सरकार को पता चला है कि उस महिला को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था परन्तु उसने वियना रहना ही पसन्द किया। उसे वित्तीय सहायता देने की प्रस्थापनायें भी की गई थीं। कुछ सहायता ग़ैर-सरकारी लोगों की ओर से कभी कभी दी भी गई थी, परन्तु वह महिला नियमित रूप में कोई वित्तीय सहायता लेने के लिये सहमत नहीं थी।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की पत्नी और पुत्री को राज्य की ओर से सहायता देने और उन्हें भारत को वापिस लाने के विषय में कलकत्ते में उनके परिवार से सम्पर्क किया था और यदि किया था तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: भारत सरकार की प्रतिक्रिया या परिवार की प्रतिक्रिया ? किसकी प्रतिक्रिया ?

श्री एल० जे० सिंह: परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने में कुछ कठिनाई अनुभव हो रही है क्यों कि उनमें कुछ नाज़ुकता है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमें इसका तीन चार वर्षों से पता है और हम सहायता के लिये, बुलाने के लिये और भरसक सब कुछ करने के लिये, तत्पर रहे हैं, परन्तु ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जो सम्भवतः दूसरी ओर से पसन्द न की जाये। और हमने यथा सम्भव शीघ्र परिवार के सदस्यों का ध्यान भी आकृष्ट कर दिया था और, जहां तक मुझे पता है, उन्होंने तब से इस मामले पर पृथकतः और सीधे कुछ कार्यवाही की है।

केन्द्रीय सेवा में इंजीनियर

*१९६२. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा में उन इंजीनियरों की संख्या जो दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक निवृत्ति की आयु सीमा तक पहुंचने वाले हैं ;

(ख) क्या इंजीनियरों की निवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना सरकार के समक्ष है; और

(ग) यदि ऐसा है तो क्या कोई विनिश्चय किया गया है, यदि किया गया है तो क्या ?

निर्माण-गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पांच ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ।

अरण्डी का तेल (निर्यात)

*१९६३. **कुमारी एनी मस्करीन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत से अरण्डी के तेल के निर्यात पर नियंत्रण ढीला करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अरण्डी के तेल के निर्यात पर १९५१ के आरम्भ में कोरिया युद्ध के कारण उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति के कारण नियंत्रण किया गया था । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के ठीक होने के कारण इस पर कठोर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं रही है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या लगभग दो वर्ष पूर्व अरण्डी के तेल की मांग थी ?

श्री करमरकर : इस पर नियंत्रण था ।

श्री पुन्नूस: क्या मैं यह समझूं कि घरेलू खपत के बढ़ जाने के कारण अरण्डी के तेल का निर्यात कम हो गया है ?

श्री करमरकर : हम ने अरण्डी के तेल पर नियंत्रण नहीं किया है ?

कुमारी एनी मस्करीन: अब नियंत्रण को ढीला करने के क्या कारण हैं ?

श्री करमरकर: : क्योंकि अब इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस का आन्तरिक सम्भरण पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि अरण्डी का तेल कितने प्रकर का होता है ?

श्री करमरकर : सरकार को अरण्डी के तेल की केवल एक क़िस्म का पता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उन्हें अपने स्थान में खड़ा होना चाहिये। अन्यथा मैं अगले प्रश्न को ले लूंगा ।

श्री रिशांग किशिंग : संख्या १९६४ ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में वन सुरक्षण

*१९६४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के प्रदेश में कोई सुरक्षित वन है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इस प्रकार की भूमि के स्वामियों को जो कि अब वन विभाग के अधीन है कोई प्रतिकर दिया जाता है, और

(ग) क्या सरकार को इन सुरक्षित वनों से जो लाभ या आय होती है उस में से उन वन क्षेत्रों के ग्रामीणों को भी किसी प्रकार का कोई हिस्सा दिया जाता है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव : **(श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) १३ वनों के सम्बन्ध में जिन्हें कि सुरक्षित रखने का विचार किया जा रहा है प्रारम्भिक अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं। मामलों के तय होने की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाने पर अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी जायेगी ?

(ख) तथा (ग) । तीरप सीमान्त भू-खण्ड में नामसंग और बोर्दुरिया के सरदारों के दो वनों का प्रशासन एक करार की शर्तों के अनुसार उत्तरपूर्वी सीमान्त अभिकरण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है । इस करार के अधीन इन की कुल आय सरकार तथा क्रमशः इन दोनों सरदारों में बांट ली जाती है । करार की शर्तों के अधीन सरदारों को अपने राजस्व का कुछ अंश आदिम जातियों के लोगों के कल्याण के लिये व्यय करना पड़ता है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि सुरक्षित वन क्षेत्र के आस-पास तथा अन्दर आदिमजातियों के कितने गांव हैं और मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इन लोगों को कृषि, घरों के स्थानों, गृह निर्माण की सामग्री एकत्रित करने तथा बेगार से बचने के लिये कोई विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री रिशांग किशिंग : सुरक्षित वन क्षेत्रों में तथा उन के आस-पास रहने वाले आदिम जातियों के लोगों की सेवायें साधारणतया किन शर्तों पर अवाप्त की जाती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । मूल प्रश्न तो उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में वन सुरक्षण के सम्बन्ध में है । क्या हम उन की सेवा, नौकरी इत्यादि की शर्तें भी पता लगायें ? नहीं, यदि माननीय सदस्य को और कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

श्री रिशांग किशिंग: सुरक्षित वन क्षेत्र में और उस के आस पास के गांवों में आदिम जातियों के लोगों की सेवाओं की आवश्यकता होती है और अंग्रेजों के शासन काल में उन से बेगार ली जाती थी . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कल्पना क्यों कर लेते हैं कि यह बेगार है ?

श्री रिशांग किशिंग: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई प्रथा प्रचलित है ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम ने इस प्रथा को समाप्त करने का ह प्रयत्न किया है । मैं बिल्कुल यह नहीं कह सकता कि इन वन क्षेत्रों के किसी भी कोने में कभी भी ऐसा नहीं होता । किन्तु सरकार की नीति इसे सब प्रकार से निरुत्साहित करना है ।

आयात की वस्तुओं के लिये प्राथमिकता

*१९६६. **श्री एस० एन० दास**: (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ के लिये विदेशों से आयात के लिये वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों की प्राथमिकता का क्या क्रम निश्चित किया गया है ?

(ख) १९५२ में प्राथमिकता का क्रम क्या रखा गया था ?

(ग) क्या निर्धारित प्राथमिकता का क्रम सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं तथा निजी लेखे में किये गये आयातों पर समान रूप से लागू होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आयात नीति निर्धारित करने म सामान्यतया निम्नलिखित प्राथमिकता का क्रम रखा जाता है :—

(१) (१) अत्यावश्यक उद्योगों के लिये कच्चे पदार्थ ।

(२) अत्यावश्यक उद्योगों में पुराने पुर्जों के स्थान में नये पुर्जे बदलने

तथा उन के संधारण के लिये कल-पुर्जे तथा यंत्रों के भाग और पूंजीगत वस्तुयें ।

(३) राष्ट्र के जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये अत्यावश्यक भोग्य पदार्थ ।

(२) अन्य कच्चे पदार्थ तथा अन्य पूंजीगत वस्तुयें ।

(३) अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें ।

(४) जिन की विशेष आवश्यकत न हो ऐसी वस्तुयें तथा विलास की वस्तुयें ।

(ख) १९५२ में भी इसी नीति का अनुसरण किया गया था ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित प्राथमिकता केवल वाणिज्य सम्बन्धी आयातों पर लागू होती है जिस के लिये कि हर छै मास पश्चात् नीति निर्धारित की जाती है । सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राथमिकता का निश्चय मांग की शीघ्रता के अनुसार किया जाता है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस वर्ष विलास की वस्तुओं के आयात में कुछ कमी कर दी गई है ?

श्री करमरकर: कोई ढ़ील नहीं की गई है स्पष्ट कि मेरे माननीय मित्र इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि कुछ वस्तुओं को अधिक आयात शुल्क की अनुसूची में रख दिया गया है । इस का अर्थ कोई ढ़ील देना नहीं है ।

श्री दाभी: मैं जान सकता हूं कि क्या वस्तुओं की कोई ऐसी श्रेणियां भी हैं जिन का आयात निषिद्ध है ?

श्री करमरकर: कुछ वस्तुओं का आयात निषिद्ध ह । मझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री राघव रेड्डि: विभिन्न श्रेणियों की कितनी वस्तुओं का आयात किया गया था ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

रेडियो पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

***१९६७. प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या प्रधान मंत्री** यह बतालाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेडियो पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान सरकार द्वारा नियंत्रित या सहायता प्राप्त अन्य किसी रेडियो स्टेशन द्वारा कोई भारत विरोधी प्रचार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस का प्रतिवाद करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां, समय समय पर :

(ख) जब कभी भारत-विरोधी प्रचार का कोई गम्भीर उदाहरण हमारे ध्यान में आता है, तो हम पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट करते हैं और उस समय या तो भारत सरकार द्वारा अथवा सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा उस का आवश्यक खण्डन भी कर दिया जाता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान में हाल की राजनैतिक घटनाओं के बाद से इस प्रचार में कोई अच्छा सुधार हुआ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं ने स्वयं इस बात का अच्छी प्रकार अध्ययन नहीं किया है । किन्तु, मैं समझता हूं कि इस में कुछ अच्छा सुधार हुआ है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर

माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं कि उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के स्वास्थ्य मंत्री श्री किरानी अब भी जहाद और इसी प्रकार की बातें कर रहे है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, श्रीमान् । बहुत से लोग हैं जो कि अब भी इसी प्रकार की बातें करते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या हम खण्डन करते समय आकाशवाणी का भी प्रयोग करते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, कभी कभी, जब आवश्यक समझा जाता है ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या एक ओर तो पाकिस्तान सरकार विश्व को यह दिखाने का प्रयत्न कर रही है कि वह भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रही है, और दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आजाद काश्मीर रेडियो प्रधान मंत्री जी पर गालियों की बौछार करता रहता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि मैं पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आजाद काश्मीर रेडियो को नहीं सुनता । ऐसा सम्भव हो सकता है । वह रेडियो अपने कथनों में गाली आदि देने तथा अविश्वसनीयता के लिये बदनाम हो चुका है ।

शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त

***१९६८. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) **क्या प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ के कुछ कार्यों को सम्भालने के लिये शरणार्थियों के लिये एक उच्चायुक्त नियुक्त किया है ?

(ख) यदि हां, तो उस का कार्यालय कहां बनाया जायगा ?

(ग) क्या सरकार ने इस नियुक्ति पर अपना कोई विचार प्रकट किया है ?

(घ) इस में किन किन देशों ने भाग लेना स्वीकार कर लिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्रीय महा सभा ने अपने सन् १९५० में हुए पांचवें अधिवेशन में १ जनवरी १९५१ से ३ वर्ष की कार्यावधि के लिये शरणार्थियों के लिये एक उच्चायुक्त चुना था । अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ को समाप्त कर दिया गया है और इस का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों के उच्चायुक्त ने उस तिथि से सम्भाल लिया है ।

(ख) जेनेवा में ।

(ग) जी हां, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने शरणार्थियों की समस्या तथा उन के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए वह और किन्हीं शरणार्थियों तथा राज्यविहीन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकती ।

(घ) शरणार्थियों का उच्चायुक्त उन देशों तथा प्रदेशों में जहां जहां कि शरणार्थी हैं अपने प्रतिनिधियों द्वारा काम करता है । प्रतिनिधि सम्बद्ध सरकारों की स्वीकृति से आस्ट्रिया में, बेनेलक्स देशों के लिये बेल्जियम में, लेटिन अमेरीका के लिये कोलम्बिया में, जर्मनी के संघीय गणाराज्य में, ग्रीस तथा निकट पूर्व के लिये एथेन्स में, इटली में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमरीका तथा हांग कांग में नियुक्त किये गये हैं । फ्रांस सरकार ने भी एक प्रतिनिधि रखने की इच्छा प्रकट की है : उच्चायुक्त का एक प्रतिनिधि हाल में सुदूर पूर्व

में भी नियुक्त किया गया है जिस का कार्यालय बैंगकाक में है ।

ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरीका में रहने वाले प्रतिनिधियों का काम मुख्यतया सम्पर्क बनाये रखने का है ।

जापान पर युद्ध-पूर्व के दावे

*१९६९. **डा० राम सुभग सिंह: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भारत और जापान के बीच शान्ति-सन्धि के अनुच्छेद ८ (क) के अधीन, ८ दिसम्बर १९४१ से पूर्व जापान के साथ युद्ध आरम्भ होने से पहले भारतीय नागरिकों को हुई हानि अथवा क्षति अथवा निजी चोट या मृत्यु के कारण युद्ध-पूर्व के दावों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या सरकार ने उन भारतीय नागरिकों को सरकार के पास अपने दावे भेजने के लिये कहा है जिन की जापान में सम्पत्ति की हानि अथवा क्षति हुई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: साधारणतः सम्पत्तिधारी व्यक्ति बिना कहे अपने दावे भजने क बहुत इच्छक रहते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह: बहुत इच्छुक नहीं, परन्तु हां वे अपने दावे भेजने के इच्छक अवश्य हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ज्ञप्ति दी कि वे अपने दावे भेज ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: म यह ठीक से नहीं कह सकता । परन्तु मेरा विचार है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अवश्य कुछ पग उठाये होंगे । मुझे ज्ञात नहीं कि हाल में कुछ किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल को नमक का निर्यात

*१९७१. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि कुछ समय पूर्व पश्चिमी बंगाल राज्य को सागर द्वारा बिना शुल्क नमक निर्यात करने की रियायत वापस ले ली गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह तथ्य है कि सरकारी कारखानों में उत्पादित नमक के लिये गैर सरकारी कारखानों में उत्पादित नमक की अपेक्षा अधिक उपकर देना पड़ता है;

(घ) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं; तथा

(ङ) इस अधिक दर का अन्त में उस मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जो उपभोक्ता को देना पड़ता है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) सागर द्वारा कलकत्ता को नमक के निर्यात पर उपकर की नियुक्ति की रियायत १ फरवरी १९५२ से वापस ले ली गई है ।

(ख) कारण यह था कि कलकत्ता मंडी में नमक का मूल्य जो पहले बहुत अधिक था देश की अन्य मंडियों के मुल्यों से तुलना में बहुत गिर गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकारी कारखानों के नमक पर अधिक उपकर नमक आयोग के मुख्यालय के कार्यालय के प्रशासकीय व्यय तथा संधि की शर्तों के अधीन पूर्व के भारतीय राज्यों को नमक उत्पादन का अधिकार देने के हेतु प्रतिकर के रूप में दिये जाने वाले विभिन्न शोधनों की पूरी वसूली के लिये

लगाया जाता है। इस लिये यह उत्पादन मूल्य का भाग है।

(ङ) फुटकर मूल्य पर इस का प्रभाव साधारण है। यह ४५ पाई प्रति सेर बनता है और इस के जोड़पर भी सरकारी नमक के देने का मूल्य गैर सरकारी कारखानों के विक्रय मूल्य से कम है।

श्री झूलन सिन्हा : सब केन्द्रों को एक रुप में नमक देने और विशेषत : अधिक दरिद्र लोगों के विभागों में देने के महत्व का ध्यान रखते हुए क्या सरकार के पास नमक के मूल्य और परिवहन के संम्बन्ध में एक रूप उपबन्ध बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि जहां तक सरकारी कारखाने में उत्पादित नमक पर अधिक उपकर का सम्बन्ध है, उस का सम्बन्ध केवल भारत के उत्तरी भाग के उपभोक्ताओं से है।

भारत तथा बर्मा के बीच नागों के आने जाने पर नियंत्रण

*१९७२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या बर्मा तथा भारत की सरकारों ने नागों के एक देश से दूसरे देश में जहां उन के सम्बन्धी हों, जाने पर, नियंत्रण करने के लिये सीमान्त के कुछ नियम और विनियम बनाये हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या ये नियम और विनियम सदन पटल पर रखे जायेंगे;

(ग) क्या दोनों सरकारों ने अपने हाल के सम्मेलनों में पारपत्र प्रणाली चलाने और सीमान्त नियमों और विनियमों को सख्त करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं, तथा

(ङ) क्या किसी ऐसे ढ़ंग का निर्णय करने से पूर्व दोनों देशों के नागों के विचारों और भावनाओं का विचार रखा गया था ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख). पर्वतीय आदिम जातियों के सदस्य (नागों सहित) भारतीय तथा बर्मी दोनों—जो भारत बर्मा सीमान्त प्रदेश के समीपस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और जो स्वभावत: भारत और बर्मा के बीच यात्रा करते हैं, और सीमान्त देश के २५ मील से आगे नहीं जाते वे पारपत्र नियमों के उपबन्धों से विमुक्त हैं।

(ग) से (ङ). सीमान्त की २५ मील की सीमा में पारपत्र प्रणाली चलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वो भी ज्ञात अनावश्यक अंशों अर्थात् अफीम चौर्यानयन करने वालों इत्यादि को रोकने के लिये तिरप सीमांत प्रदेश के राजनैतिक अधिकारी ने पास प्रणाली चलाई है। वास्तविक व्यापारियों और अन्य के मामले में जो अपने सामान को सीमान्त पार ले जाने के लिये जाते हैं, यह अभ्यावेदन किया गया है कि नियमों को शिथिल करना चाहिये। यह विषय विचाराधीन है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह तथ्य है कि बर्मा तथा भारत सरकार ने सीमान्त प्रदेश के आदिवासियों के आने जाने पर नियंत्रण और उक्त क्षेत्र में सीमाओं के निर्धारण की समस्याओं को सुलझाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया है, यदि ऐसा है तो यह कब नियुक्त किया गया और इस आयोग के कितने सदस्य हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : अभी तक कोई आयोग नियुक्त नहीं किया गया।

श्री रिशांग किशिंग : भारत-बर्मा सीमांत क्षेत्रों में आदिवासियों के गहरे पारि-

वारिक सम्बन्धों का ध्यान रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भारत-बर्मा सीमाओं में आदिवासियों के आने जाने पर नियंत्रण की उदार नीति को जारी रखेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अवश्य। जो कुछ मैं ने कुछ देर पहले कहा उसे दोहराना चाहता हूं कि भारत बर्मा का सीमांत विश्व के सीमांत प्रदेशों में से एक ऐसा है जहां दोनों ओर एक दूसरे के प्रति पूरी मैत्री है।

श्री रिशांग किशिंग: मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भारतीय आदिवासियों द्वारा भारत में लाई गई भारतीय मुद्रा जो उन्हों ने बर्मा में काम करने वाले अपने सम्बन्धियों के पारिश्रमिक रूप में प्राप्त की थी प्रायः छीन ली गई और उन्हें कभी वापस नहीं की गई और यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस की पूछताछ करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: : इस मुद्रा समस्या पर कुछ कठिनाइयां हुई थीं, वस्तुतः हम ने स्वयं बर्मा सरकार के साथ बातचीत में इस प्रश्न को उठाया था। ये कठिनाइयां जहां तक मुझे याद है, अधिकतया दूसरी ओर अर्थात् बर्मा की ओर थी। तो भी हम इस विषय पर भली प्रकार विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री जो० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत बर्मा सीमान्त प्रदेश का ठीक सीमा निर्धारण हो गया है और यदि नहीं तो क्या इसे शीघ्र करने की संभावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: कतिपय भागों को ठीक से निश्चित नहीं किया गया और न ही यह विषय अधिक आवश्यक है।

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार उन पहले छीनी गई मुद्राओं को उन लोगों को वापस करने के लिये आवश्यक पग उठायेंगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुद्राओं का छीना जाना मुझे विदित नहीं है। संभवतः वे जमा कर दी गई हैं। स्पष्टतया वे वापस की जानी हैं। कठिनाई उन्हें वापस करने में नहीं है वरन उन्हें सीमान्त के दोनो ओर प्रयोग करने में है। इस विषय में हमारी सरकार विशेष शिथिलता के लिये पूर्णतया सहमत थी और हम ने यह प्रस्ताव बर्मा सराकार से किया था। इस समय मुझे ज्ञात नहीं कि बर्मा सरकार ने अन्तिम क्या उत्तर दिया सिवाए इस के कि बर्मा सरकार भी कुछ सीमाओं तक सहमत थी।

नेपाल में भारतीय असैनिक अधिकारी

*१९७३. **श्री एल० जे० सिंह:** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेपाल सरकार ने कुछ भारतीय असैनिक अधिकारी उधार लिये थे ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे नेपाल में कितना समय रहे और उन्हों ने नेपाली प्रशासन में क्या अंशदान किया।

(ग) क्या उन की सेवाओं को उधार लेने में कुछ शर्तें और आधार थे ?

(घ) क्या नेपाली कांग्रेस ने भारतीय असैनिक अधिकारियों की सेवाओं का उधार समाप्त करने के लिये कोई सुझाव किया ?

(ङ) यदि ऐसा है तो क्या सरकार वहां भारतीय असैनिक अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त करना आवश्यक समझती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) अब तक नेपाल सरकार को पांच अधिकारियों की सेवायें उधार दी हैं।

(ख) उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिये नेपाल में सेवा की है और उन्हों ने प्रशासन

तथा आर्थिक पुनर्संगठन के क्षेत्रों में मूल्य वान कार्य किया है ।

(ग) जी हां । व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों के पदनिर्देश और शर्तें विभिन्न हैं ।

(घ) सरकार ने इस प्रकार की प्रैस सूचनायें देखी हैं कि नेपाली कांग्रेस के एक भाग ने इस प्रकार का कुछ कहा है ।

(ङ) जी नहीं । इस विषय का नेपाल सरकार को निर्णय करना है ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वे पद और शर्तें क्या हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या माननीय सदस्य वेतन इत्यादि की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री एल० जे० सिंह : मैं नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के बीच हुए समझौते के पद और शर्तें जानना चाहता हूं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि किस समझौते के बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं । यदि वह पदाधिकारियों के वेतन इत्यादि की ओर निर्देश कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उन को अपने सामान्य वेतन मिल रहे हैं जो उन को यहां मिला करते थे । किसी प्रकार का भत्ता भी हो सकता है । इस तथ्य को छोड़ कर, कि वेतन उस पक्ष द्वारा दिये जाते हैं अथवा कुछ भाग यहां से और कुछ वहां से, कोई पद और शर्तें नहीं रखी गई हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह तथ्य है कि नेपाली जनमत का एक भाग भारत द्वारा ऋण व्यवस्थाओं के इस विस्तार को नेपाल के आन्तरिक प्रशासन में स्पष्ट हस्तक्षेप समझता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, एक भाग ; इस से कहीं अधिक बड़ा भाग विपरीत मत रखता है ।

पेरियार और वाइगाइ योजनायें

*१९७४. **श्री के० एस० गौंडर :** (क) **क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना में पेरियार जल-विद्युत योजना तथा वाइगाइ (निचला पेरियार) जलाशय सिंचाई योजना के मद्रास राज्य में समावेश पर विचार किया था ?

(ख) यदि किया था, तो क्या परिणाम निकले ?

(ग) आजकल इन दो योजनाओं की स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पेरियार जल-विद्युत योजना संबंधी अनुसंधान अभी चल रहे हैं । जहां तक वाइगाइ सिंचाई योजना का संबंध है, उस की पूर्ववर्तिता, प्रविधिक, आर्थिक तथा वित्तीय पहलुओं की परीक्षा के उपरान्त, अभी निश्चित की जानी है ।

श्री कक्कन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने इस योजना को पंचवर्षीय योजना की अनुपूरक योजना में लिये जाने की सिफारिश की है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं, उस को लेने का प्रश्न, अनुसन्धानों के पूर्ण होने के बाद और प्रविधिक, आर्थिक तथा वित्तीय पहलुओं के पर्यवेक्षित हो जाने पर ही, निश्चित हो सकता है । उसके पूर्व, कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री नटेशन : मैं नहीं समझपाता कि क्यों माननीय मंत्री इस प्रश्न, कि क्या योजना आयोग ने पेरियार जल-विद्युत योजना के पंचवर्षीय योजना में समावेश पर विचार किया था, के लिये "नहीं" कहते हैं जब कि

सारी चीज़ केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा 'सही' कर दी गई है ।

श्री हाथी: उस की विद्युत-आयोग द्वारा परीक्षा की गई है लेकिन योजना आयोग द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया ।

श्री नटेशन: क्या माननीय मंत्री यह अनुभव करते हैं कि मद्रास में बिजली की इतनी अधिक कमी है कि इस योजना को उच्चतम पूर्ववर्तिता देनी पड़ेगी और मद्रास के संसद-सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल योजना आयोग के उपसभापति से मिला था ?

श्री हाथी: योजना को आरंभ करने का पूरा प्रश्न अनुसन्धानों के समाप्त होने पर ही तय हो सकता है । तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह आरंभ की जायगी अथवा नहीं ।

श्री नटेशन: क्या मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह स्पष्ट रूप से बतायें कि वह विद्युत-आयोग द्वारा पर्यवेक्षित की जा चुकी है या नहीं ? यदि वह विद्युत आयोग के सामने से नहीं गुज़री है, तो क्या, मद्रास में बिजली की कमी को देखते हुए, वह इस को शीघ्रातिशीघ्र उसके पास भेजने का प्रबन्ध करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): क्या मैं बता सकता हूं कि जब कोई योजना विद्युत-आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी जाती है, तो उसका अर्थ होता कि वह योजना एक अच्छी और महत्वपूर्ण योजना है लेकिन उसका योजना में समावेश अनेक पूर्ववर्तिताओं पर निर्भर होता है । संबंधित राज्य जब भी चाहें किसी विशेष योजना को अन्य स्वीकृत योजना के स्थान पर उच्चतर पूर्ववर्तिता दे सकता है, लेकिन एक नई योजना जोड़ने का अर्थ होता है योजना में, योजना के साधनों में, एक वृद्धि, और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है और अक्सर उस से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । अतः मेरे सहयोगी का उत्तर यह था कि यद्यपि यह विद्युत आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी—मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है—यह विषय, कि उसको क्या पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये, ऐसा है जिस पर आयोग को सावधानी पूर्वक विचार करना पड़ेगा । यदि राज्य सरकार हम से यह कहती है कि योजना में समाविष्ट इस योजना के बजाय, दूसरी योजना ले ली जाय, तो कोई कठिनाइयां नहीं होंगी क्योंकि वह एक आन्तरिक चीज़ है, लेकिन यदि उस में कोई बाह्य वृद्धि होती है तो सारी योजना प्रभावित हो जाती है ।

श्री नटेशन: जब कि मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि मद्रास राज्य सरकार के लिये इस को वर्तमान योजना में सम्मिलित करना संभव नहीं है, और उन को धन की अपेक्षा तो अवश्य है ही, जिस की योजना आयोग व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि .....

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रावनकोर कृत्रिम रेशम कारख़ाना

*१९४६. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावंनकोर कृत्रिम रेशम कारखाने ने वास्तविकता में उत्पादन कार्य आरंभ कर दिया है ;

(ख) वहां पर निर्मित उत्पाद क्या है; और

(ग) क्या भारत में कोई अन्य कृत्रिम रेशम का कारखाना भी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कृत्रिम रेशमी सूत, कार्बन-डाइ-सल्फाइट तथा पारदर्शक कागज ।

(ग) जी हां, श्रीमान्; मेसर्स नेशनल रेयान कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, भी कृत्रिम रेशमी सूत उत्पादित कर रहे हैं ।

अंगहीन व्यक्तियों के लिये केन्द्रों का संगठन

*१९४७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार, जो २३ जनवरी १९५३ के "दी टाइम्स आफ़ इंडिया", दिल्ली संस्करण तथा अन्य अनेक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, सत्य है कि प्रधान मंत्री ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को महाराष्ट्र तथा हैदराबाद में अंगहीन व्यक्तियों के लिये केन्द्र संगठित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है ;

(ख) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, क्या, ऊपर निर्देश किया गया, श्रीमती दुर्गाबाई का कार्य उन के योजना आयोग का सदस्य होने के नाते कार्य का एक अंग है अथवा यह उससे स्वतंत्र है; और

(ग) क्या ऐसे कार्य के लिये श्रीमती दुर्गाबाई को प्रधान मंत्री के अकाल सहायता निधि अथवा योजना मंत्रालय से कोई भत्ता या पुरस्कार दिया जायगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). मैं ने २५,००० रुपये प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में से श्रीमती दुर्गाबाई को, उन के द्वारा रायलसीमा में संगठित किये गये उद्योग केन्द्रों के आधार पर, महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में उद्योग केन्द्रों के संगठन के लिये स्वेच्छानुसार व्यय करने के लिये सौंप दिये हैं। रायलसीमा में उनका सहायता के संगठन का कार्य सफल रहा था। उन्होंने जब इसी प्रकार का कार्य महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में करने का भार लिया था उस समय हम उन की इस क्षेत्र में रुचि उत्पन्न कर सकने के कारण प्रसन्न थे। इन सहायता केन्द्रों के संगठन करने में उनका कार्य उनके योजना आयोग की सदस्यता के नाते कार्य के साथ सम्बद्ध नहीं है और उनको इसके लिये कोई भत्ता अथवा पुरस्कार नहीं मिलता है ।

अमरीकी सेनाओं के उपयोग के लिये बिल्लों की बिक्री

*१९५१. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के विशेष प्रतिनिधि द्वारा लखनऊ से भेजे गये २५ जनवरी १९५३ के प्रेषण, जो उस समाचार पत्र के २७ जनवरी १९५३ के अंक में प्रकाशित हुआ था, की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी हस्तकला वस्तुओं के प्रदर्शनालय ने अमरीकी स्थल सेना तथा नौसेना के कर्मचारियों के उपयोग के लिये बीस लाख बिल्लों की बिक्री के एक सौदे की बातचीत की है ;

(ग) अमेरिका में किस अभिकरण के द्वारा इस सौदे की बातचीत की गई थी; और

(घ) क्या सौदा समाप्त हो गया है या किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सौदे की बातचीत अमेरिका में एक व्यक्तिगत फर्म के द्वारा की गई थी ।

(घ) यह समझा जाता है कि बातचीत अभी भी चल रही है ।

उड़ीसा में अयो--लोहक (फ़ैरो-मैंगनीज़) संयन्त्र

*१९७०. **श्री राजगोपाल राव :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उड़ीसा में एक प्रस्तावित अयो-लोहक (फेरो-मैंगनीज़) संयंत्र को वित्त पोषित करने के हेतु एक भारतीय फर्म में गैर सरकारी अमरीकी पूंजी आमंत्रित की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस फर्म का नाम क्या है और वे क्षेत्र क्या हैं जिन में वह काम कर रही है ?

(ग) कितनी अमरीकी पूंजी भाग लेने के लिये आमंत्रित की गई है और वह किन शर्तों पर मांगी गई है ?

(घ) क्या इस से पहले, अमरीकी पूंजी लगाने वालों को दिये गये निमंत्रण की सूचना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को दे दी गई है और क्या वास्तविक निमंत्रण देन से पहले उस की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

(ङ) उस भारतीय व्यापारिक संस्था के संचालक कौन हैं ?

(च) क्या उनमें से किसी ने इस प्रयोजन अथवा अन्य किसी प्रयोजन के हेतु हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठता ।

पांडीचेरी की सीमाओं पर प्रचार

*१९७१. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कोई संगठन है जो फ्रांसीसी राज्य क्षेत्रों के भारतीय संघ में विलीनीकरण के हेतु पांडीचेरी की सीमाओं पर प्रचार करता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): भारत सरकार को भारतीय राज्य क्षेत्र में ऐसे किसी संगठन का पता नहीं है । सीमाओं पर प्रचार साधारणतया फ्रांसीसी बस्तियों से आये हुए शरणार्थियों द्वारा किया गया है ।

तुंगभद्रा परियोजना के लिये ऋण

*१९७६. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य सरकार द्वारा तुंगभद्रा परियोजना को पूर्ण करने के लिये मांगे गये ऋण की कुल राशि;

(ख) केन्द्र द्वारा स्वीकृत तथा इस तिथि तक दिये गये ऋण की राशि;

(ग) क्या ऋण की कोई और राशि दी जाने वाली है और यदि ऐसा है तो कब; और

(घ) ऋण देने के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्ज़ के लिये आवेदन पत्र प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं । १९५३-५४ के लिये अभी तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) ६,८९७ करोड़ रुपये ।

(ग) हां, श्रीमान्, राज्य सरकार द्वारा निवेदन प्राप्त होने तथा जांच करने के पश्चात् ।

(घ) हैदराबाद सरकार को दिये जाने वाला ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(१) हैदराबाद सरकार भारत सरकार को छमाही परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत किये गये कार्य, अवशेष किये जाने वाले कार्य और अगले वर्ष में अवशेष कार्य जिस के पूरे हो जाने की आशा है, का प्रगति पत्र भेजा करेगी ।

(२) हैदराबाद सरकार तीन किश्तों में साधारणतः जो ऋण स्वीकृति होने की तिथि से तीन वर्ष के समय से प्रारम्भ होता है, ऋण का भुगतान करेगी । ऋण को व्याज का भुगतान वार्षिक करना होगा ।

(३) ऋण का उपयोग योजना पर होने वाले प्रति वर्ष के वास्तविक व्यय पर करने का विचार है और किसी वर्ष विशेष में अधिक हो जाने वाले भुगतान को अगले वर्ष दिये जाने वाले ऋण में से घटा दिया जायगा ।

सीमान्त सेवा सैनिक दल

*१९७७. **श्री गोहेन** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त सेवा सैनिक दल की ज़िलावार संख्या कितनी है ?

(ख) साधारणतः सेवा सैनिक दल पर कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय की जाती है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) ६८ निम्नलिखित दस्ते :

अबोर पहाड़ियां	११ दस्ते
मिश्मी पहाड़ियां	१७ दस्ते
से-ला सब एजेन्सी	१२ दस्ते
सबान्सीरी क्षेत्र	८ दस्ते
तिराय सीमान्त पथ	७ दस्ते
तुएनसांग	१३ दस्ते
योग	६८ दस्ते

प्रत्येक दस्ते में २५ कुली तथा एक कुली-सरदार होता है । वे केवल सामान लाने ले जाने के ही काम में आते हैं क्योंकि वहां थोड़ी ही मोटर चलाने वाली सडकें या खच्चरों के योग्य मार्ग हैं ।

(ख) प्रति दस्ते का वार्षिक व्यय अनुपातत: लगभग ३०,००० रु० है और वर्तमान दस्तों की संख्या के अनुसार छः जिलों का योग २०,४०,००० रु० है ।

यह भी कहा जा सकता है कि यह दस्ता आदिमजाति क्षेत्रों के लगभग १,७०० लोगों को लाभदायक जीविका प्रदान कर रहा है ।

उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र के गांव में झगड़े

*१९७८. **श्री गोहेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र के कुछ भागों के में बहुधा होने वाले अन्तर्ग्रामीण झगड़ों की सूचना है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस क्षेत्र में वष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में ऐसी कितनी घटनायें हो चुकी हैं ;

(ग) उन भागों में होने वाले अन्तर्ग्रामीण झगड़ों को रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ; और

(घ) उन क्षेत्रों के लोगों द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जाने के प्रमुख तथा अन्य कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र के कुछ भागों में कभी-कभी ही अन्तर्ग्रामीण झगड़ों की घटनायें हुई हैं ।

(ख) १९५१-५२—१३ घटनाएं ।
१९५२-५३—११ घटनाएं ।

(ग) और (घ). साधारणतः झगड़ों के, कारण भूमियों तथा मीन क्षेत्रों पर अधिकार, पशुओं और धान की चोरी तथा आदिमजातियों के आचारिक नियम पर आधारित देयों का भुगतान न कर सकने आदि से संबंधित हैं ।

इन प्रदेशों में नवीन प्रशासनीय केन्द्रों को स्थापित करने से जिस की अंगरेज़ी शासन द्वारा उपेक्षा की गई थी तथा आन्तरिक प्रदेशों को सुलभ बनाने की दृष्टि से यातायात में उन्नति होने से अन्तर्ग्रामीण घटनाओं के घटित होने की संभावना पहले से ही काफी कम हो गई है ।

नागा तथा लुशाई पहाड़ियों के राजनीतिक दलों के अभ्यावेदन

*१९७९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन्हें लुशाई पहाड़ियों के ऐजल स्थान के दौरे में राजनीतिक संस्थाओं तथा लोगों द्वारा कोई ज्ञापन या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो ज्ञापन या अभ्यावेदनों के प्रकार तथा अन्तर्गत वस्तु;

(ग) क्या उन्होंने अभ्यावेदकों की किसी भी मांग को पूरी करने का वचन दिया है और यदि ऐसा है, तो वे क्या हैं; और

(घ) क्या उन्हें बर्मा के नागा या असीमांकित क्षेत्रों के लोगों द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ या कोई मांग उनके क्षेत्रों को भारत के नागा क्षेत्रों में विलीनीकरण प्रभावित करने के लिये पेश की गई थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). ऐजल में प्रधान मंत्री को विभिन्न पार्टियों तथा दलों द्वारा काफी संख्या में ज्ञापन प्राप्त हुए थे । प्रमुख निवेदन जो किये गये थे, वे यातायात, स्कूलों, औषधालयों तथा अस्पतालों का विकास करने के लिये थे । अतिरिक्त डाकघरों के लिये भी निवेदन किया गया था । लुशाई पहाड़ी ज़िला के स्थान पर ज़िले का नाम मिज़ो ज़िला बदल कर रखने के प्रस्ताव भी किये गये थे ।

(ग) प्रधान मंत्री ने अभ्यावेदकों को विश्वास दिलाया कि सरकार ज़िला परिषद् को यातायात, स्कूलों, औषधालयों आदि के विकास करने में सहायता देने की इच्छुक है । कोई वचन नहीं दिये गये थे ।

(घ) नहीं ।

डोकेग्राम के हूडियारा नाला

*१९८०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाकिस्तान की पुलिस अमृतसर जिले के डोकेग्राम में हुडियारा नाला खोदने के काम में रोड़े अटका रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या नाला खोदने का कार्य उन कठिनाइयों के कारण रोक दिया गया है; और

(ग) नाला खोदने का कार्य पूरा करने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). पाकिस्तान सीमा पुलिस द्वारा हुडियारा नाला के परिमापन कार्य में बाधा उपस्थित करने का समाचार प्राप्त हुआ है, किन्तु पुलिस की सुरक्षा द्वारा कार्य में सन्तोषजनक उन्नति हो रही है ।

लान्स-नायक आत्मा सिंह की हत्या

*१९८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि २३ मार्च, १९५३ को लान्स-नायक आत्मा सिंह, बार्डर स्काउट की हत्या पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा भिखीवेन्द और खेमकरण के नजदीक की गई थी, और यदि हां, तो हत्या का क्या उद्देश्य था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बार्डर-स्काउटों के लान्स-नायक आत्मा राम खेमकरण बार्डर चौकी की ओर जाते समय २१ मार्च १९५३ की रात्रि को रास्ता भूल

गया और पाकिस्तान की राज्य सीमा में जाकर भटक गया। वह पाकिस्तानी बार्डर पुलिस द्वारा गोली से मार दिया गया।

श्री जोजेफ़ मोराम्बी का भारत भ्रमण

*१९८२. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि श्री जोज़ेफ़ मोराम्बी, एक अफ़रीकी नेता ने हाल ही में हमारे देश का भ्रमण किया है ?

(ख) उन के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(ग) क्या उन्होंने यूरोपीय लोगों द्वारा कीनिया में किये गये अत्याचारों का विवरण देते हुए हमारी सरकार के समक्ष कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) श्री जोज़ेफ़ मोराम्बी, कीनिया अफ्रीकी संघ के प्रधान मंत्री कुछ सप्ताहों से भारत में ठहरे हुए हैं और अभी यहीं हैं।

(ख) सरकार को उन के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं है। श्री मोराम्बी भारत में वैयक्तिक रूप से भ्रमण के लिये आये हैं, सरकार से संबंधित किसी कार्य से नहीं। उन्होंने भारत में सहकारिताओं के संगठन तथा सामुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन, कीनिया में भूमि समस्या से निबटने की दृष्टि को सम्मुख रख कर, करने की इच्छा प्रकट की है। वह कीनिया की वर्तमान अवस्थाओं पर भी बोले हैं।

(ग) नहीं।

पाकिस्तान के लिये पारपत्र

*१९८३. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पारपत्र नियम लागू होने से अब तक कितने पंजाब (भारत) से लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान भ्रमण करने के हेतु पार-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ख) उन में से कितनों को पार-पत्र देने से इन्कार कर दिया गया है और क्यों; तथा

(ग) पंजाब (भारत) में पाकिस्तान के लिये पार-पत्र मिलने में साधारणतः कितना समय लगता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ९००।

(ख) १५।

जैसा कि अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है, कि पार पत्र के लिये आवेदन पत्रों पर वैयक्तिक योग्यताओं के अनुसार विचार किया जाता है। यदि यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को पार-पत्र स्वीकृत करना लोक हित में नहीं है तो वह अस्वीकृत कर दिया जाता है।

(ग) सामान्यतः एक माह; शीघ्रता में लगभग ३ दिन।

गन्ने की खोई से शराब बनाना

*१९८४. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ने की खोई से शराब बनाई जाती है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला ने प्रयोग कर के यह दिखा दिया है कि गन्ने की खोई से शराब बन सकती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). गन्ने की खोई से शराब बन सकती है। हालांकि राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला ने इस संबंध में कोई प्रयोग नहीं किया है।

व्यापारियों के लिये प्रवेश पत्र

*१९८५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि वे व्यापारी जो पाकिस्तान जाते हैं उन्हें एक ही स्थान पर तीन माह तक रुकना पड़ता है क्योंकि उनको 'ग' श्रेणी के प्रवेश पत्र स्वीकृत किये जाते हैं; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कार्य-वाही करने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार केवल व्यापारियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को ही श्रेणी 'ङ' के प्रवेश पत्र जिनका काल एक वर्ष तक ही के लिये है, दिये जाते हैं। दूसरों को श्रेणी 'ग' के प्रवेश पत्र एक ओर की यात्रा के लिये मिलते हैं और वे वहां तीन माह तक रुकते हैं। नियम के अनुसार 'ग' प्रवेश पत्र एक स्थान से अधिक के लिये होता है किन्तु सरकार को ज्ञात हुआ है कि भारत-स्थित पाकिस्तान के प्रवेश-पत्र पदाधिकार 'ग' श्रेणी के प्रवेश पत्रों द्वारा एक स्थान से अधिक स्थानों को जाने की आज्ञा नहीं देते।

(ख) भारत तथा पाकिस्तान की सरकारें 'ङ' श्रेणी के प्रवेश पत्र देने के संबंध में व्यापा-रियों की परिभाषा को वृहद् रूप देने के संबंध में विचार कर रही है तथा 'ग' प्रवेश पत्र पाने वालों को एक से अधिक स्थानों को जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

सिंचाई की छोटी योजनाऐं

*१९८६. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के पास सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं की सूची है जिनको केन्द्रीय सरकार से सहायता दी जायगी ?

(ख) क्या संबंधित राज्यों से ऐसी सूची बनाने की प्रार्थना की गई है ?

(ग) क्या सरकार अपनी निजी स्वतन्त्र जांच के उपरान्त एक सूची अथवा प्राय-मिकता दी जाने वाली सूची तैयार करने का विचार कर रही है ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि सरकार छोटी छोटी सिंचाई-योजना-सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने का विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). निम्न प्रकार की छोटी सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार से सहायता पाने का अधिकार रखती हैं :—

(१) साधारण कुओं का निर्माण तथा उनकी मुरम्मत

(२) उदंचनों का स्थापन

(३) सिंचाई के लिये नल कूपों का निर्माण और

(४) तालाबों तथा नालियों का निर्माण और उनकी मरम्मत।

प्रान्तीय सरकारें इन शीर्षकों के अन्तर्गत, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अपनी योजनाएं भेजती रहती हैं और उसकी एक प्रतिलिपि इस आयोग में भी आती है।

(ग) योजनाओं की प्राप्त सूची खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और आयोग द्वारा जांची जाती है। पश्चात को यह सूची सम्पूर्ण रूप में तथा विभिन्न मदों का प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्ष किया जाता है। और जहां कहीं आवश्यकता होती है वहां परिवर्तन एवं रूपभेद कर दिया जाता है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सिंचाई सलाहकार भी योजनाओं की स्थल पर आवश्यकतानुसार जांच करते हैं।

(घ) नहीं ! श्रीमान् !!

जापानी यन्त्र विशेषज्ञ

*१९८७. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा अन्य किसी प्रान्तीय सरकार ने किसी जापानी यंत्र विशेषज्ञ को अपने यहां नौकर रख छोड़ा है ?

(ख) क्या जापान को गये प्रतिनिधि-मंडल ने सन् १९४९ में ऐसा प्रतिवेदन दिया था कि बहुत से जापानी यंत्र-विशेषज्ञ भारतवर्ष में जापानी विधि के अनुसार कुटीर तथा छोटे छोटे उद्योग धन्धे चलाने के विचार से यहां आना चाहते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उचित समय पर संसद पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

(ख) जी ! श्रीमान् !!

भारतवर्ष की पुर्तगाल बस्तियों में भारतीयों के विरुद्ध विभेद

*१९८८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष में पुर्तगाल बस्तियों में भारत-वासियों के विरुद्ध विभेद करने के लिए वहां की सरकार ने क्या क्या वैधानिक कार्रवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ये वैधानिक कार्रवाहियां निम्न बातों में भारतवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं—(१) पुर्तगाल बस्तियों में प्रवेश (२) मकानों को किराये पर देना (३) निवास स्थान (४) व्यापार अनुज्ञप्ति, (५) सम्पत्तियों का अधिकार । ये कार्रवाहियां इस कारण से विभेद करती हैं कि ये बन्धन गोआ निवासियों के लिए नहीं है ।

नेपाल सरकार को दिया जाने वाला भुगतान

*१९८९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सिद्धान्तों के अनुसार नेपाल सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक भुगतान निर्धारित किया जाता है ?

(ख) उन का पिछली बार कब संपरिवर्तन किया गया और क्यों ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). प्रथम विश्व युद्ध १९१४-१८ में जब नेपाल की सेवाओं को मान्यता दी गई तब भारत सरकार ने निश्चित किया कि नेपाल सरकार को १ जुलाई १९१९ से प्रति वर्ष १० लाख रुपया सहायता स्वरूप दिया जाया करेगा । द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इस सहायता को बढ़ाकर २० लाख रुपया कर दिया गया । और इस बढ़ी हुई सहायता का ५० प्रतिशत रुपया जब तक इकट्ठा किया जायगा जब तक यह २½ करोड़, रुपया नहीं हो जाता । इस धन को जल विद्युत योजना तथा नेपाल उद्योगीकरण योजना के लिए पूंजीगत माल भेजने के लिए प्रयोग में लाया जायगा । यह संचित धन नेपाल सरकार को जुलाई १९४६ में दे दिया गया था ।

सिल्क मंडल

*१९९०. **श्री के० सी० सोधिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिल्क मंडल से कोई नियतकालिक प्रतिवेदन लिया है ?

(ख) इस मंडल का अंतिम प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था ?

(ग) इस चालू वर्ष के लिए इस मंडल का कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, श्रीमान्! मंडल से अर्द्धवार्षिक विवरण मिले हैं।

(ख) २३ अप्रैल १९५३ को।

(ग) संसद पटल पर विवरण प्रस्तुत है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४२**]

पैट्रोल उत्पादों का मूल्य

*१९९१. **डा० अमीन** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका, इंगलैंड, तथा जापान में पैट्रोल उत्पादों का थोक मूल्य क्या है?

निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : विवरण जिस में अमरीका और इंगलैंड के पैट्रोल उत्पादों के थोक मूल्य उल्लिखित हैं सदन पटल पर प्रस्तुत हैं जापान में पैट्रोल उत्पादों के थोक मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४३**]

हिन्दुस्तान गृहनिर्माण कारखाना

*१९९२. **श्री तेलकीकर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान गृहनिर्माण कारखाना लि० आजकल क्या कर रहा है?

(ख) २७ जनवरी १९५३ को इस कारखाने के बन जाने के बाद से आज तक इस ने कितना काम किया है?

(ग) क्या प्रमंडल द्वारा वांछित मशीनें पूरी कर दी गई हैं?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान गृहनिर्माण कारखाना लि० निम्नांकित वस्तुओं के बनाने में तथा उस के उत्पादन में निम्न सूची के अनुसार प्राथमिकता देता है।

(१) फोम कोनक्रीट के टुकड़े

(२) पहले से तैयार किये गये कंकड़ के टुकड़े

(३) लकड़ी के दरवाज़े, खिड़कियां आदि

(४) इस्पात के बने हुए ढांचे।

इस नये प्रमंडल ने १ अप्रैल १९५३ को सरकार के गृहनिर्माण कारखाने की उपलब्ध सकल सम्पत्ति तथा कर्मचारियों को अपना लिया था; और अब यह लकड़ी काटने के लिए एक मशीन लगा रहा है। फोम कोनक्रीट स्लेब बनाने वाली वर्तमान मशीन का सुधार कार्य प्रगति पर है और मई १९५३ में यूरोप से जहाज द्वारा पहले से तैयार किये गये कोनक्रीट उत्पादों को बनाने के लिए मशीनें तथा अधिक मात्रा में लकड़ी की चीज़ें बनाने की मशीनें लाने का प्रबन्ध कर लिया गया है। यद्यपि हिन्दुस्तान गृहनिर्माण कारखाने ने उत्पादन कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है, किन्तु लकड़ी का काम शीघ्र बनाने के लिए आदेश लेने की स्थिति में है। सार्वजनिक सेवा विभाग ने लकड़ी के काम के लिए इस गृहनिर्माण कार्य को प्रथम श्रेणी का ठेकेदार घोषित कर दिया है।

हेग के पीस पेलेस में महात्मा गांधी के धड़ की मूर्ति

*१९९३. **श्री तेलकीकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैग के पीस पैलेस में १३ नवम्बर १९५२ को महात्मा गांधी के धड़ की कांसे की मूर्ति के लगवाने में किसने सूत्रपात किया तथा इस का सारा खर्चा कौन सी सरकार ने दिया था?

(ख) संसार के अन्य कौन कौन से भागों में महात्मा गांधी के धड़ या उन की मूर्तियां स्थापित की गई हैं?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) उस समय हैग स्थित

भारत के राजदूत डा० मोहन सिंह मेहता ने इस के स्थापन के लिए सूत्रपात किया था और इन्दौर के गोन्विदराम सेकसरिया पूर्त न्यास ने इस का समस्त खर्चा दिया था।

(ख) जहां तक सरकार को पता है वहां तक कहा जा सकता है कि दो और स्थानों पर घड़ या महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की गई हैं—एक तो ब्रिटिश पश्चिमी द्वीपों के त्रिनीडाड में तथा दूसरा सीतीवान में जो कि पर्क (मलाया) का एक छोटा नगर है।

उपराष्ट्रपति का अमरीका भ्रमण

*१९९४. **श्री रघुरामय्या :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचना कि भारत के उपराष्ट्रपति शीघ्र ही अमरीका जायेंगे, कहां तक सच है ?

(ख) क्या उन्हें इस के लिए अमरीकी सरकार की ओर से कोई निमंत्रण मिला है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी हां। मई, जून और जुलाई में उपराष्ट्रपति बहुत से अन्य देशों का भ्रमण करेंगे। वह पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन के साधारण सम्मेलन के विशेष अधिवेशन का प्रधानत्व करेंगे। वे अमरीका, कनाडा, हालैंड, वेलजियम, इंगलैंड, आस्ट्रिया और यूगोस्लाविया का दौरा करेंगे। वाशिंगटन तथा अन्य देशों में जहां वे जायेंगे वहां वह अमरीका तथा उन देशों के मेहमान रहेंगे।

बर्मा में भारतीय

*१९९५. **श्री बुच्चिकोटय्या :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल बर्मा में कितने भारतीय हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बर्मा सरकार काफी संख्या में भारतीयों को वहां से वापिस भेज रही है ?

(ग) यदि यह ठीक है, तो बर्मा सरकार ने यह कार्रवाही क्यों की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ६ और ७ लाख के बीच में।

(ख) और (ग). नहीं यह ठीक नहीं है। केवल ११ भारतीयों को उन की अवांछनीय कार्रवाहियों के कारण उन्हें वहां से अलग किया गया है।

पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर खाद्यस्थिति

*१९९६. **श्री बुच्चिकोटय्या :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच-वर्षीय योजना की सफल समाप्ति पर हमारे प्राकृतिक जल साधनों का कितना प्रतिशत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन काम में लाया जायगा ?

(ख) हमारी कुल कृषि योग्य भूमि की कितनी प्रतिशत भूमि में खेती की जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) लगभग १२ प्रतिशत।

(ख) लगभग ७९ प्रतिशत।

पैनर बांध

*१९९७. **श्री नानादास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि योजना आयोग तथा मद्रास तथा हैदराबाद सरकार के प्रतिनिधियों ने ८ दिसम्बर १९५२ को अपने सम्मेलन में निश्चय किया था तो क्या मद्रास सरकार ने पैनर बांध के सम्बन्ध में फिर से जांच कर के इस सम्मेलन द्वारा निश्चित प्रस्तावों में कोई नवकरण किया है ?

(ख) यदि यह ठीक है, तो क्या वे प्रस्ताव संसद् पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे ?

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या निर्णय किया जायगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). इन का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि को कृषि योग्य बनाना

*१९९८. **श्री बी० एन० कुरील** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार का विचार रंगखंग, नम्बर, डेगर क्षेत्र, लमालिंग क्षेत्र, हाथीखला, सलीखांतापुर, कलिमबोंग, और रंगखोल की ५,००० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का है ?

(ख) पिछड़ी जातियों की भलाई के लिए जो धन स्वीकृत हो चुका है क्या उस में से ही इस पर धन खर्च किया जायगा ?

(ग) क्या कृषि योग्य बनाई गई यह भूमि केवल पिछड़ी जातियों को ही दी जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और प्राप्त होने पर सदन पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

सुपरफ़ोसफ़ेट

१३८७. **डा० अमीन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०, ५१ और १९५२ में भारत वर्ष में सुपरफ़ोसफ़ेट का कितना उत्पादन हुआ था ?

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितना कितना सुपरफ़ोसफ़ेट का खर्चा हुआ ?

(ग) प्रत्येक वर्ष विदेशों से कितनी मात्रा में तथा कितने का सुपरफ़ोसफ़ेट का भारतवर्ष में आयात हुआ । तथा प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में और कितने का आया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
१९५०	५२,४३२
१९५१	६१,०१८
१९५२	४६,६५०

(ख) यथार्थतम सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(ग) सदन पटल पर विवरण प्रस्तुत है; **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४४]**

दामोदर घाटी परियोजना के लिये सामग्री

१३८८. **डा० अमीन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना के लिए अपेक्षित सामग्री के क्रय पर अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई है ?

(ख) स्वदेशी उत्पादन की सामग्रियों के क्रय पर अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ?

(ग) आयात वस्तुओं पर कुल कितनी धन-राशि व्यय की गई ?

(घ) आयात वस्तुओं में से प्रत्येक के नाम और मूल्य क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रखी जाएगी ।

नन्दी कोंडा डैम

१३८९. **श्री नानादास** : (क) क्या व्यवस्था मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जैसा ८ दिसम्बर १९५२ को हैदराबाद तथा मद्रास राज्य की सरकारों के प्रतिनिधियों और व्यवस्था आयोग के सम्मेलन में निर्णय किया गया था उस के अनुसार हैदराबाद सरकार द्वारा नन्दीकोंडा डैम से हैदराबाद की ओर नहर पर किए गए अनुसंधान पूर्ण हो गए हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस विषय में और क्या निर्णय किए गए हैं ?

(ग) नहर का कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हैदराबाद सरकार ने सूचित किया है पहले किए गए अनुसन्धान पूर्ण हो गए हैं तथा और कोई कार्य नहीं करना है।

(ख) कोई आगे निर्णय नहीं किया गया क्योंकि शिल्पिक समिति द्वारा सुझाए गए इस सम्बन्ध में अन्य कार्यों के अनुसन्धान अभी हो रहे हैं।

(ग) कृष्णा परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने के पश्चात।

कृष्णा नदी की घाटी का विकास

१३९०. **श्री नानादास : योजना** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५२ को हुए कृष्णा नदी घाटी के विकास के लिए योजना आयोग, खोसला-शिल्प-समिति और मद्रास तथा हैदराबाद राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के हुए सम्मेलन में किये हुए अनेक निर्णयों में अभी तक की गयी उन्नति को दर्शाने वाले विवरण सदन-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): ८ दिसम्बर १९५२ को कृष्णा नदी घाटी के विकास के लिए योजना आयोग, खोसला शिल्प-समिति तथा मद्रास और हैदराबाद राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के हुए सम्मेलन में निर्णीत हुए अन्वेषण के कार्यक्रम में अब तक की गई उन्नति को दर्शाने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४५]

पश्चिमी बंगाल में अवपंक गैस का उत्पादन

१३९१. **श्री बी० के० दास: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में अवपंक गैस के उत्पादन की योजना विचाराधीन है ?

(ख) यदि ऐसा है तो अनुमानतः कितनी लागत का है और लगने वाली मशीन की कुल कितनी शक्ति होगी ?

(ग) योजना चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा. क्या सहायता दी जायगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन एक योजना है।

(ख) अन्तिम रूप में योजना की लागत अभी तक तैयार नहीं की गई। शक्ति का अनुमान इस प्रकार है।

प्रारम्भ में ८८३ से ११७२ मिलियन क्यूबिक फुट/ प्रति वर्ष

भविष्य में १२३८ से १७१२ मिलियन क्यूबिक फुट/प्रति वर्ष

(ग) राज्य सरकार ने किसी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अभियाचना नहीं की।

गर्म मसालों का निर्यात

१३९२. **श्री पी० टी० चाको: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में भारत से निर्यात काली मिर्च, अगिया घास का तेल, अदरक, इलायची और काजूफल की कुल मात्रा ?

(ख) इन निर्यात से बदले में कुल कितने डालर की रकम प्राप्त हुई ?

(ग) इन निर्यात से सरकार को कितनी निर्यात शुल्क निधि प्राप्त हुई ?

(घ) ट्रावनकोर-कोचीन से इन वस्तुओं की निर्यात का कितने प्रतिशत भाग बाहर भेजा गया।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (घ) सदन-पटल पर एक विवरण रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) २१·२ करोड़ रुपये के बराबर ।

(ग) काली मिर्च से ३·७ करोड़ रुपये । अगिया घास के तेल, अदरक, इलायची और काजूफल पर निर्यात-शुल्क नहीं लगता ।

जम्मू के गांव में पाकिस्तानी आक्रमण

१३९३. श्री गणपति राम : प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जम्मू ज़िले के रामगढ़ क्षेत्र के नन्दपुर गांव में १६ फरवरी १९५३ को पाकिस्तानी निवासियों द्वारा आक्रमण हुआ था ?

(ख) अब तक कितनी दुर्घटनाएं रिपोर्ट में आईं और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ?

(ग) आक्रमणकारियों की संख्या, जिन्हों ने गांव वालों पर आग बरसाई ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). १६ फरवरी १९५३ को लगभग ६० पाकिस्तानी सीमा की पुलिस के सदस्य जम्मू के १४ मील दक्षिण नन्दपुर क्षेत्र के प्रांगण में आ घुसे और दो सशस्त्र पहरेदारों और क मेट पर गोली चलाई, जो कि केन्द्रीय ट्रकटर संघ की नन्दपुर शिल्पिक-फार्म में नौकर थे, और जब कि वे सीमा से ३०० गज दूर एक पुल पर बैठे थे । तत्क्षण एक पहरेदार मारा गया था । जब कि मेट भी बाद में जख्मों के कारण मर गया । दूसरा पहरेदार घायल हुआ, पर बच गया ।

आक्रमणकारियों ने मृत पहरेदार का शरीर उठाया और तीन राइफल और ५८ कारतूस लिये । अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षक के द्वारा बाद में शरीर वापिस कर दिया गया था ।

मुख्य सैनिक निरीक्षक ने घटना को पाकिस्तानी सीमा पुलिस द्वारा सीमा का उल्लंघन घोषित किया है ।

भारत में विदेशी सम्वाददाता

१३९४. श्री एस० एन० दास : सूचना तथा प्रसारण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विदेशी प्रेस के संवाद-दाताओं की संख्या, उन में से प्रत्येक के अलग अलग आंकड़े देते हुए ; और

(ख) भारत में विदेशी प्रेस का प्रति-निधित्व करने वाले भारतीय संवाददाताओं की संख्या ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) तथा (ख). विदेशी प्रेस के लिए भारत सरकार के मुख्य-कार्यालय द्वारा मान्य सूचना केवल प्रेस संवाददाताओं के सम्बन्ध में है । इस प्रकार के संवाददाताओं की कुल संख्या ५२ है, जिन में २४ भारतीय हैं । देशानुसार अलग अलग आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

देश का नाम	मान्य प्रेस-सम्वाददाताओं की संख्या
यू० के०	१३
यू० एस० ए०	११
यू० के० तथा यू० एस० ए० (सम्मिलित)	३
जापान	५
पाकिस्तान	३
फ्रांस	३
रूस	२
जर्मनी	२
दक्षिण अफ़्रीका	१
ब्रिटिश पूर्वी अफ़्रीका	१
चीन	१
योगोस्लाविया	१
इण्डोनेशिया	१
कनेडा	१
नारवे तथा फिनलैंड (सम्मिलित)	१

लंका	१
स्विटज़रलैंड	१
हांगकांग	१
	—
कुल	५२

मलाया में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रीय

१३९५. श्री रिशांग किशिंग : प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मलाया में गुरीला युद्ध प्रारम्भ होने से कितने भारत राष्ट्र के व्यक्ति मलाया सरकार द्वारा गिरफ्तार हुए, अवरोध किये गए तथा दण्डित किये गये ?

(ख) (प्रत्येक मामला तालिका रूप में) अपराध, जिनके कारण उन के विरुद्ध कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या भारत सरकार ने मलाया में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ऊपरी वर्णित भारत राष्ट्र के व्यक्तियों के किसी मामले को उठाया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) जून १९४८ में आकस्मिक संकटकाल के प्रारम्भ से ३१वीं जनवरी १९५३ तक, लगभग १३९० भारतीय मलाया संघ में और लगभग १०९ सिंगापुर उपनिवेश में आकस्मिक संकटकाल अधिनियमों के अधीन गरिफ्तार किये और अवरोध किये गये थे। आकस्मिक संकटकाल अधिनियम के आधीन मलाया में दण्डित भारतीयों की संख्या के अलग आंकड़े इस समय प्राप्त नहीं हैं। मान्य आंकड़े प्राप्त करना कठिन हैं, कारण इन व्यक्तियों का भारतीय अधिवास स्थापित करना सरल काम नहीं है। ९ व्यक्तियों को मृत्यु-दण्ड दिया गया था, जिन में से केवल पांच को फांसी दी गई थी, एक को अपील करने पर छोड़ दिया गया और भारत भेजा गया। दो को अपील करने पर दण्ड हल्का किया गया, और बाकी एक की अपील अभी न्यायालय में पड़ी है। इन मामलों का विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४७**]

(ग) हमारे प्रतिनिधित्व के इस मामले को बार बार उच्च सरकारी अधिकारियों जिनमें मलाया स्थित ब्रिटिश मुख्य आयुक्त भी हैं, के साथ उठाने के परिणामस्वरूप भारतीय अवरोधियों के मामले एक विशेष-समिति द्वारा फिर से विचारे गये, और उन में से बहुत संख्या में स्थान पर ही छोड़ दिये गये। इस वर्ष के प्रारम्भ में ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि मलाया में अवरोध में केवल २७८ भारतीय और सिंगापुर में केवल एक थे। इस से अधिक व्यक्ति भी छोड़े जा रहे थे। हमारे प्रतिनिधि ने भी मृत्यु-दण्ड दिये गये भारतीयों को अपील करने तथा दया-प्रार्थना करने के लिए, जहां उपयुक्त समझा, उचित सहायता तथा समर्थन दिया।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोगों के कर्मचारियों की क्रमानुसार सूची

१३९६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सिंचाई तथा विद्युत मंत्री केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की श्रमिक सूची से सम्बन्धित २५ मार्च १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करने और बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के घोषित तथा अघोषित कर्मचारियों की क्रमिक सूची पहली जनवरी १९५३ तक ठीक की गई, तैयार हो चुकी है, तथा छप चुकी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या मंत्री सदन पटल पर ऐसी एक प्रति रखने की कृपा करेंगे ?

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार इन को तैयार करवा कर सदन पटल पर रखेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

समुद्री तार का ख़रीदना

१३९७. **डा० अमीन** : (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** विदेशी वस्तु-निर्माताओं के स्थानीय एजंटों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे, जिन के द्वारा सरकार ने १९४८ से १९५२ के बीच तार विभाग के लिए सामुद्रिक तारें खरीदी थीं ?

(ख) ऊपर लिखे वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक एजण्ट के द्वारा खरीदी गई सामुद्रिक तार की लागत तथा लम्बाई ?

(ग) क्या इन एजण्टों को सामुद्रिक तारें खरीदने के लिये कोई अग्रिम धन दिया गया था और यदि ऐसा है, तो इन में से प्रत्येक एजण्ट को कितनी रकम अग्रिम दी गई और कितना सूद लिया गया ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) तथा (ख). पूछी गई जानकारी देने वाला विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) किसी को भी अग्रिम धन नहीं दिया गया ।

विदेशी फ़र्मों में भारतीय तथा अभारतीय कर्मचारी

१३९८. **डा० अमीन** : **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** विदेशियों द्वारा नियन्त्रित पटसन मिलों, प्रेसों, रोपण-कम्पनियों, रसायनिक तथा भेषज फ़र्मों में १९५२ में प्रतिमास २००० रुपये तथा इस से अधिक वेतन वाली श्रेणी में नियोजित भारतीयों और अभारतीय कर्मचारियों का अनुपात बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

रेडियो (आदात्र)

१३९९. **श्री तेलकीकर** : **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देहली की फर्म, जो योग्य देशी आदाता बनाती हैं और जिन्होंने राज्य-सरकार-समुदाय-प्रसरण-यांत्रिकों के परामर्श से निश्चित किये गये समुदाय आदाताओं के विशेष निर्देशों के आधार पर आद्यरूप निकाले हैं ?

(ख) आदाताओं की निर्मिति में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप, आदाताओं की लागत में कमी की प्रतिशत मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) केवल एक फ़र्म है, अर्थात् रेडिओला कारपोरेशन ।

(ख) लगभग ३० प्रतिशत ।

शुक्रवार,
८ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, ८ मई १९५३

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष—पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९. १५ म० पू०

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहती हूं, श्रीमान् । वह किसी प्रश्न के विषय में नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे औचित्य प्रश्न की सूचना दें । यदि औचित्य प्रश्न किसी खंड के विषय में हो तो मैं सुनने के लिये तैयार हूं ।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

सलाखों तथा डंडों आदि के परिवर्तन (कनवर्शन) भारों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) सलाखों तथा डंडों के (परिवर्तन) कन्वर्शन भारों पर और पंजीबद्ध री-रोलर्स द्वारा निर्मित बिजली की भ टी (फरनेस) बिलेट के उचित धारण (रिटेंशन) मूल्यों पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प सं० ३—टी (२)/५१ दिनांक २२ अप्रैल १९५३; तथा

(३) एक वक्तव्य जिसमें वे कारण स्पष्ट किये गये हैं कि उपरोक्त (१) तथा (२) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां विहित कालावधि में पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकीं ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या ४, आर० ३८(ए) ।]

सम्पत्ति शुल्क विधेयक की प्रवर समिति के समक्ष रखा गया प्रमाण

श्री एच० एन० शास्त्री (ज़िला कानपुर-केन्द्रीय) : श्रीमान्, श्री गैडगिल की अनुपस्थिति में मैं आपकी अनुज्ञा से सम्पत्ति शुल्क विधेयक की प्रवर समिति के समक्ष ५ फरवरी, १९५३ को रखे गये प्रमाण की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या—४७/५३] ।

फ्लैक्स वस्तुओं के उद्योग पर प्रशुल्क बोर्ड का प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन मैं निम्नलिखित प्रत्येक पत्र की प्रति

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

पटल पर रखता हूं :

(१) फ्लैक्स वस्तुओं के उद्योग पर आयोग का प्रतिवेदन (१९५३)।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रस्ताव संख्या ३६ (१) टी० बी०/५३, दिनांक ७ मई, १९५३।

[पस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या ४ आर० १०३ (३३]

विमान निगम विधेयक

खण्ड ३—(निगमों का संस्थापन)

श्री नम्बियार (मयूरम) : खण्ड ३ के लिए मेरा एक संशोधन है। दो निगमों की अपेक्षा मैं एक चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्वीकृत नहीं। ऐसे सब संशोधन अस्वीकृत किये जा चुके हैं।

श्री नम्बियार : परन्तु कुछ बातों का जो हम ने कही थीं अभी तक उत्तर नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुज्ञा नहीं दे सकता। खण्ड ३ के सब संशोधन अस्वीकृत हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का भाग हो"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४—(निगमों की रचना)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने संशोधन रख सकते हैं।

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं : खण्ड ४ के उप-खण्ड (१) में "५ से अधिक परन्तु ९ सदस्यों से कम" शब्दों के लिये "५ सदस्य अर्थात्, एक संचरण मंत्रालय का प्रतिनिधि, एक संगठित श्रम का प्रतिनिधि, एक विशेषज्ञ जिसे भर्ती करना है, शेष दो वित्त तथा रक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड ४ के उपखण्ड (१) में "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात् जहां यह पहली बार आता है "जिनमें से कम से कम एक सदस्य संगठित श्रम का प्रतिनिधि होगा" निविष्ट किया जाए।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) खण्ड ४ की उप-खण्ड (१) में "५ से अधिक और ९ सदस्यों से कम" शब्दों के लिए "३ से अधिक और ५ सदस्यों से कम" प्रतिस्थापित किए जाएं।

(२) खण्ड ४ में उप-खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट किया जाए :

"परिभाषा—निगम के सदस्य पूरे समय के लिए होंगे और उन में से एक ऐसा कर्मचारी होगा जिस पर कर्मचारियों का विश्वास हो।

(३) खण्ड ४ के उपखण्ड २ में "उस व्यक्ति" के पश्चात् "अथवा उस व्यक्ति के सम्बन्धी" निविष्ट किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री दामोदर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री दामोदर मेनन : मेरा पहला संशोधन खण्ड ४ के उप-खण्ड (१) में है। मेरा विचार है कि यदि निकाय संगठित हो तो निगम कार्य अधिक निपुणता और पटुता से हो सकता है। सदस्यों की संख्या ५ तक रखने में उन्हें पूरे समय के लिए रखा जा सकता है जिसके लाभ मैं पहले बता चुका हूं।

मेरे दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मैंने कल पूरा समय कार्य करने वाले सदस्यों के रखने के लाभ बताए थे। माननीय मंत्री ने कल चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि वे श्रमिक हितों को प्रतिनिधित्व दे कर उनकी सुरक्षा के इच्छुक हैं। उनका तात्पर्य यह था

कि वे निगम के सब सदस्य ऐसे रखने के लिए तैयार हैं जिन पर श्रमिकों को विश्वास हो। तब तो वे श्रमिक वर्ग का कम से कम एक प्रतिनिधि रखने के लिये अवश्य ही प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और मेरे विचार में वे केवल बातों में ही श्रमिकों को सहानुभूति नहीं दिखा रहे। उन्होंने अपने विचार के समर्थन में यह भी कहा कि जैनरल मैनेजर भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो श्रमिकवर्ग के हितों का ध्यान रखे। यदि वे प्रस्ताव का यही अर्थ समझे हैं तो मुझे खेद है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

बहुत से निहित हितों के प्रतिनिधि और पूंजीपति भी ऐसे हो सकते हैं जो श्रमिक वर्ग से सहानुभूति रखते हों परन्तु श्रमिक हितों की रक्षा के लिए उन्हें नियुक्त करने में प्रस्ताव का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह या तो युक्ति का विरोध करने के लिए है अथवा एक युक्ति मात्र है। मेरा प्रस्ताव है कि यदि माननीय मंत्री वस्तुतः श्रमिक हित की सेवा के इच्छुक हैं तो अब भी विधेयक में यह उपबंध किया जाना चाहिये कि निगम का एक सदस्य श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि हो। हम नहीं चाहते कि बाहर से श्रमिक वर्ग का कोई विश्वास पात्र व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का श्रमिकों सम्बन्धी कार्य किया हो सदस्य बने वरन वह स्वयं निगम का कार्यकर्त्ता होना चाहिये और श्रमिकों का विश्वास पात्र भी। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण किए हुए उद्योग में लोकतन्त्र की आत्मा और श्रमिक वर्ग का सरकार में विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है। इस लिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

मैं तीसरा संशोधन खण्ड ४ के उपखण्ड (२) में करना चाहता हूं। इस द्वारा केवल विधेयक की धारा की परिभाषा ही अपेक्षित है। निगम के सदस्यों को पक्षपात रहित और सत्यनिष्ठ रखने के लिए यह आवश्यक है कि न केवल सदस्य वरन् उसके किसी सम्बन्धी का भी निगम में निजी आर्थिक हित निहित न हो इसलिए माननीय मन्त्री को इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री नम्बियार : अपने संशोधन के पक्ष में मैं यह युक्ति देना चाहता हूं। निगम एक संगठित निकाय होना चाहिये जिस के सदस्य सरकार तथा तदनुसार संसद् के समक्ष उत्तरदायी हों। पूरा समय न काम करने वाले सदस्य निगम के हितों का ध्यान नहीं रख सकते उन्हें अपने अथवा बाहर के हितों का ध्यान ही रह सकता है।

कल माननीय मंत्री ने कहा था कि यदि टाटा निगम के अध्यक्ष पद को स्वीकार करें तो उन्हें प्रसन्नता होगी। मैं टाटा, बिरला अथवा डालमिया किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं रखता परन्तु इन में से कोई भी निगम के कल्याण में अंशदान नहीं कर सकते। वे कई व्यवसायों, उद्योगों के प्रबन्ध संचालक, संचालक अथवा स्वामी हैं। वे इस ओर कैसे ध्यान दे सकते हैं। वे अपने कुछ अभिकर्ताओं द्वारा निगमों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिये बाहर के व्यक्ति नहीं चाहिएं।

दूसरे संगठित श्रमिकों का विश्वासपात्र प्रतिनिधि श्रम सम्बन्धी विषयों में परामर्श द्वारा कार्यकर्ताओं और सारे राष्ट्र का हित कर सकता है।

कल माननीय मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बहुत से संघ हैं और वे पूर्णतया संघटित नहीं हैं। इस प्रकार वह कह कर केवल कार्यकर्ताओं में फूट डालना चाहते हैं अन्यथा श्रमिक हितों का ध्यान रखने वाले सब संघ और दलों के समक्ष श्रमिकों का कल्याण ही प्रमुख उद्देश्य है।

[श्री नम्बियार]

वे यदि कई संघ होने का कारण ही प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें निर्वाचन द्वारा न्यूनतम योग्यताओं वाला परन्तु कर्मचारियों का अधिकतम विश्वासपात्र ले लेना चाहिये । हमारा ठोस सुझाव है कि ५ सदस्य होने चाहियें, एक श्रमिकों का प्रतिनिधि, एक संचरण मंत्रालय का प्रतिनिधि एक विशेषज्ञ और एक वित्त का प्रतिनिधि ये सब एक संगठित निकाय बन कर सब के हितों का ध्यान रखेंगे । इस प्रकार उन्हें सहायता मिल सकती है और सारे राष्ट्र को लाभ हो सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं खण्ड ४ और इन संशोधनों के विषय में संक्षेप से कुछ कहूंगा । मैं विमान परिषद् में श्रमिकों के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए खण्ड २९ में किए अभिस्ताव के लिए प्रवर समिति को वधाई देता हूं । माननीय संचरण मंत्री को याद होगा कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड के संघटन पर सरकार ने श्रमिकों का एक प्रतिनिधि माईकेल जॉन इस का संचालक बनाया था । यह एक उदाहरण है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे । इन दोनों निगमों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के लिए जाने का का मैं समर्थन करूंगा । यदि आरम्भ में कोई ऐसा श्रमिक प्राप्य न हो तो हिन्दुस्तान शिपयार्ड की भांति कोई श्रमिक नेता लिया जाना चाहिये । श्रमिक संघों को स्वीकृति देने को सम्बन्ध में सरकार की नीति से मैं असंतुष्ट हूं । मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जिन उद्योगों अथवा उद्योगी उपक्रमों का प्रबन्ध करती है उन में से किसी के एक संघ के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु कोई प्रयत्न अभी तक नहीं किया गया मुझे विश्वास है कि इन निगमों में प्रवेश करने वाले उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक संघटित संघ सरकार स्वीकार कर लेगी । यह भी आशा है कि २ अथवा तीन संघों की अपेक्षा एक श्रमिक संघ के लिए माननीय मंत्री अपने अनुभव द्वारा प्रोत्साहन देंगे ।

सभापति महोदय : किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहने से पूर्व मैं बता दूं कि १२–१५ पर मुखबंद कर दिया जाएगा । यदि इस प्रकार चला गया तो आवश्यक उपबंधों की चर्चा के लिए समय नहीं रहेगा । यद्यपि खण्ड ४ भी आवश्यक है परन्तु आवश्यकता से अधिक समय इसे नहीं देना चाहिये अतः सदस्यों को संक्षेप से बोलना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): मेरा कहना है कि श्रमिकों की ओर से संचालकों के साथ कोई न कोई रहना चाहिये । यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि सन् १९५३ म भारत सरकार ने कर्मचारियों में से एक भी व्यक्ति को इन निगमों में सम्मिलित नहीं किया ।

सन् १९४९ में प्रथम बार वायु सेना में हड़ताल बम्बई में हुई थी । टाटा का इस पर लगभग २ लाख रुपया प्रतिदिन व्यय होता था । जब प्रबन्ध समिति से कर्मचारियों का झगड़ा हुआ तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी क्योंकि उनकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं था कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनकी ओर से लड़ सके । कर्मचारियों का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था जो उनकी बात कह सके । जब आप प्रबन्ध कर्ताओं की ओर से एक व्यक्ति संचालक मंडल में लाते हैं तो कर्मचारियों की ओर से भी एक व्यक्ति लाना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस स्थिति में भी वे एक सदस्य कर्मचारियों की ओर से संचालक मंडल में में लायें । हवाई यातायात परिषद् में तो कर्म

चारियों का एक सदस्य लाने के लिये वे तैयार हो गये हैं तथा उनकी कठिनाइयां सुनने का भी विचार है। उनको भी इस बात का अनुभव होना चाहिए कि उनके वेतन उनके कार्यकाल तथा नौकरी सम्बन्धी बातों के विषय में कहने के लिए भी उनका अपना आदमी है। यह निश्चय है कि आगामी ५ या १० वर्ष में यह मंडल पूर्ण रूप से कर्मचारियों का बन जायगा।

श्री पुन्नूस: श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधि निगमों में रखना अत्यन्त आवश्यक है। श्रमिकों की निजी लाभ की भावना तो कोई होती नहीं। यदि उद्योग राष्ट्र का है तो श्रमिकों की स्थिति अच्छी हो सकती है।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जायगी; यदि आप ऐसा चाहते हैं और इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप श्रमिक संगठन का एक प्रतिनिधि रखें। इस प्रकार निगम भी सुदृढ़ बनेगा तथा जनता की सहानुभूति भी मिलेगी। तथा उसे विश्वास रहेगा कि नियोग का शासन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू): जब एक बार हवाई निगम बन जाती है तो निश्चय ही कर्मचारियों जो हवाई नियोग में काम करते हैं उन की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बन जायगी। कर्मचारी इस मामले में पिछड़े नहीं हैं। उन्होंने आवश्यकता को समझ लिया है अतएव इसके लिए उन्होंने अपनी समिति बना ली है। इसी कारण उन्होंने प्रवर समिति के सामने अपनी मांगें भी रखी हैं। यह कहना कोई तथ्य की बात नहीं है कि चूंकि उनकी एक समिति ही है अतएव हम उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। अतएव यह सरकार का प्रधान कर्तव्य है कि भारतवर्ष में ट्रेड यूनियनों को उनके विकास के लिए पूरी पूरी सुविधा दे।

माननीय मंत्री ने एक और आशंका प्रकट की थी कि कुछ विस्थापन हो सकता है। ऐसी बात है तो श्रमिकों पर विश्वास करना और भी आवश्यक है। अन्यथा यह निगम केवल 'नामो बिरला या' 'नामो टाटा या' 'नामो कुबेर या' ही बन जायेगा।

शंकर ने लिखा है:

गजम् मिथ्या पलायनम् मिथ्या।

श्रमिकों का प्रतिनिधित्व न होने से तो ये दोनों निगम मिथ्या और माया ही बन जायेंगे। शंकर ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है परन्तु ये लोग द्वैतवाद चाहते हैं। हम तो अद्वैत के पक्ष में हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि श्रमिकों के एक प्रतिनिधि को इस संगठन में अवश्य रखा जाये।

श्री के० के० बसु: (डायमंड हारबर): सरकार कहती है कि एक ही व्यक्ति के दोनों निगमों का प्रधान होने की सम्भावना है। अर्थात् उन्हें निगम को चलाने के लिये लोगों की कमी की आशंका है। परन्तु यह कहीं नहीं लिखा है कि वह प्रधान शासकीय व्यक्ति होगा या अशासकीय व्यक्ति होगा। मंत्री महोदय एक विशेष उद्योगपति को कदाचित प्रधान बनाना चाहते हैं। परन्तु दोनों निगमों का प्रमुख कोई एक अशासकीय व्यक्ति कभी नहीं होना चाहिये। यथासम्भव प्रधान तो सरकारी अधिकारी ही होना चाहिये जिससे कि संसद् उसे किसी कार्य के लिये निदेश दे सके। अशासकीय व्यक्ति पर नियंत्रण रखना कठिन होगा।

दूसरी बात, खंड (४) के उप-खंड (२) के अनुसार उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय

[श्री के० के० बसु]

या अन्य हित नहीं होना चाहिये जिससे कि उसके कर्तव्य पालन पर बुरा प्रभाव पड़े। यदि टाटा को प्रधान बना दिया जाये तो उसे पूंजीपति के रूप में यह इच्छा होगी कि वस्तु भाड़े का विशेष स्तर रहे या निगम के कार्य से उसके हितों को लाभ हो सकता है कि वे अन-अनुसूचित सेवाओं को चलाते रहें। अतः यह सोचना होगा कि उनके हित निगम के हितों के विपरीत हैं या नहीं। जब तक सरकार सभी विमान मार्गों और विमानचर्याओं को अपने अधिकार में नहीं लेती और ऐसे व्यक्तियों को नहीं लाती जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी हित नहीं हो तब तक मुझे आशंका है कि यह खंड निगम के हितों के विपरीत हो सकता है। अतः यह खंड अधिक निश्चित रूप में होना चाहिये।

मैं खंड ४ के उप-खंड (३) को लेता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस राष्ट्रीय निगम में भी सरकार ने भारतीय समवाय अधिनियम के उपबन्धों का अनुकरण किया है। उस अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि कोई ऐसा संविदा विचाराधीन हो जिसमें किसी निदेशक को लाभ होता हो तो वह निदेशक बैठक से दूर रहेगा और मतदान नहीं करेगा। हमें पता ही है कि निदेशक सदा अंशधारियों को हानि पहुंचा कर स्वयं लाभ उठाते रहे हैं और इसी कारण इतने समवाय दिवालिया हो जाते हैं। इस कारण समवाय विधि जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हम समवाय अधिनियम का संशोधन करने जा रहे हैं। परन्तु राष्ट्रीय निगम में ऐसी चीज़ हम कैसे रख सकते हैं। वहां तो सभी धन राष्ट्र का है। फिर हम उन उद्योगपतियों को इसमें क्यों रख रहे हैं? क्या अनुभव के कारण?

टाटा के अतिरिक्त अन्य विमानचर्याओं के स्वामियों बिरला, डालमिया आदि ने कभी विमान के पहिये भी नहीं छूये होंगे। उन्होंने युद्धकाल में सरकारी डिस्पोजल से सस्ते भाव पर विमान ले लिये और धन कमा लिया, बस उनका उद्योग में यही हाथ है। अतः सरकार को यह उपबन्ध बदल डालना चाहिये और यह प्रत्याभूति देनी चाहिये कि ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी हित इस उद्योग में हो, अन्यथा देश तथा निगम दोनों की हानि होगी।

अन्त में मैं प्रस्तावित किये गये संशोधन को लेता हूं। इस समवाय के अंशधारी कौन हैं? राष्ट्र ही तो है। करदाता का धन ही निगम में लगेगा अतः समवाय अधिनियम के अनुसार भी करदाता के बहुत से प्रतिनिधि निगम में होने चाहियें। और फिर श्रमिकों के प्रतिनिधियों का होना परमावश्यक है: यदि उनका एक संघ नहीं है तो आप उनका मत जान सकते हैं। यहां के कारीगर आदि अन्य उद्योगों के श्रमिकों से अधिक शिक्षित होंगे। उनका प्रतिनिधित्व होने से उनकी सहानुभूति हमारे साथ होगी। तभी यह उद्योग सच्चे मायनों में राष्ट्रीय उद्योग बनेगा।

श्री राज बहादुर : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जिस खंड पर चर्चा हो रही है वह निगम से सम्बन्धित है। इस का अभिप्राय स्पष्टतः निगम के सदस्यों के चुनाव के लिये विभिन्न श्रेणियों की रचना नहीं है। हम ने इस के उपबन्धों को जानबूझ कर विस्तृत और नमनशील बनाया है ताकि चुनाव के लिये विस्तृत क्षेत्र मिल सके। इस तरह के किसी भी निगम अथवा औद्योगिक संस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी विशिष्ट बोर्ड में व्यक्तियों को नाम-निर्देशित किया गया हो।

मेरा विचार है ब्रिटिश अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है । उस में केवल सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है । आस्ट्रेलिया विमान समवाय भी इसी पद्धति पर है । इसी लिये यदि हम दूरगामी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर इस खंड को अधिक उदार और विस्तृत रूप दें तो श्रेयस्कर होगा । स्थिति का सामना करने के लिये हमें महान प्रतिभा और दीर्घ अनुभव वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी । यदि हम यह निर्देश कर दें कि अमुक वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति ही इस में रह सकते हैं तो उस का चुनाव क्षेत्र सीमित हो जायगा । अतः यह पद्धति स्पृहणीय नहीं है ।

निगम में श्रम प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह इस के लिये माइकेल जान सरीखे किसी अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या उनका नाम निगम के लिये है ?

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय ने उक्त विषय में भी कहा था । हम किसी श्रम सम्बन्धी अनुभव सम्पन्न व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार करेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं माननीय मंत्री जी के भाषण में व्यवधान कर सकता हूं ? २९ वीं शाखा के अन्तर्गत प्रवर समिति ने यह प्रतिवेदन तथा सिफारिश की थी कि जो व्यक्ति किसी भी निगम में कार्य नियोजित है ..... इस चतुर्थ खंड समान व्यवस्था नहीं कर सकते ?

श्री राजबहादुर : अवश्य । स्वयं डा० लंका सुन्दरम् ने श्री माइकेल जान के नाम का उल्लेख किया था और मेरा विचार है कि ऐसे व्यक्तियों को निगम में नियुक्त करने अथवा प्रतिनिधि निश्चित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । मैं यह कभी नहीं कहता कि यह सब नहीं किया जा सकता किन्तु खंड में उन्हें लिखित रूप दे कर स्पष्ट करना उचित नहीं है ।

श्री के० के० बसु : गलत बात है ।

श्री राजबहादुर : सही बात है ।

अब मैं मेरे माननीय मित्र डा० दामोदर मेनन द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन पर आता हूं । उन का तथा उन के साथियों का कहना है कि सदस्यों को श्रमिकों का कहना श्रमिकों का विश्वासपात्र होना चाहिये । क्या इस से उन का अर्थ यह है श्रमिकों का विश्वास मालूम करने के लिये जनमत लिया जाय अथवा निर्वाचन हो । मैं नहीं समझता कि प्रारम्भ में यह सम्भव है । यही बात संगठित श्रम के विषय में कही जा सकती है । जहां तक विभिन्न विमान समवायों का सम्बन्ध है श्रमिक संगठित नहीं हैं । यदि 'संगठित श्रम' का व्यापक अर्थ लिया जाय तो देश में अनेक हैं और ये सब संगठन परस्पर एक दूसरे से असहमत हैं । ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों के विश्वासभाजन व्यक्ति की नियुक्ति अव्यवहार्य है ।

मेरे माननीय मित्रवृन्द श्री नम्बियार और श्री बसु ने पूंजीपतियों के विषय में कुछ प्रश्न उठाये हैं किन्तु यदि उन्हें नियुक्त किया गया तो वे सब कुछ ध्वंस कर देंगे । वस्तुतः हम उन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहते हैं जो इस दिशा में काफी अनुभवी हों । मेरा विश्वास है कि कोई व्यक्ति हम से इस विषय में संघर्ष नहीं करेगा और न हमारी नेकनियती में सन्देह करेगा । यदि हम ऐसे भारतीय नागरिक की सेवायें प्राप्त करें जो अपने ज्ञान और अनुभव से निगम के कार्य संचालन में हमारी शर्तों पर कार्य करने को प्रस्तुत हों । कुछ व्यक्तियों की आशंका

[श्री राज बहादुर]

है कि उक्त व्यक्ति अपने वर्तामान व्यापार के हित की दृष्टि से कार्य करेंगे। प्रवर समिति में नवीन उपबन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है और थोड़ा ध्यान देने पर घोर संदेहवादी व्यक्ति भी आश्वस्त हो जायेगा। चौथे खंड में कहा गया है :

"कारपोरेशन (निगम) में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व सरकार इस दिशा में संतोष प्राप्त कर लेगी कि वह व्यक्ति इस तरह के वित्तीय अथवा अन्य हितों से रहित है जो उसे कार्य का उत्तरदायित्व पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करते हों।"

इस का अर्थ है कि उस की दूरस्थ संभावना. . . . . (**अन्तर्बाधा**)

यदि कोई औचित्यपूर्ण प्रश्न हुआ तो मैं उस का उत्तर दूंगा।

श्री के० के० बसु : मान लीजिये श्री बिड़ला को संचालक बना दिया जाय। उन के भाई अन्य उद्योगों में हैं। वह अपने समस्त उद्योगों में रुचि रखते हैं। इस का प्रभाव विपरीत होगा।

श्री राज बहादुर : दोनों उपखंड, २ और ३, साथ साथ पढ़े जाने चाहियें। दूसरे उपखंड में कहा है :

". . . . .वह व्यक्ति वित्तीय अथवा अन्य हितों से रहित होगा. . . ."

तीसरे उपखंड में लिखा है :

"निगम का सदस्य जो कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में रुचि रखता है . . . . .कार्य के स्वरूप को प्रकट . . . . . ."

जहां तक इस पदाधिकारी का सम्बन्ध है. . . . . .

श्री दामोदर मेनन : मेरा विचार है मंत्री महोदय को इस संशोधन की स्वीकृति में कोई विरोध नहीं है।

श्री राज बहादुर : वह संशोधन मेरे सामने नहीं है। उसे रखा नहीं गया है।

सभापति महोदय : कौन सा संशोधन

श्री दामोदर मेनन : तीसरा संशोधन।

सभापति महोदय : वह प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्री राज बहादुर : तब भी "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" शब्दों में सब कुछ आ गया है कदाचित श्री नम्बियार का अनुमान है कि मंत्री अथवा सरकार श्रम को भ्रान्ति में डाल रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि जिन स्थानों से वह प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं वहां क्या किया जा रहा है

"सत्ता प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्रोलीटेरियट का मुख्य काम उत्पादन की वृद्धि और समाज के उत्पादन करने वाले तत्वों का विकास करना है। इस का अर्थ है कारखानों को अपने हाथ में पूरा अधिकार रखना चाहिये। इस स्थिति में ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रबन्ध के मार्ग में की गई वाधा हानिप्रद और अवांछनीय है।"

उपसंहार में कहा गया है :

"यह निर्विवाद है कि सोवियत कारखाने के मैनेजर को श्रमिकों की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की ओर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिये। . . . . .ट्रेड यूनियनों और पार्टी के सदस्यों को इस कार्य में सोवियत मैनेजर की पूरी मदद करनी चाहिये।"

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि .....(अन्तर्बाधा)

श्री रघवय्या (ओंगोल) : क्या सोवियत रूस में हवाई कारपोरेशन है ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को बोलने दीजिये ।

श्री राज बहादुर : इस देश के समस्त श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवाओं से लाभ उठा कर श्रमिक वर्ग तथा समाज के हित की ओर सजग रहना चाहिये ।

श्री रघवय्या : क्या सोवियत रूस में हवाई कारपोरेशन है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इस तरह व्यवधान नहीं करना चाहिये । यह सदन के लिये शोभनीय नहीं है । यदि माननीय मंत्री भी प्रत्याक्षेप करना प्रारम्भ कर दें तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है । यह भगदड़ है । भवन की भव्यता कायम रखनी चाहिये :

श्री रघवय्या : मैं केवल प्रश्न पूछना चाहता था ।

सभापति महोदय : प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है । मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता ।

इस के पश्चात् सभापति महोदय द्वारा छः संशोधन सदन के समक्ष रखे गये और अस्वीकृत हो गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५ तथा ६ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खण्ड ७—(निगमों के कृत्य)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ९—(निगम व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करें ।)

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड ९ में "बिजनेस प्रिन्सिपल्स" ("व्ययापारिक सिद्धान्तों") के स्थान पर "पब्लिक युटिलिटी प्रिन्सिपल्स" ("लोकोपयोगी सिद्धान्तों") ये शब्द आदिष्ट कर दिये जायें ।

खण्ड ९ में यह निदेश दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये प्रत्येक निगम जहां तक सम्भव हो व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा । मैं इस में इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि इन निगमों के कार्य लोकोपयोगी सिद्धान्तों के अनुसार किये जाने चाहियें । माननीय मंत्री ने स्वयं कहा था कि राष्ट्रीयकरण से लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है । निगमों को व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलने के लिये कहना लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य पर अधिक बल देना है जो कि हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध है । अतः मुझे आशा है कि निगम का कार्य मुख्यतया लोकोपयोगी सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जायेगा । विमान सेवा तो जनता को यात्रा की सस्ती तथा सुरक्षित सुविधा देने के लिये है । अतः इसे अपना उद्देश्य धन कमाना न रख कर जनता की सेवा रखना चाहिये । आशा है माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड ९ के अन्त में "कीपिंग पब्लिक युटिलिटी आफ चीप ट्रैविल विद मोर सेफ्टी एज़ दी मेन आब्जैक्टिव" ("अधिक सुरक्षा के साथ सस्ती यात्रा की लोकोपयोगिता को मुख्य उद्देश्य बना कर") ये शब्द जोड़ दिये जायें ।

आज कल विमान यात्रा बहुत मंहगी पड़ती है । अतः बहुत से लोग इस से लाभ नहीं उठा सकते और विमानों में स्थान खाली रहते हैं । आजकल इसलिये हानि होती है । अतः मुख्य उद्देश्य सस्ती यात्रा और अधिकतम सुरक्षा होना चाहिये । अतः विमान यात्रा को सस्ता बना कर और विमानों में स्थानों को भर कर बचत की जा सकती है । इसे मंहगा करने से यात्रियों की संख्या घट जायेगी और जनता को लाभ भी नहीं पहुंचेगा।

आज कल इन विमान समवायों को पैट्रोल में छट और वित्तीय सहायता देने पर भी इन्हें घाटा पड़ रहा है । इन के राष्ट्रीयकरण से सरकारी कोष को कोई लाभ नहीं होगा । किन्तु राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर और इसे प्रति रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ कर ही आप इस का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं । अतः हमारा यह सुझाव है कि इन्हें चलाते समय लोकोपयोगिता के सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये और इन निगमों को लोकोपयोगी घोषित कर देना चाहिये । मंत्री महोदय को मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मैं अपने माननीय मित्र के संशोधन में निहित सिद्धान्त को पूर्णतया मानता हूं । किन्तु ज्योंहि किसी चीज को लोकोपयोगी समवाय घोषित कर दिया जाता है, तो लोग यह समझने लगते हैं कि उस में मितव्ययता तथा कार्य-कुशलता की कोई आवश्यकता नहीं और उस के धन को इच्छानुसार व्यय किया जा सकता है । वह समवाय लोकोपयोगी होने की अपेक्षा लोक धन का व्यर्थ नाशक समवाय बन जाता है ।

इन निगमों को चलाने में सुरक्षा के साथ साथ मितव्ययता का भी ध्यान रखना चाहिये । आज कल के कुछ समवायों ने मितव्ययता तथा सुरक्षा पूर्वक चला कर लाभ भी कमाया है । अन्य कुछ को उचित व्यवस्था न होने के कारण हानि हुई है । अतः इस सुझाव को विधेयक में नहीं रखना चाहिये अपितु सब को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह एक लोकोपयोगी सेवा है और इस से लाभ उठाना चाहिये । हमें विमान सेवा को सुरक्षापूर्वक और मितव्ययता से चलाना चाहिये ।

सभापति महोदय : इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । माननीय मंत्री ने आरम्भ में कह दिया था कि इस सेवा के लोकोपयोगी होने के कारण ही वे इस में यह खण्ड सम्मिलित करना चाहते हैं । अतः इस विषय में दोनों पक्षों में मतैक्य है । प्रश्न केवल यह है कि प्रस्तावित शब्दों को विधेयक में जोड़ना चाहिये या नहीं और इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है ।

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, आप ने पहिले ही बिल्कुल सही स्थिति बतला दी है । सत्य तो यह है कि सभी यह मानते है कि विमान यातायात उद्योग कोई उत्पादक उद्योग नहीं है । यह तो आवश्यक रूप से एक लोकोपयोगी सेवा है अतः हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे चलाने वाले सुरक्षा और सस्तेपन का ध्यान रखें । हम इस

में कोई त्रुटि नहीं रहने देना चाहते, अतएव हम ने इस खण्ड को इस में सम्मिलित किया है जिस से कि इस के प्रभारी सुरक्षा के साथ साथ मितव्ययता का भी ध्यान रखें।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १० से १६ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

नवीन खंड १६ क

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हम इस संशोधन के संवैधानिक पहलू पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच हमें ज्ञात हुआ कि इस खंड तक पहुच गये हैं।

सभापति महोदय : यदि माननीय मंत्री चाहें तो मैं इसे स्थगित कर सकता हूं।

जी जगजीवन राम : हां, श्रीमान्।

खंड १७—(उपक्रमों को निगमों को सौंपने का सामान्य प्रभाव।)

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड १७ के उपखण्ड (४) में निम्न लिखित परंतूक जोड़ दिये जायें :

"Provided that a claim for compensation or damages based on a cause of action on the basis of which no suit has been instituted in a court of law shall not be enforceable against the Corporation unless notice of such claim has been served on the Central Government within ninety days of the appointed date :

Provided further that if the claim or any part of it is not admitted by the Central Government it shall be referred to the tribunal constituted under section 26, and the tribunal shall thereupon, after impleading the claimant, the company concerned and the Central Government, adjudicate on the claim and the adjudication shall be final, and not liable to be questioned in any court or tribunal. This amount, if any, shall be treated as a liability of the company and taken into account in assessing compensation."

["परन्तु शर्त यह है कि क्षतिपूर्ति या क्षति का कोई दावा, जो कि उस कार्यवाही के कारण पर आधारित हो जिस के आधार पर कि किसी विधि न्यायालय में कोई अभियोग न चलाया गया हो, तब तक निगम के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक कि निश्चित तिथि के नव्वे दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के दावे का नोटिस न दिया गया हो :

परन्तु आग शर्त यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार उस दावे को

[श्री मूलचन्द दुबे]

या उस के किसी अंश को स्वीकार न करे तो यह धारा २६ के अधीन गठित न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा, और तब न्यायाधिकरण दावेदार, सम्बद्ध समवाय तथा केन्द्रीय सरकार की बहस सुन कर उस दावे का निर्णय करेगा और वह निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी । यदि कोई ऐसी राशि होगी तो वह उस समवाय का दायित्व समझी जायेगी और क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाते समय उसे भी ध्यान में रखा जायेगा ।"]

निगम समवायों की सारी सम्पत्ति तथा उन के दायित्वों को भी संभाल लेगी । कई दायित्व तो पुस्तकों में लिखे हुए होंगे उन का पता लग जायेगा किन्तु जो विवाद ग्रस्त होंगे या बाद में किये जायेंगे वे पुस्तकों में दर्ज नहीं होंगे उन के विषय में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है कि उन दावों का निर्णय कैसे होगा । निगम तो उन दावों को तय करने का दायित्व भी अपने ऊपर लेगा जो कि वर्तमान कार्यवाही के कारणों पर आधारित होंगे और जिन के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं दर्ज करवाया गया होगा । इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के दावों की ९० दिन के अन्दर सूचना दे दी जाये जिस से कि सरकार इस बात की परीक्षा कर सके कि दावे अच्छे हैं या नहीं और यदि सरकार उन दावों को स्वीकार न करे तो उन्हें निर्णय के लिये न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये । इस प्रकार निगम को कम से कम अपने दायित्वों का तो पता लग जायेगा । यह संशोधन तो स्थिति को अधिक स्पष्ट करने के लिये प्रस्तुत किया गया है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री के० के० बसु उठे—

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री के० के० बसु : मैं केवल खण्ड १७ के उपखण्ड (४) का स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि इस के अनुसार इस आयोग में केवल निश्चित मार्ग ही आते हैं । मैं चाहता हूं कि कोई वायु परिवहन अनिश्चित मार्गों के लिये अथवा भाड़े के लिये संविदा कर सकता है किन्तु वह यदि अपने संविदा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम शीघ्र ही सारे हवाई जहाजों को लेने जा रहे हैं । ऐसी अवस्था में क्या कोई अन्य तृतीय पक्ष आकर यह कह सकता है कि अमुक वायु परिवहन निश्चित तिथि तक अपने संविदा की पूर्ति न कर सका और आयोग के विरुद्ध दावा किया जा सकता है । इस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है । मैं इस सम्बन्ध में सरकार का मत जानना चाहूंगा कि आयोग द्वारा ले ली गई उस कम्पनी विशेष के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ।

श्री राजबहादुर : वास्तव में उपखण्ड (४) खण्ड २२ और २३ का सहायक है तथा आवश्यक उपबन्ध है । खण्ड २२ के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपनी सारी स्थिति स्पष्ट रूप से निगम की जांच के लिये जमा कर देनी चाहिये । निगम द्वारा किसी कम्पनी के करारों को स्वीकार कर दिये जाने के अधिकार के सम्बन्ध में यह दिया हुआ है कि यदि निगम यह समझता है कि वे भार जो वर्तमान विमान कम्पनी के उद्देश्य के लिये आवश्यक नहीं है अथवा वे करार पूर्ण विश्वास के साथ नहीं किये गये थे तो निगम निश्चित तिथि

के छः माह के अन्दर ऐसे करारों की सहायता के लिये न्यायाधिकरण से निवेदन कर सकता है और यदि न्यायाधिकरण जांच के पश्चात् यह समझता है कि करार वर्तमान विमान कम्पनी के उद्देश्य के लिये आवश्यक नहीं था अथवा पूर्व विश्वास के साथ नहीं किया गया था, तो यह आज्ञा . . . . .जारी कर सकता है, आदि ।

अतः इस का निर्णय करने का अधिकार निगम को है, यदि यह करार विश्वास के साथ किया गया है तो भार निश्चय ही हस्तांतरित कर दिया जायगा ।

श्री के० के० बसु : इस प्रकार आप इस सीमा पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । यह चाहे एक पूर्ण रुपेण उचित करार न हो किन्तु एक तृतीय पक्ष अपने दावे के लिये मांग कर सकता है चाहे निगम ने अपनी स्वीकृति दी हो अथवा न दी हो ।

श्री राजबहादुर : यदि करार पूर्ण विश्वास के साथ तथा कम्पनी के लाभ के लिये किया गया था तो हम उस से किस प्रकार हट सकते हैं अतः खंड २२, २३ स्पष्ट हैं और पूर्ण हैं । जहां तक मुआवजे के दावों का प्रश्न है, वे बाद को उठेंगे । वास्तव में यह स्पष्ट है कि हम उचित करारों से उत्पन्न होने वाले अहसानों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले चुके हैं सभी मामले पर्याप्त समय में प्रकट कर दिये जायेंगे और यदि ये प्रकट नहीं किये जाते हैं तो उन का हमारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

श्री के० के० बसु : किन्तु तृतीय पक्ष बीच में आ सकता है ।

श्री राज बहादुर : यदि यह समय के अन्दर प्रकट नही कर दिया जाता है तो अभियोग कम्पनी के विरुद्ध होगा और कम्पनी को तृतीय पक्ष की क्षत्ति पूर्ति करनी पड़ेगी, निगम को नहीं ।

श्री मूल चन्द दुबे : यदि दावे के विषय में कुछ झगड़ा है तो ऐसे दावों के लिये विधेयक में क्या प्रबन्ध किया गया है ? इस के सम्बन्ध में आप कह सकते हैं कि सभी वर्तमान कार्यवाहियों के लिये आप उत्तरदायी होंगे । उस कार्यवाही का कारण ठीक भी हो सकता है और नहीं भी । कम्पनी आप को वह सूचना नहीं देगी और आप अपने को उस के लिये उत्तरदायी बनाते हैं क्योंकि यह वर्तमान कार्यवाही का कारण है ।

सभापति महोदय : खण्ड १७ (४) केवल विचाराधीन कार्यवाहियों के कारणों से संबंध रखता है वह उत्तरदायित्व निगम के ऊपर रक्खा गया है, कम्पनी के ऊपर नहीं । वह किस प्रकार निश्चित किया जाय तथा किस रूप में यह सब नागरिक प्रक्रिया संहिता के साधारण उपबन्धों द्वारा निश्चित किया जायगा ।

श्री राज बहादूर: यदि कोई करार विशेष प्रमाणित नहीं है अथवा कम्पनी के उचित कार्य के लिये नहीं किया गया है तो यह मामला न्यायाधिकरण के सम्मुख आयेगाँ ऐसे सभी मामले खण्ड २३ के अनुसार तय किये जा सकते हैं तीनों पक्ष वहां उपस्थित होंगे । और न्यायाधिकरण की जानकारी अन्तिम होगी ।

सभापति महोदय : मैं इसपर सदन का मत चाहूंगा ।

श्री मूलचन्द दुबे : कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिन में बिना करार किये हुए भी कम्पनी उत्तरदायी हो सकती है । वे मामले इस में नहीं आते, परन्तु मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा मामला हो ।

श्री राज बहादुर : जहां तक कम्पनी के कार्यों का सम्बन्ध है, वे अधिकतर करारों पर

[श्री राज बहादुर]

ही आधारित किये जाने वाले हैं। अधिकतर मामले इस प्रकार इस के अन्तर्गत आ सकते हैं । जैसा कि आप ने बताया, यह प्रश्न नागरिक प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालयों द्वारा तय किया जायेगा ।

प्रस्ताव रक्खा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंश हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८—(निगमों के लिये वायु यातायात सेवाओं का रक्षण)

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्तावित करता हूं

खण्ड १८ के स्थान पर आदिष्ट करिये :

"१८. निगमों के लिये वायु यातायात सेवाओं का संरक्षण—निश्चित तिथि के पश्चात् निगम के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के लिये निर्धारित अथवा अनिर्धारित वायु-परिवहन सेवा भारत से, को या से हो कर चलाना विहित नहीं होगा :

किन्तु साथ ही यह खण्ड उड्डयन क्लबों के कार्य-कलापों में लागू नहीं होगा ।"

इस मामले पर भी विवाद हो चुका है । इस उद्योग में हम लोगों का कोई हाथ न रखने का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त है । अतः हमें यह भी देखना चाहिये कि अनिर्धारित मार्ग भी सरकार द्वारा ले लिये जायें । जब हम इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो हमें निजी व्यवसायों के लिये कोई निगम सरकार से प्रतिद्वंदिता करने के लिये नहीं छोड़ना चाहिये । अनेक सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि अनिर्धारित लाइनों पर बड़ा लाभ होता है और इसीलिये वे .....

श्री के० के० बसु : बढ़ रही ह ।

श्री दामोदर मेनन : वे अवश्य बढ़ रही हैं । आशा है सरकार द्वारा शीघ्र ही उन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा ।

सभापति महोदय: संशोधन रखा गया :

खण्ड १८ के स्थान पर आदिष्ट करिये :

"१८. निगमों के लिये वायु यातायात सेवाओं का संरक्षण—निश्चित तिथि के पश्चात् निगम के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के लिये निर्धारित अथवा अनिर्धारित वायु परिवहन सेवा भारत से, को या से हो कर चलाना विहित नहीं होगा :

किन्तु साथ ही यह खण्ड उड्डयन क्लबों के कार्य कलापों में लागू नहीं होगा ।"

श्री नम्बियार : मैं प्रस्तावित करता हूं :

खण्ड १८ में,—

(१) शीर्षक में से "निर्धारित" निकाल दीजिये, और

(२) उपखण्ड (१), में से "कोई निर्धारित" निकाल दीजिये ।

इन अनिर्धारित लाइनों द्वारा अधिक लाभ कमाया जा रहा है । हम अनिर्धारित लाइनों के चालकों को एक अधिकार दे रहे हैं । माननीय मन्त्री का कहना यह है कि यदि ऐसा है तो हम वे लाइनें भी ले लेंगे । निगम में अनिर्धारित चालकों का चाव भी काम कर रहा है । चालक किसी भी अपने अन्य साथी की सहायता से अनुचित लाभ उठा सकता है । मैं कहता हूं कि यदि राष्ट्रीयकरण ही करना है तो पूर्ण रूप से क्यों नहीं किया जाता । यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो आगे चल कर हम यह निर्णय निकाल सकते हैं कि यह राष्ट्रीयकरण सिद्धान्त ही

गलत है। यदि पूर्ण उद्योग के साथ वास्तविक राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चय ही यह सफल होगा और धीरे धीरे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा ।

सभापति महोदय: संशोधन रखा गया खण्ड १८ में,—

(१) शीर्षक में से "निर्धारित" निकाल दीजिये; और

(२) उप-खण्ड (१), में से "कोई निर्धारित" निकाल दीजिये ।

श्री जयपाल सिंह : मैं दोनों ही संशोधनों का विरोध करता हूं और खण्ड जैसा भी है, उस का समर्थन करता हूं । यदि मेरे मित्र श्री दामोदर मेनन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है बिना किसी परन्तुकों के तो अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वायु लाइनें जो भारत हो कर जाती हैं उन को बन्द कर देना पड़ेगा। हमें अन्य देशों से सम्बन्ध रखना ही पड़ेगा अपने देश के लाभ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थान बनाये रखने के लिये क्योंकि आज के समय में बिना इस के कार्य नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य इस के पक्ष में न होगा कि हमारा बाह्य मार्ग इस प्रकार अवरुद्ध कर दिया जाय ।

श्री नम्बियार : ऐसा बिल्कुल नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : उन्हों ने सदन से आदिष्ट करने के लिये कहा है, जिस का केवल तात्पर्य यह है कि कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्ग भारत में से हो कर नहीं रहेगा। यह विचार उन का नहीं है जैसा कि मैं समझता हूं ।

श्री नम्बियार : मेरा संशोधन स्वीकार कीजिये ।

श्री जयपाल सिंह : मैं श्री नम्बियार के संशोधन का दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं । मैं नहीं समझता कि लोग अनिर्धारत मार्गों से पूर्णतया परिचित हैं । जब तक सरकार आराम करती रहेगी तब तक अनिर्धारित चालक सजग रहेंगे और उन्नति करते रहेंगे । ये अनिर्धारित चालक नवीन मार्गों की खोज करने में सफल हो रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं भारत में अनिर्धारित लाइनों के चलाने के पक्ष में नहीं हूं । यदि सरकार विद्यमान वायु निगमों को कुशलतापूर्वक तथा सुरक्षित ढ़ंग से मितव्ययतापूर्वक चला सकती है तो उसे चाहिये कि इन सभी कम्पनियों को ले ले और उन्हें चलाये । यदि निगम चलाने ही हैं तो हमें उन के भविष्य को भी देखना ही पड़ेगा। आज यदि देखा जाये तो पता लगेगा कि विमानों को अनेक प्रकार के अन्य कार्यों में लाया जा सकता है। इन निगमों के लिये देश के हित की दृष्टि से प्रसार कार्यक्रम अपनाये जाने चाहियें। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का संबंध है, अनिर्धारित सेवाओं को चलाते रहने में कोई औचित्यता नहीं है और अपने निगम से प्रतिद्वदिता करने में कोई लाभ नहीं ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीयवायु सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को देश में ही ले जाने का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं द्वारा उन को लेजाने की अनुमति देने के पक्ष में हम नहीं हैं। क्योंकि इस से हमारे निगम की उचित आय में कमी हो जायेगी ।

श्री राज बहादुर : यदि कुछ विरोधी सदस्य यह समझते हों कि इस से राष्ट्रीयकरण में बाधा उपस्थित होगी तो उन की ऐसी धारणा उचित नहीं है । जहां तक अनिर्धारित उड़ानों की आज्ञा का प्रश्न है, भारतीय विमान नियम में दी हुई है और जहां कहीं राष्ट्रीय उपक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते देखा जायेगा वहीं पर उचित देख रेख की जा सकती है और की भी जायेगी ।

वर्तमान में जितनी निर्धारित सेवायें कार्य कर रही हैं वे देश के सभी भागों में नहीं हैं । यदि हम उन का विकास करना चाहते

[श्री राज बहादुर]

हैं तो विभिन्न नवीन मार्गों की खोज करनी होगी । ऐसी अवस्था में अनिर्धारित सेवाओं का चलते रहना अत्यन्त आवश्यक है । निगम के हित में राष्ट्रीयकरण की योजना दृष्टि में रखी ही जायेगी और उस पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव नहीं स्वीकृत किये जा सकेंगे ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

खण्ड १८ में,—

(१) शीर्षक में से "निर्धारित" निकाल दीजिये, और

(२) उपखण्ड (१) में से "कोई निर्धारित" निकाल दीजिये ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड १८ के स्थान पर आदिष्ट करिये :

"१८. निगमों के लिये वायु से यातायात सेवाओं का संरक्षण निश्चित तिथि के पश्चात् निगम के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के लिये निर्धारित अथवा अनिर्धारित वायु परिवहन सेवा भारत से, को, या से हो कर चलाना विहित नहीं होगा :

किन्तु साथ ही यह खंड उड्डयन क्लबों के कार्य-कलापों में लागू नहीं होगा ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड १८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

(खण्ड २०—विद्यमान वायु कम्पनियों के कर्मचारियो और पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध)

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड २० के उपखण्ड (१) में

"जब तक कि निगम में उस की नौकरी समाप्त नहीं कर दी जाती अथवा जब तक कि उस का पारिश्रमिक, शर्तों के पद निगम द्वारा यथा विधि आपरिवर्तित नहीं कर दिये जाते" ये शब्द लोप कर दिये जायें ।

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड २० के उपखण्ड (१) में "और अब भी" (and still) के स्थान पर "या अब भी" (or still) ये शब्द रखे जायें ।

श्री जयपाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड २० के उपखण्ड (१) में "और अब भी" (and still) के स्थान पर "या" ("or") शब्द जोड़ दिया जाये ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) खण्ड २० के उपखण्ड (१) में पहली बार जहां पर "निबन्धन तथा शर्तें" (terms and conditions) आता है उस के बाद "नौकरी की" (of employment) जोड़ दिया जाय ।

(२) खण्ड २० के उपखण्ड (१) में "के सम्बन्ध में अधिकार तथा विशेषाधिकार" (rights and privileges as to) के बाद "छुट्टी निवृत्ति" (leave retirement) जोड़ दिया जाये ।

(३) खण्ड २० के उपखण्ड (३) में अन्त में जोड़ दिया जाये :

"कर्मचारियों की व्यक्तिगत भविष्य निधि का अवशेष धन जब संबंधित निगम को इस प्रकार हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो उसे मिला कर खड़ी की गई भविष्य निधि

में प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत लेखाओं में जमा कर दिया जायगा और तब उसे पूर्णतः उस कर्मचारी का ही अंश माना जायगा, उस का कोई भी भाग मालिक का अंश न माना जायेगा ।"

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन इस लिये रख रहा हूं क्योंकि अब विमान कम्पनियों के कर्मचारियों को यह भय हो गया है कि उन की नौकरी की शर्तें तथा निबंधन पुनरीक्षित किये जा सकते हैं । चूंकि इस से उन के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है अतः वे चिन्तित हैं ।

कुछ विमान कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को वायु निगम विधेयक, १९५३ के उपबन्धों के अनुसार यह नोटिस दे दी है कि ३१ मई १९५३ के बाद से उन कम्पनियों में उन की नौकरियां समाप्त हो जायेंगी । यह कम्पनियां उक्त विधेयक के आधीन निगमों द्वारा प्रतिस्थापित होंगी । इन कम्पनियों के कर्मचारियों को फिर से रखने या न रखने के प्रश्न को वे निगम उक्त विधेयक के उपबन्धों के अनुसार तय करेंगे । विधेयक में इस विषय से संबंधित उपबंध खण्ड २० उपखण्ड (१) में दिये गये हैं जिस के अनुसार कम्पनी केवल वे ही कर्मचारी संचालक प्रबन्ध-अभिकर्त्ता आदि को छोड़ कर निगम द्वारा नौकरी में बनाये रखे जायेंगे जो कम्पनी द्वारा पहली जुलाई १९५२ के पूर्व कार्य नियोजित किये गये थे । इस का अर्थ तो यह हुआ कि बहुत से कर्मचारी जिन्हें नौकरी पहली जुलाई १९५२ के बाद मिली थी, ३१ मई १९५३ के बाद से बेकार हो जायेंगे । राष्ट्रीयकरण का यही तात्पर्य प्रतीत होता है । यह कहना कि प्रामाणिक मामलों की जांच की जायेंगी, कुछ अधिक महत्व नहीं रखता । क्योंकि 'प्रामाणिक' की परिभाषा वही होगी जो माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे ।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आती । क्या कोई कम्पनी एक विचाराधीन विधेयक को निगृहण कर सकती है और क्या वह उस विधेयक की किसी धारा के आधीन कार्यकारी आदेश जारी कर सकती है ? यह तो एक बड़ी विचित्र सी बात है और सर्वथा अनुचित भी है ।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह प्रत्याभूति दें कि वर्तमान कर्मचारियों में से कोई भी निकाला नहीं जायेगा चाहे वह पहली जुलाई १९५२ के पूर्व अथवा उस के बाद कार्य नियोजित क्यों न किया गया हो । यदि मंत्री महोदय आर्थिक प्रश्न सामने रखते हैं तो मैं कहूंगा कि उन्हें विमान व्यवस्था के विस्तार के बारे में सोचना चाहिये । इस से सभी समस्यायें हल हो सकती हैं । शायद मंत्री महोदय यह कहें कि इस प्रकार निकाले गये व्यक्तियों के लिये दूसरी नौकरियों का प्रबन्ध कर दिया जायेगा । यह संभव प्रतीत नहीं होता । क्योंकि अभी भी हजारों ऐसे छंटनी किये गये लोग पड़े हुए हैं जिन के लिये वैकल्पिक नौकरियों का प्रबन्ध नहीं हो सका है ।

श्री राज बहादुर : मैं बीच ही में, माननीय सदस्य का ध्यान खण्ड २० के उपखण्ड (२) के उपबन्धों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह वैसे सभी व्यक्तियों के मामलों से सम्बन्ध रखता है जिन की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है । उक्त उपखण्ड (२) के अनुसार यदि किसी विद्यमान विमान कम्पनी में पहली जुलाई १९५२ से पूर्व कार्य नियोजित किया गया कोई कर्मचारी उस तिथि पर अथवा उस के बाद बिना उचित कारण के नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार निगम को निदेश दे सकती है, और जब ऐसा कोई निदेश जारी किया जाता है, उप-खण्ड (१) के उपबन्ध लागू होंगे । इस के अतिरिक्त उद्देय

[श्री राज बहादुर]

कारण के विवरण में भी आश्वासन दिया गया है । दोनों को साथ पढ़ने से वह ऐसे प्रामाणिक मामलों पर लागू होगा ।

श्री नम्बियार : यदि ऐसा है, उन्हें एक ठोस आश्वासन स्पष्ट शब्दों में देना चाहिये । उन्हें कम्पनियों को भी सूचित कर देना चाहिये कि वे अभी कोई छंटनी न करें ।

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, क्या ऐसा करने की वैध शक्ति हम को प्राप्त है ?

श्री नम्बियार : कम्पनियां विधि को अपने हाथों में ले रही हैं ।

सभापति महोदय : अभी निगम नहीं बना है अतः सरकार कम्पनियों को किसी विशेष तरीके पर चलने के लिए आदेश नहीं दे सकती । वह केवल यही कर सकती है कि यदि कोई कर्मचारी बिना किसी उचित कारण के निकाल दिया जाता है तो बाद में वह उस के मामले की जांच कर के सारी स्थिति को ठीक कर दे ।

श्री नम्बियार : उक्त खण्ड के द्वारा ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं होता । उस के उपबन्धों का छंटनी किए गए व्यक्तियों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

'हिमालयन' कम्पनी ने कहा है कि "हमें भारत सरकार के संचरण मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि....." इस से स्पष्ट है कि उक्त मंत्रालय ने उन से ऐसे व्यक्तियों की छंटनी कर देने के लिए कहा है जो पहली जुलाई १९५२ के बाद कार्य-नियोजित हुए थे ।

सभापति महोदय: यदि सरकार ने यह लिखा है कि वह उन कम्पनियों का भार सम्हालने जा रही है और यह कि कम्पनियों को धारा **२०** के आधीन कार्यवाही कर के फालतू लोगों की छंटनी कर देनी चाहिए तब तो इस आरोप का कुछ आधार हो सकता है । अन्यथा यह केवल काल्पनिक है ।

श्री जगजीवन राम : यह आरोप सर्वथा निराधार है ।

श्री नम्बियार : मैं इस सूचना के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार को इन कम्पनियों द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी आदेश को निगृहण नहीं करना चाहिए । उन्हें सभी कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखना चाहिए । बाद में यदि वह किसी को फालतू समझें तो उसे किसी दूसरे काम में लगा दें । इस प्रकार वह देश तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा ही नहीं बल्कि सेवा करेंगे । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री दामोदर मेनन : उप खण्ड (२) में उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है जो पहली जुलाई १९५२ के बाद कार्य-नियोजित किए गए थे । मंत्री महोदय ने कहा है कि शायद छंटनी की भी आवश्यकता पड़े । ऐसी दशा में रखने योग्य व्यक्तियों के मामलों को सरकार सहानुभूतिपूर्वक देखेगी । लेकिन भय यह है कि जब सरकार उन कम्पनियों का भार अपने ऊपर ले लेगी तब उस में वह अपने आदमी रखेगी और दूसरों को बाहर निकाल देगी । इस खतरे से बचना होगा । इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? शिकार बनाए गए व्यक्तियों के पुनः कार्य-नियोजन के सम्बन्ध में सरकार क्या तरीका अपनाएगी, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए ।

श्री जयपाल सिंह : मैं भी अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । असैनिक उड्डयन में नौकरी मिलना बहुत अनिश्चित सा रहता है । अतः जो नीति अपनाई जाने वाली है उस के फलस्वरूप बहुत से प्रविधिक कर्म-

चारीगण बेकार हो जायेंगे। और इसी लिये मैं ने अपना संशोधन रखा है क्योंकि वह पूरे खण्ड के भावार्थ पर जरा भी प्रभाव नहीं डालता।

संचालक, प्रबन्ध-अभिकर्ता, मैनेजर आदि व्यक्तियों के साथ तो रियायत की गई है लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय योग्य प्रविधिक व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी इस सदन के सामने यह आश्वासन दें कि ऐसा कोई भी व्यक्ति निकाला नहीं जायगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सहयोगी को मेरे संशोधन के परिणामों पर बोलने की अनुमति देंगे।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर—सवाई माधोपुर) : मान लीजिए एक व्यक्ति जो किसी कम्पनी में पहली जुलाई १९५२ के पूर्व कार्य नियोजित हुआ था, पहली जुलाई १९५२ के बाद उस कंपनी से नौकरी छोड़ कर दूसरी कम्पनी में नौकरी कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को उक्त खण्ड २० के अधीन निगम नौकरी में नहीं रखेगा। पर यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो एक व्यक्ति जो विमान व्यवस्था में लगातार रहा है, चाहे किसी भी कम्पनी में, उस को निगम के आधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा। निगम कम्पनी के कर्मचारियों को किन शर्तों पर कार्य नियोजित करेगा यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री तुलसीदास : मैं जानता हूं कि मेरे संशोधन बहुत ही स्पष्ट हैं। मैं यह चाहता हूं कि 'शर्त और निबन्धन' शब्द को स्पष्ट कर के 'वृत्ति की शर्त और निबन्धन' कर दिया जाय। इतना बढ़ाने से उस का अभिप्राय पूरा हो जाता है। इसी प्रकार 'अधिकार और सुविधाएं' से अभिप्राय, छट्टियां, अवकाश आदि से है मैं चाहता हूं कि 'छट्टियां तथा अवकाश' शब्द बढ़ा दिये जायं। भविष्य-निधि के सम्बन्ध में भी, मेरा विचार है कि कर्मचारियों में काफी भय है कि उन्हें इस बात का कोई विश्वास नहीं है कि नया भविष्य निधि अधिनियम तथा नियम इतने उदार होंगे जितने कि ये वर्तमान नियम तथा अधिनियम हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये नियम तथा अधिनियम इतने कठोर बन जायें कि छंटनी किये गये कर्मचारियों को नये नियमों के अनुसार, यदि यह नया भविष्य-निधि अधिनियम स्वीकृत हो गया तो, कहीं उन को उन के मालिकों द्वारा उन की भविष्य निधि में दिया गया अंशदान ही समाप्त हो जाय। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे क्यों कि ये भी उसी प्रकार के हैं जैसा कि उन्हों ने स्वयं खंड में वर्णन किया है, मैं तो केवल उन्हें स्पष्ट ही कर रहा हूं।

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : इस विधेयक का उद्देश्य सुरक्षा तथा अच्छी और सस्ती अधिसेवा की स्थापना करनी है। कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी जैसा कि हम ने सुना है कि कम्पनियों के संचालकों ने अपने सम्बन्धियों को नौकर रख लिया है जो निपुण तथा चतुर नहीं हैं। यदि इसी प्रकार के सभी कर्मचारी निगमों में होंगे तो किस प्रकार कार्य में अच्छाई तथा सस्तापन आयगा। दूसरे प्रत्येक राज्य हवाई कम्पनियां भी नहीं चला सकता। अब राज्यों में भी निगम बनेंगे। तथा उस राज्य के निवासियों को इन निगमों में सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं दो निगमों की स्थापना करने के पक्ष में हूं। क्यों कि यदि सभी कम्पनियां मिल कर एक निगम बना लेती हैं तो यह संभव नहीं है कि उन का वही सम्मान उस समय भी रहे जो आज है। सम्भव है कि उन के सम्मान में कमी आ जाय। यह बहुत बड़े संशय की बात है।

श्री जगजीवन राम : भाषण का उत्तरार्द्ध भाग बिल्कुल बेकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने दो निगमों के विषय में होने वाले वादविवाद को सुना नहीं है।

[श्री जगजीवन राम]

दो और तीन बातें कही गई हैं। एक तो कर्मचारियों के विषय में है। मैं इस संशोधन को सब से पहिले लूंगा। इस में कहा गया है कि "और" के स्थान पर "अथवा" होना चाहिए।

संभवत: माननीय सदस्य ने संशोधन की उपलक्षणा को नहीं समझा। उन के संशोधन की उपलक्षणा यह होगी कि एक मनुष्य जो हवाई कम्पनी की नौकरी में चार वर्ष पूर्व था और जुलाई १९५२ से उस का हवाई कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा वह भी इस के अन्तर्गत आता है। मैं तो नहीं समझता कि उन का विचार ऐसा है।

श्री जयपालसिंह : नहीं।

श्री जगजीवन राम : किन्तु आप का यह संशोधन इसी निष्कर्ष की ओर ले जाता है। उन के अपने विचार से बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। अब प्रश्न उन का है जो कि आजकल नौकरी कर रहे हैं। जो सन् १९५२ से नौकरी कर रहे हैं और आजकल भी नौकरी में हैं वे तो इस के अन्तर्गत आ जाते हैं। वे लोग भी जो उस दिनांक के उपरांत नौकरी से अलग कर दिये गये हैं अथवा उन को हटा दिया गया है वे भी इस के अन्तर्गत आ जाते हैं। अब प्रश्न तो उन का है जिन्हों ने उस दिनांक के उपरांत नौकरी प्रारम्भ की है और या तो वे अभी तक नौकरी में हैं अथवा जिन को अलग कर दिया गया है। मुझे बतलाया गया है कि एक या दो कम्पनी में छंटनी की जा रही है। यदि उन कर्मचारियों की भी छंटनी जो १९५२ से नौकरी कर रहे हैं होती है तो जैसा कि मैं ने कहा है उन का मामला भी विधान के उपबन्धों द्वारा तय किया जायगा। कठिनाई तो उन लोगों के बारे में है जिन की नियुक्ति इस के बाद हुई है। जैसा कि मैं ने उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा है, और मैं फिर कहता हूं कि वास्तविक कर्मचारी, चाहे वह उस दिन के उपरांत ही भर्ती क्यों न हुए हों, चाहे वह अब भी नौकरी में हों अथवा उन को अलग कर दिया गया हो, उन का सरकार विचार करेगी। विधान में उपबन्ध रखने में कुछ स्पष्ट कठिनाइयां हैं। आप को कहना होगा कि यह वास्तविक कर्मचारी है और कभी कभी न्याय के आधार पर यह सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है कि यह नौकरी सद्भावनापूर्ण है अथवा दुर्भावना पूर्ण। मुझे ज्ञात हुआ है कि उस दिन के बाद भर्ती की गई है, जो कि वास्तव में सद्भावना पूर्ण नहीं है और वह भी इस आशा से कि ये कर्मचारी सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे और इन को अत्याधिक वेतन दिया गया है। चाहे उन की संख्या कम ही क्यों न हो, किन्तु फिर भी उन का मामला तो है। मैं कहता हूं कि उन का मामला भी उन की योग्यता के आधार पर देखा जायगा जिन्हों ने जून १९५२ के बाद से कार्य करना प्रारम्भ किया है तथा उन के साथ पूरा पूरा न्याय करने का प्रयत्न किया जायेगा। किन्तु जिन की कोई वार्षिक वृद्धि नहीं हुई है अथवा यह वृद्धि नहीं दी गई है उन के बारे में कुछ करना बड़ा कठिन है। वहां भी प्रत्येक मामले की जांच योग्यता के आधार पर की जायगी। कोई एक तथा निश्चित नियम इस बारे में निश्चित नहीं किया जा सकेगा। मुझे आशा है कि मेरे मित्र मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि यदि हम कोई नियम बना दें तो उस का लोग दुरुपयोग करेंगे।

वेतन तथा वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में अभिसंधित समझौते हो सकते हैं। वेतन एक हजार रुपया निश्चित किया जा सकता है, और एक समझौता कर के यह निश्चित कर लिया जाता है कि आजकल केवल ५ सौ रुपया ही मिलेंगे और जब यह निगम सरकार लेगी तो उस समय से १ हजार मिलने लगेगा।

हमें इस प्रकार के सभी झगड़ों का निपटारा करना होगा। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि ये सभी मामले व्यक्तिगत आधार पर तै किये जायेंगे। मुझे तो केवल इतना ही कहना है।

श्री जयपालसिंह : माननीय मंत्री के विवरण के आधार पर मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री जगजीवन राम : 'सेवा की शर्तें और निबन्धन' बड़ा विस्तृत है जिस के अन्तर्गत सभी बातें आ जाती हैं।

भविष्य निधि के बारे में भी नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सभापति महोदय : तब मैं शेष संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

खंड (२०) के उपखंड (१) में से यह भाग निकाल दिया जाय—

"जब तक कि निगम में उस की नौकरी समाप्त नहीं हो जाती या उस का वेतन, निगम द्वारा सेवा सम्बन्धी शर्तें तथा अनुबन्ध नहीं बदल जाते।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खंड (२०) के उपखंड (१) में जहां प्रथम बार 'शर्तें' तथा निबंधन में आया है उसके उपरांत 'नौकरी की' शब्द जोड़ देना चाहिए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री दामोदर मेनन ने अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया।

खंड २० विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २१ से २३ तक विधेयक का अंग बना लिये गये।

खंड २४ से सम्बन्धित सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

खंड २४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

श्री जयपालसिंह : मैं नये खंड १६(क) तथा २५(क) की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। यदि इन का स्पष्टीकरण हो गया तो खंड २५ के बारे में हम अपना मत दे सकते हैं।

सभापति महोदय : जी हां। खंड २५ को लेने से पूर्व हमें खंड १६(क) तथा २५(क) को लेना चाहिये क्योंकि इन दोनों का स्पष्टीकरण करने से स्थिति काफ़ी सरल हो जाती है।

श्री जगजीवन राम : खंड १६(क) का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्तुत नहीं होगी। खंड २८ तथा २८(क) के बारे में जो दो संशोधन हैं उन को अंगीकार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अतएव स्थिति यह है कि खंड २५ को लेने से पूर्व हम खंड २८ तथा २८(क) से सम्बन्धित संशोधनों पर विचार करेंगे।

खण्ड २८ तथा २८क

श्री एन० सी० चटर्जी : खंड २८ के उपखंड (१) में---

"The Central Government may" ("केन्द्रीय सरकार") के पश्चात् "on the application of any existing air company or on the application of a majority in number representing three-fourths in value of the members holding ordinary shares." ("किसी वर्तमान हवाई कम्पनी के प्रार्थना-पत्र पर अथवा साधारण भाग वाले सदस्यों के जिन के पास तीन चौथाई मूल्य के साधारण भागों का बहुमत है, उन के आवेदन पत्र पर") ये शब्द प्रविष्ट किये जायें ।

मैं यह भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि :—

खंड २८ के पश्चात यह जोड़ दिया जाय :—

"28A. Authorisation under section 28 may contain certain directions.—Any authorisation granted under section 28 may include a direction requiring an existing air company the voluntary winding up of which has been authorised under that section to distribute its net assets among the various classes of members of the company in such proportion as the Central Government may, having regard to the amount subscribed by each class of such members or having regard to the circumstances relating to the issue of the shares to the various classes of members, specify in the direction, and any such direction shall have effect notwithstanding anything contained in the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) or in the articles of association or resolution of the company or in any agreement, and every such company shall be bound to comply with any such direction."

["२८क. **धारा २८ के अधीन प्राधिकरण में कतिपय निर्देश हों**.— धारा २८ के अधीन स्वीकृत किये गये किसी प्राधिकरण में यह निर्देश होगा कि कोई वर्तमान हवाई कम्पनी जिसे स्वेच्छा से कार्य बन्द करने का अधिकार दिया गया है उस कम्पनी के विभिन्न सदस्यों में उस अनुपात में कम्पनी की सकल सम्पत्ति दे सकता है जो केन्द्रीय सरकार सदस्यों के भाग के अनुसार ठीक समझे; यह निर्देश में विदित होगा कि और कोई निर्देश भारतीय व्यवसाय अधिनियम (१९१३ का ७) अथवा संस्था के नियम अथवा कम्पनी के प्रस्ताव अथवा

किसी समझौते में, प्रभावी होगा और प्रत्येक कम्पनी ऐसे निर्देश का अनुसरण करेंगी ।"]

भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा १५३ के अनुसार भी यह है । मैं इस संशोधन के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की अनियंत्रित शक्ति भी कुछ निश्चित निबन्धनों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए ।

खंड २८(क) के द्वारा हम यह तै करने जा रहे हैं कि कम्पनियों की समाप्ति पर सभी भागीदारों को समान धन मिले । अतएव इसी कारण इन्हें शक्ति दी गई है, और उस शक्ति का प्रयोग किन्हीं विशेष निबन्धनों में होगा न कि मंत्री तथा कार्यकारिणी के सदस्यों की स्वेच्छा पर । और हम कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार अधिवरणीय भागीदार तथा साधारण भागीदारों को जिन्होंने अपना धन लगाया है उस का भी सरकार को उचित ध्यान रखना चाहिए । भागों के जारी करते समय की परिस्थितियों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए । और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यह सोचना होगा कि किस अनुपात से इन को पैसा देना है । मैं समझता हूं कि यही एक संभाव्य योजना है जिस के द्वारा कुछ संतोषजनक परिणाम की संभावना है । यही एक सर्वश्रेष्ठ वैधानिक उपाय है । यदि उच्च न्यायालय तथा किसी अन्य दूसरे न्यायालय में इसे कोई चुनौती देता है तो यह चुनौती खंड २८क के लिए ही होगी । शेष अधिनियम इस चुनौती से बचा रहेगा । और सभी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता । अतएव मैं समझता हूं कि यह सुझाव प्रयोगनीय हैं एवं संभाव्य है अतएव इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री गाडगिल : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर इस का ठीक हल ढूंढने के लिए पर्याप्त चर्चा हुई और एक संतोषजनक सिद्धान्त मिल गया । इस के अतिरिक्त इस से साधारण हिस्सेदारों को न्याय प्राप्त हो रहा है । सब ये अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्रत्येक हित का न्यायपूर्ण ढंग से ध्यान रखा जाएगा । मैं इन संशोधनों का पूर्णतया समर्थक हूं ।

श्री जगजीवन राम : मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता । विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने इन संशोधनों को देख लिया है और वस्तुतः यह संशोधन हमारे ही हैं । मैं इन्हें स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : खण्ड २८ के उप-खण्ड (१) में :

("The Central Government may," ("केन्द्रीय सरकार") के पश्चात् "on the application of any existing air company or on the application of a majority in number representing three-fourths in value of the members holding ordinary shares."

("किसी वर्तमान हवाई कम्पनी के प्रार्थनापत्र पर अथवा साधारण भाग वाले सदस्यों में जिन के पास तीन चौथाई मूल्य के साधारण भागों का बहुमत है, उन के आवदन पत्र पर" ये शब्द प्रविष्ट किये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यथा संशोधित खंड २८ विधेयक का भाग हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

यथा संशोधित खण्ड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : खण्ड २८ के पश्चात यह जोड़ दिया जाये:—

"28A.—Authorisation under section 28 may contain certain directions.—Any authorisation granted under section 28 may include a direction requiring an existing air company the voluntary winding up of which has been authorised under that section to distribute its net assets among the various classes of members of the company in such proportion as the Central Government may, having regard to the amount subscribed by each class of such members or having regard to the circumstances relating to the issue of the shares to the various classes of members, specify in the direction, and any such direction shall have effect notwithstanding anything contained in the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913), or in the articles of association or resolution of the company or in any agreement, and every such company shall be bound to comply with any such direction."

["२८क. धारा २८ के अधीन प्राधिकरण में कतिपय निर्देश हों :—

धारा २८ के अधीन स्वीकृत किये गये किसी प्राधिकरण में यह निर्देश होगा कि कोई वर्तमान हवाई कम्पनी जिसे स्वेच्छा से कार्य बन्द करने का अधिकार दिया गया है उस कम्पनी के विभिन्न सदस्यों में उस अनुपात में कम्पनी की सकल सम्पत्ति दे सकता है जो केन्द्रीय सरकार सदस्यों के भाग के अनुसार ठीक समझे; यह निर्देश में विदित होगा कि और कोई निर्देश भारतीय व्यवसाय अधिनियम (१९१३ का ७) अथवा संस्था के नियम अथवा कम्पनी के प्रस्ताव अथव किसी समझौते में, प्रभावी होगा और प्रत्येक कम्पनी ऐसे निर्देश का अनुसरण करेगी "]

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

खण्ड २८क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड २५ विधेयक का भाग हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक में खण्ड २५ जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खण्ड २५क । मैं समझता हूं कि श्री चैटर्जी अब अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत करना चाहते ।

श्री एन०सी० चैटर्जी : जी नहीं मैं यह प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

खण्ड २६ तथा २७ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड २९--(विमान मांग परिवहन-परिषद्)

सभापति महोदय : क्या कोई संशोधन है ?

श्री नम्बियार : प्रवर समिति में चर्चा के पश्चात माननीय मंत्री ने निगमों में से एक कर्मचारी को स्वीकार किया है.....

श्री जगजीवन राम : यह माननीय मंत्री का सुझाव था अथवा उन्हों ने इसे स्वीकार किया । तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने से क्या लाभ ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड २९ विधेयक का भाग हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

फि खंड २९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३० से ३९ तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड ४०-- (मंत्रणा तथा श्रम संपर्क समितियां)

श्री नम्बियार : श्रीमान मेरा एक संशोधन है ।

मेरा संशोधन यह है कि श्रम सम्पर्क समिति को इतना बढ़ाया जाए कि उस में श्रम सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाया जा सके, और उस में संघटित श्रम के प्रतिनिधि होने चाहियें । संयुक्त राज्य विमान मार्ग निगम अधिनियम म ऐसा ही एक खण्ड है जिस द्वारा कर्मचारी अपनी दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं को निगम में रख सकते हैं । इस लिए मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाएगा ।

श्री जगजीवन राम : मैं अपने मित्र से सहमत हूं और विश्वास दिलाता हूं कि श्रम सम्पर्क समिति का पूर्ण लाभ उठाया जाएगा और वह लाभदायक प्रमाणित होगी ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

कि खण्ड ४० विधेयक का भाग हो ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

खण्ड ४० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४१ से ४४ तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची

श्री नम्बियार : मेरा संशोधन यह है कि अंश भागियों को १ जुलाई १९५२ के मंडि

[श्री नम्बियार]

मूल्य पर भाग दिया जाए। अन्यथा उन का भाग लागत मूल्य में से रक्षित निधि और घाटे को घटा कर निश्चित किया जाए। इस प्रकार मैं चाहता हूं कि हिस्सेदारों को न्यायपूर्ण भाग मिले। इसीलिए अंश भागों के मूल्यांकन के लिये भी अंश भाग का उस तिथि का मूल्य रखा गया है जिस तिथि को व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रतिकर का यही ढंग न्यायपूर्ण हो सकता है और इस लिये यह संशोधन रखा गया है।

सभापति महोदय : कोई और संशोधन?

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल पश्चिमी कटक) अनुसूची में परिच्छेद २ के लिए "परिच्छेद २. ३० जून १९५२ के अंश भागों के मण्डी मूल्य" आदिष्ट किया जाए।

श्री तुलसी दास: मैं प्रस्ताव करता हूं :

१. (१) जहां कहीं "१२००० रुपये" है उस के लिए "२४००० रुपये" आदिष्ट किया जाए।

(२) "२४००० रुपए" के लिए "४८००० रुपए" आदिष्ट किया जाए।

२. "९० दिन" के लिए "१८० दिन" आदिष्ट किया जाए।

३. (क) "६००० रुपए" के लिए "१२००० रुपए" आदिष्ट किया जाए।

(ख) "१२००० रुपए" के लिए "२४००० रुपए" आदिष्ट किया जाए।

४. अनुसूची में भाग (ख) (१) के परिच्छेद में :

"१० दिन" के लिए "१९० दिन" आदिष्ट किया जाए।

५. परिच्छेद २ भाग (ख) (२) में

(क) "२००० रुपए" के लिए "४००० रुपए" आदिष्ट किया जाए।

(ख) "४००० रुपये" के लिए "८००० रुपए" आदिष्ट किया जाए।

६. परिच्छेद २ भाग (ख) (२) में

"९० दिन" के लिए "१८० दिन" आदिष्ट किया जाए।

७. परिच्छेद २ के भाग (ट) के पश्चात् :

"(ट ट) किसी वर्तमान विमान मार्ग व्यवसाय की जोड़ी निधियां पेशगियां, पहले दिए व्यय अथवा निश्चित तिथि को ऐसे व्यवसाय को दिए जाने वाले लाभ।"

निविष्ट किया जाए।

श्री तुलसी दास: मैं समझता हूं कि विकास पर व्यय करने वाले व्यवसायों को वास्तविक प्रतिकर नहीं दिया गया।

श्री जगजीवन राम : हम भी कुछ कहने लगेंगे, अगर वह यह सवाल उठाएंगे।

श्री तुलसी दास : विमान के ढांचे का मूल्य विदेश में बहुत अधिक है। मैं प्रतिवेदन में से बता सकता हूं....

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को चेतावनी दे दूं कि यदि वे दो तीन मिनट और बोले तो संभव है कि उन के संशोधनों पर मत न लिया जाये क्योंकि अभी माननीय मंत्री ने उत्तर भी देना है । उन्हें संक्षेप से कहना चाहिये ।

श्री तुलसी दास : मैं दो तीन मिनटों में स्पष्ट नहीं कर सकता इस लिये मैं यह विषय निर्णय के लिए मंत्री पर छोड़ देता हूं ।

सभापति महोदय : श्री सारंगधर दास ।

श्री सारंगधर दास : यद्यपि साधारण अंश-भागी को अंश भाग मिलेगा परन्तु हमें करदाताओं के हितों की भी रक्षा करना है। ३० जून १९५२ के मंडी मूल्य के आधार पर अंश-भाग का मूल्य निर्धारण होना चाहिये । रिज़र्व बैंक के अंशदानों का भी ऐसा उदाहरण है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं ।

श्री जगजीवन राम : श्रीमान मैं कुछ नहीं कहना चाहता । दो बार इस पर चर्चा हो चुकी है और मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

अनुसूचि में उपरोक्त संशोधनों को स्वीकार किया जाए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि अनुसूची विधेयक का भाग हो ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १, शीर्षक और अधिनियम सूत्र यक में जोड़ दिया गया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री जगजीवन राम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए।"

मैं इस अवसर पर माननीय सभासदों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं । सभा के सब भागों के सहयोग द्वारा ही इस विधेयक को शीघ्र पारित किया जा सका है । मेरा सदा ही यह विचार रहा है कि संघठित श्रम का ऐसा व्यक्ति प्रत्येक निगम में लिया जाए जो चाहे उन का प्रतिनिधि न हो, परन्तु श्रमिक जातियों में कार्य करने के कारण प्रसिद्ध हो । और मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं ने कल इस विषय पर कहा था उस के पश्चात् श्रम के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं थी ।

मैं सदन के सब भागों के सहयोग का धन्यवाद करते हुए आशा करता हूं कि सदन बाहर भी हमारा सहयोग देता रहेगा जिस से राष्ट्रीयकरण के इस पहले पग पर सफलता मिल सके और भविष्य में और आर्थिक क्रान्तियां की जा सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (उत्तर-पूर्व कलकत्ता) : यद्यपि इस विधेयक के सिद्धान्त देश हित के लिये हैं और इसी कारण हम इस का स्वागत भी करते हैं। तो भी जिस रूप में यह अब तक सदन के सामने रखा गया है, उस में बहुत कुछ उन्नति करने की अवश्यकता है । माननीय मंत्री के आश्वासन से, कि छटनी तथा बेकारी के विरुद्ध कार्य करेंगे, हमें पूर्ण संतोष नहीं हुआ। उन्हों ने दो कारपोरेशन शुरू करने की बात की, जो कि बहुत से कर्मचारियों की आन्तरिक स्थिति पर निर्भर है, तथा उस के पीछे कुछ उथल-

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

पुथल वाली बात समझ में आती है। उन्हों ने शिल्पिक कर्मचारियों को निगमों में लगाये रखने के लिये कहा, तथा अशिल्पिक कर्मचारियों की छटनी के बारे में कोई आश्वासनपूर्ण बात नहीं की। सरकारी वृत्तों से छटनी के सम्बन्ध में कुछ लाभपूर्ण कार्य होता दिखाई नहीं देता। पहले भी असैनिक विमान-चालक बेकार हैं। इन के प्रशिक्षण के लिये सरकार को तथा विद्यार्थियों को भी बहुत सा धन खर्चना पड़ता है। परन्तु बहुत से भारतीय व्यापारिक विमान-चालक बिना काम के हैं। मैं सरकार का ध्यान डायरैक्टर जैनरल आफ सिविल एविएशन के पत्र की ओर जो उन्हों ने एक व्यापारिक विमान चालक को उसे काम दिलाने में अपनी असमर्थता प्रकट करने पर डाला था, दिलाना चाहता हूं। उस व्यक्ति को इन के द्वारा ही प्रशिक्षण मिला था इन को कार्य नियोजित करने के बारे में कभी गम्भीर विचार किया ही नहीं गया। अतः आवश्यकता है हवाई सेवाओं को बढ़ाने की। माननीय मंत्री ने श्री टाटा का शानदार स्वागत किया, जिस के लिये मैं नहीं समझता कि क्या वे मान के पात्र थे। परन्तु हम इस प्रकार का कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री हमारी विचारधारा को समझते नहीं, परन्तु हम उन व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं चाहे सिंधिया हो चाहे टाटा, बिड़ला। एक ओर छटनी तथा दूसरी ओर सरकारी अनुदान तथा सहायता के द्वारा ये उद्योग महानेता अपने अनुभव का प्रदर्शन करना चाहते हैं। निस्सन्देह कुछ अच्छे नियोजक भी हैं, जो अनुभवी भी हैं। परन्तु हमें तो देश के लिये सामूहिक शिल्पिक तथा अशिल्पिक कर्मचारियों के सहकार्य से देश में वायु-पद्धति को बढ़ाना है।

कलकत्ता के एक साप्ताहिक में छपी खबर की ओर मैं ध्यान दिलाता हूं कि एक विशेष कम्पनी जो देश की गैर सरकारी कम्पनियों में सब से बड़ी है उस ने दो बिल बनाये, एक अमरीकी कम्पनी को पैसे देने के लिये, और दूसरा उस से दुगने दामों का, जो कि सरकार को रकम लेने के लिये पेश करना था। भाव यह था कि १०० डालर की अपेक्षा २०० डालर प्राप्त कर लिये जायं। हम इस लेख्य की सचाई के सम्बन्ध में नहीं कह सकते, परन्तु यह बड़ी शोचनीय बात है। देश में हुए औद्योगिक विकास को भी ये अपने कारण समझते हैं और वायु-संचालन-पद्धति के मालिकों को जो भाग अब दिया जाने वाला है, उस के मुख्य लाभ को लेने के लिए तैयार बैठे हैं।

मुआवजे का आधार भी बदला जाना चाहिए, और सरकार इस की ओर ध्यान दे। इन शिल्पिक योग्यता वाले लोगों की बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है जिस से हमारे उद्योग अधिक उत्तमता से चल सकते हैं। अर्थात् विदेशी आयात से ईंधन, तेल और पुर्जे मंगवाने से खर्च, अधिक होता है। सरकार इस की ओर भी ध्यान दे। वायु-यातायात-बिधान समिति के हिसाब के अनुसार ३७ से ४० प्रतिशत ईधन और तेल पर खर्च होता है परन्तु वास्तव में खर्च इस से भी अधिक है। और विदेशी फ़र्मों को बरमा शैल, स्टैण्डर्ड वैक्यूम और कालटैक्स को अत्यधिक लाभ हो रहा है। सरकार इस की भी योग्य जांच-पड़ताल करे।

पुर्जे बनाने का सफल प्रयत्न भारतीय एयरक्रैफ्ट द्वारा किया जा सकता है। हमें पता है कि आस्ट्रेलिया वालों को ईंधन और तेल हमारी अपेक्षा सस्ते दामों पर दिया जाता है। हमें अपनी आवाज़ इस के विरुद्ध उठानी चाहिए और इन कम्पनियों को दाम भी सरकार की सलाह ले कर ही निश्चित करने चाहिएं। तथा हमें इन के अतिरिक्त और साधन भी ढूंढने चाहिएं, जैसे इटली आदि देश

रूस और रुमानियां से सस्ते दामों पर ईंधन और तेल खरीदते थे। पुर्जे भी हमारी अपनी फैक्ट्रियों में बनाये जा सकते हैं। बाजार में एयरक्रैफ्ट बेचा जाता है, जिसे खरीदना हमारे लिये सस्ता है। हमें इस दिशा में संभवताओं की जांच करनी चाहिए।

बीमा के बारे में भी यह है कि भारतीय बीमा कम्पनियों के द्वारा सारा लाभ विदेशी कम्पनियों को जाता है। यदि सरकार इस कार्य को हाथ में ले, तो अधिक बचत हो सकती है। वायु सेवाओं की विस्तृति से एक तो भाड़ा कम हो जायगा दूसरे हम कई स्थानों को भी एक दूसरे से मिला सकेंगे। भारत में विदेशियों द्वारा वायु सेवाओं में भाग के बारे में श्री टाटा ने भी कहा था कि वे भारतीयों की अनुपात से भी अधिक भाग ले रहे हैं। अतः हमें प्रत्येक अनावश्यक माध्यमिक एजंसियों को हटा कर वायु-पथ का विकास तथा बचत करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के सहयोग को प्राप्त करें। माननीय मंत्री के वक्तव्य की प्रतिक्रिया में मैं कहना चाहता हूं कि सी०ए०डी० कार्यकर्ताओं का संघ शतप्रतिशत व्यापार-संघ है। ये शिल्पिक योग्यता वाले हैं और वायु सेवा का योग्य संचालन करते हैं। सरकार इन के सहकार्य को स्वीकार करे। यदि ऐसा सरकार नहीं करती, तो वायु सेवा का देशीयकरण केवल मात्र एक ढकोसला है।

यदि हम वास्तव में देशहित के लिए वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे सहकार्य को स्वीकार कर के वायु सेवा को बढ़ाना चाहिये। तब हम विदेशी प्रतिद्वन्दियों के मुकाबले में ठहर सकते हैं, और बर्माशेल, स्टेण्डर्ड वैक्यूम की तरह स्वनिर्धारित हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लक्षमैया। मैं उन को बुलाऊंगा, जिन्हों ने प्रारम्भिक अवस्थाओं में वाद विवाद में भाग नहीं लिया।

श्री सारंगधर दास : मैं ने बिल्कुल भाग नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को तीन मिनट।

श्री लक्षमैया (अनन्तपुर) : मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक को रखने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो कि देश के बाल उद्योग में से है और भविष्य में मुख्य उद्योग बनने वाला है तथा रक्षा की दूसरी पंक्ति भी। यह उद्योग प्रारम्भ से ही अच्छा रहा, परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यह बहुत चमक उठा। परन्तु इस की फिर दशा बिगड़ गई और अब पुनः सरकार इस उद्योग की ओर ध्यान दे रही है। विधेयक में दो निगम बनाने की योजना है एक भारतीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। एक अथवा दो सभापतियों के अधीन और केन्द्र द्वारा नियुक्त सदस्यों की संरक्षणता में सहकार्य से कार्य चलावें। तब यह उद्योग सस्ता तथा अच्छे प्रकार से चल सकता है। इस को व्यापार-पद्धति पर चलाया जावे, परन्तु लोक हित के लिए। तभी ये वायु सेवाएं आर्थिक आधार पर खड़ी रह सकती हैं।

हमारे देश की अच्छी ऋतुओं के कारण जहाज वर्ष में मौनसून पवनों की ऋतु को छोड़कर, लगातार ठीक उड़ सकते हैं, अतः यह योजना बड़ी सफल हो सकती है और आदर्श स्थापित कर सकती है।

विवाद इस बात पर था कि आया दो निगम हों अथवा एक। माननीय मंत्री ने निर्णय किया है कि प्रारम्भ में दो ही निगम स्थापित किये जायं और जब वे दोनों संतोषपूर्ण कार्य करने लग जायें, तो उनको एक में ही मिला दिया जायगा, जैसा कि यू० के०, आस्ट्रेलिया आदि में।

मुआवजे के सम्बन्ध में श्री चटर्जी ने हिस्सेदारियों की सहायता का सुझाव रखा, सो यह ठीक है। कारण अधिकतर छोटे हिस्से-

[श्री लक्षमैय्या]

दार हैं, जिन्हों ने अपनी आमदनी से लाभ के निमित्त इस काम को बढ़ाया। मुझे आशा है कि हिस्सेदारों को उचित भाग मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता कि उन्हों ने साहस के साथ इस विधेयक को रखा तथा पास करवाया। मुझे आशा है कि यह उद्योग अच्छी उन्नति करेगा और व्यापार-समवाय तथा जनहित सेवा की दृष्टि से योग्य रूप से फलीभूत होगा।

श्री बंसल : मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक वक्ता के पश्चात दूसरा वक्ता बोल कर चला जाता है; परन्तु उन के पश्चात बोलने वाले की कोई सुनता नहीं। इस के बारे में नियम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने बार बार कहा है कि माननीय सदस्य जो बोलने के लिये उत्सुक हैं, वे उत्तर को तो अवश्य सुनें। मुझे समझ में नहीं आया कि अपील करने के अतिरिक्त और किस ढंग से इस का नियंत्रण करूं।

श्री वैंकटारमन (जंजोरी) : उन को फिर मत बुलाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन सहमत है, तो मैं उन लोगों के नाम लिख लूंगा, जो दो तीन मिनट का अवकाश न देते हुए बोल कर चल देते हैं। तथा दलों के नेताओं से परामर्श कर के भविष्य में इसी प्रथा को अपनायेंगे।

श्री गाडगिल : मेरा विश्वास है कि इस पर पूर्णतया पालन न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अशुद्ध है। यह सदन का अपमान है। माननीय सदस्यों को यदि अत्यन्त ही आवश्यक काम के लिये जाना है, तो वे अध्यक्ष से आज्ञा लेकर जा सकते हैं, परन्तु उन को अवश्य सुनना चाहिए, कि दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं। कुछ व्यक्ति बोलने को उत्सुक हैं। मैं श्री ठाकुर दास भार्गव को बुलाऊंगा। दूसरे वक्ता अपने भाषण को दो तीन मिनट में ही समाप्त करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का बहुत मशकूर हूं और मैं तीन मिनट से ज्यादा लूंगा भी नहीं। मैं गवर्नमैंट को और आनरेबुल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने एक ऐसी खूबसूरत आरगनाइज़ेशन पैदा की है जिस से कि हम को उम्मीद है कि न सिर्फ इस सारे हाउस के अन्दर, बल्कि सारे देश में बड़ा इतमीनान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सारंगधर दास को भी बुला रहा हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं साथ ही यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो क्रिटीसिज्म अभी हमारे अपोज़ीशन के लीडर साहब ने की है, वह वाजिब और माकूल नहीं है। चन्द ही रोज़ हुए हमारे श्री बुरागोहिन ने फ़ीगर्स दी थी कि आस्ट्रेलिया के मुक़ाबले में हम को तेल महंगा नहीं मिलता है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह हमारी बदक़िस्मती है कि इतना खूबसूरत नक्शा इस देश में पैदा हुआ, लोगों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन उस सुन्दर नक़शे में एक काला टीका अब भी रह गया और वह काला टीका शायद इसलिए रक्खा गया है कि इस को नज़र न लग जाय। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने उस को हटाने के लिए पूरी कोशिश की और मैं अब भी उन बेचारे छोटे शेयर होल्डर्स का केस आनरेबुल मिनिस्टर साहब की खिदमत में रखना चाहता हूं और उन के लिए हमारे एन० सी० चटर्जी और गाडगिल साहब ने ला मिनिस्ट्री से मिल कर इस बात की कोशिश की कि किसी तरह से उन आर्डिनरी शेयर होल्डर्स का भला हो सके और वह किसी हद तक शायद इस में कामयाब भी हुए हैं, आज सारा देश इस आप के आरग-

नाइज़ेशन के नक़शे से खुश है, लेकिन यह बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है कि जो आर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उन को बड़ी तक़लीफ़ है और चाहिए यह था कि आज जब क़रीब दस करोड़ रुपये की लागत का माल आप को पांच करोड़ में मिलने जा रहा है, तो हमें यह देखना चाहिए था कि वह छोटे शेयर होल्डर्स जिन की तादाद कई हज़ार बतलायी जाती है, भारत ऐयरवेज़ में सारे कम्पनियों के शेयर होल्डरों को मिला कर उन से दुगनी तादाद है उन को कुछ रिलीफ़ दिया जाता। उन की अर्जी में दर्ज़ है कि उन के साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि उन के दो स्काई मास्टर की क़ीमत आज पचास लाख रुपये बतलायी जाती है, अगर उन को पांच लाख रुपये की और रिलीफ़ दी जाती, तो वह बेचारे भी इस खुशी में शामिल हो जाते, मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि अब भी वक्त नहीं गया है कि आनरेबुल मिनिस्टर इस तरफ़ ध्यान दें और हर आर्डिनरी शेयर होल्डर को कम अज़ कम पचास परसेंट पेड अप कैपिटल वे दें। जहां तक प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर्स का ताल्लुक है, मुझे उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बारे में ज़रूर आप की तवज्जह दिलाऊंगा ताकि उन को भी इस में कुछ इंसेंटिव रहे, ग़रीब आदमी भी समझें कि हम ने इस कंसर्न में कुछ दिया है और अगर वह उस कंसर्न के मालिक न रहे तो कम से कम उन को नुकसान पचास परसेंट से ज्यादा तो न हो, इस वक्त जो वह लोग सैक्रीफाइस करते हैं, वह दूसरे लोगों के मुक़ाबले में बहुत ज्यादा है और यह बहुत मुनासिब और माकूल चीज़ होगी अगर उन आर्डिनेरी शेयर होल्डर्स के साथ जितना इंसाफ़ मुमकिन हो वह किया जाय। आखिर शेयरज की पोटिनशल क़ीमत का ठीक अन्दाजा हो ही नहीं सकता।

श्री तलसी दास : मेरे मित्रों ने कहा कि उद्योग को चलाने वाले इसे ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं। परन्तु इस उद्योग को कठिनाइयां भी तो बहुत झेलनी पड़ी हैं, जो वायु-अनुज्ञप्ति यातायात-मण्डल द्वारा खड़ी की गई थीं। मण्डल को देखना चाहिये था कि वे कम्पनियां मितव्ययिता से काम करती हैं। राजाध्यक्ष समिति ने इस उद्योग की सेवाओं के बारे में दाद दी है। और कहा था कि यह सफल उद्योग है। सहायता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को हवाई लाइनों से अधिक आय हुई है। केवल पैट्रोल कर से ही १,२०,००,००० रुपये एक वर्ष में आय हुई है। आय की तुलना में अनुदान की रकम बहुत कम है। वायु-निगमों के लिये योग्य प्रबन्ध, स्वयं-स्फूर्ति तथा उत्तरदायित्व की भावना तथा शीघ्र निर्णय करने की शक्ति आवश्यक है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये निगम किस प्रकार इन समितियों के परामर्श से कार्य कर सकेंगी। मैं माननीय मंत्री से यह जोरदार बात कहूंगा कि इस उद्योग को अच्छी प्रकार से चलाने के लिये इस के कार्य में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन को निर्णय करने का अपना अधिकार होना आवश्यक है।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : इस विषय पर बोलने के लिये अवसर देने पर मैं आप का आभारी हूं। यद्यपि राष्ट्रीयकरण की ओर उठाया गया यह कदम अभ्यर्थनीय है तथापि मैं इस विधेयक की प्रशंसा के पक्ष में नहीं हूं। इस के अनेक कारण हैं। प्रथम निगम (कारपोरेशन) की संख्या से सम्बन्धित है। निगम एक होना चाहिये अथवा दो। प्रवर समिति तथा सदन में इस विषय पर विशद वाद-विवाद किया जा चुका है।

मुझे केवल एक बात कहना है। मंत्री जी को यह तथ्य स्वीकृत है और अन्य प्रत्येक व्यक्ति भी इस से एकमत हैं कि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल का कार्य अत्यन्त निपुणता के साथ

[श्री सारंगधर दास]

संचालन हो रहा है, यह यात्रीवर्ग को जिन में कि अधिकांश विदेशी हैं सुखद सेवा प्रदान कर रहा है तथा बाहर के यात्रियों ने इस की भूरि भूरि प्रशंसा की है। दो निगम (कारपोरेशन) स्थापित करने के निश्चय के समय माननीय मंत्री जी के समक्ष मेरा यह सुझाव है कि वह टाटा द्वारा प्रयुक्त व्यवस्था के उन्नत स्तर और कार्यकुशलता को विस्मरण न होने दें जिस के लिये हम उन की प्रशंसा करते हैं। उन की विशेषताओं को आन्तरिक विमान यात्रा में समाहित करना चाहिये तथा टाटा के अनुभव से लाभान्वित होना चाहिये। मेरा विचार है यह बात भुला दी गई है।

कम्पनियों को मुआवजा देते समय कर देने वालों के हितों की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। अनुपात से परे मुआवजा देने में कोई लाभ नहीं है। घोषणा करने की तिथि के समय शेअरों का मूल्य देख कर ही मुआवजा दिया जाना उचित है।

निगम की सभी श्रेणियों पर श्रम प्रतिनिधित्व के सहयोग की आवश्यकता है।

किसी समय श्रम विभाग के एक मंत्री जी सदैव यह कहते थे कि श्रमिकों को उचित अधिकार दिया जाना चाहिये और वह सब प्रकार की वैधानिक क्रियाओं से इस ओर प्रयत्नशील थे।

श्री बी० एस० मूर्ति : उन्हें लाभ में भी सम्मिलित करना चाहिये।

श्री सारंगधर दास : अब एक नवीन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। मंत्री महोदय कदाचित यह भूल गये हैं कि वह स्वयं कभी श्रम मंत्री भी थे। इस का अर्थ यह हुआ कि हमारे मंत्री और हमारी सरकार सुन्दर शब्दावली का प्रयोग करते हैं किन्तु यथार्थ जगत में वह भयास्पद हो जाते हैं। उन की धारणा है कि कहीं श्रमिक वर्ग इस निगम को ध्वंस न कर दे। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के समय श्रमिकों से इस प्रकार सहयोग स्थापित किया था कि उन्हों ने सरलतापूर्वक शान्तिकालीन उत्पादन को युद्धोपयोगी उत्पादन में परिवर्तित कर दिया। सरकार को उन में विश्वास था और यही कारण था कि उन्हों ने अंग्रेज़ों के साथ पूर्ण सहयोग किया। श्रमिक-सहयोग के परिणामस्वरूप ही अंग्रेज़ों ने सफलता प्राप्त की तथा युद्ध में विजयी हुए। भावी मार्गदर्शन की दृष्टि से मंत्री महोदय के सामने मेरा यह सुझाव है कि वह श्रमिक वर्ग पर विश्वास करें भले ही वे किसी भी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हों। जब कभी संभव हो गुप्त मत पत्र द्वारा श्रम प्रतिनिधित्व निर्धारित करना चाहिए। कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को निगम का सदस्य नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जो श्रम से सहानुभूति रखता हो। इस का अर्थ है वह व्यवस्था से अलग कोई बाहरी व्यक्ति है। किन्तु यदि आप इस कार्य के लिये कम्पनी के ऐसे कर्मचारी को लेते हैं जिसे श्रम का विश्वास प्राप्त है तो कोई विरोध नहीं होगा।

इस के पश्चात वेतन के विभिन्न स्तरों का प्रश्न है। कुछ कम्पनियां अधिक वेतन देती हैं और कुछ कम। इन सब का एकीकरण हो जाने पर वेतन की इन असमान दरों का क्या होगा। मेरा विचार है कि एयर इंडिया की दरें एक समान हैं और महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में भी वे काफी उदार हैं। वेतन वृद्धि न करने के अतिपय कारणों को छोड़कर उन का स्तर सब श्रमिकों के लिये सन्तोषजनक रहेगा। कुछ कम्पनियां चालकों को यद्यपि अधिक वेतन देती हैं टाटा का स्तर प्रायः एक समान है। वेतन का स्तर इस भांति निर्धारित होना चाहिये कि सब श्रमिक संतुष्ट हो सकें

और किसी को यह अनुभव न हो कि इस एकीकरण के परिणामस्वरूप उसे कुछ हानि हुई है।

श्री पोकर साहेब (मलाप्पुरम) : वाद-विवाद की अन्तिम बेला में बोलने का अवसर देने के लिये मैं आप का आभारी हूं। मैं अपने विचार केवल एक ही विषय तक सीमित रखूंगा।

सम्पूर्ण वादविवाद के मध्य राष्ट्रीयकरण शब्द का अनियंत्रित उपयोग किया गया है। किन्तु विधेयक की ओर दृष्टिपात करने पर उस में कहीं भी राष्ट्रीयकरण नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि निगम निर्माण करने की अपेक्षा सरकार को स्वयं ही इस उद्योग का संचालन करना चाहिये। वे उस कार्य से क्यों पीछे मुड़ रहे हैं। सरकार इसे या तो किसी निजी उद्योग के उत्तरदायित्व पर छोड़ देती अथवा स्वयं ही प्रवीणतापूर्वक इस की व्यवस्था करती। एक अथवा दो निगम की रचना केवल एक प्रहसन की रचना है। क्या सरकार रेलों का संचालन नहीं कर रही है? क्या रेलों की व्यवस्था कुशलतापूर्वक नहीं हो रही है? यह कार्य न्यायसंगत है और सरकार अपने उत्तरदायित्व से सरक रही है। उदाहरणार्थ कोई दुर्घटना हो जाती है तथा कुछ व्यक्ति मर जाते हैं और इस की हानि पूर्ति के दावे प्रस्तुत होते हैं? मैं पूछता हूं न्याय की दृष्टि से कौन उत्तरदायी है? सरकार नहीं किन्तु कारपोरेशन। यदि इन कारपोरेशनों के पास निधि नहीं है और हानिग्रस्त व्यक्ति उस की पूर्ति मांगते हैं तो उन्हें केवल कारपोरेशन द्वारा अधिकृत रकम में से ही कुछ मिल सकता है। अतः इन सब का उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिये।

वस्तुतः सरकार इस का संचालन कर रही है किन्तु विधान की दृष्टि से निगम इस के लिये उत्तरदायी रहेंगे। इस दृष्टि से जनता को हानि उठाना पड़ेगी।

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : इस विधेयक पर हुई वादविवाद में भारतीय संसद् में स्मरणीय बहस की सृष्टि की है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये संचरण मंत्री बधाई के पात्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी के सम्बन्ध से सर्वथा स्वतंत्र रह कर युक्त रूप से इस बहस में भाग लिया है।

निजी उद्योग प्रायः समाप्त हो गया है। उस की उपादेयता का अन्त हो गया है। आर्थिक उन्नति में वह अवरोध है। इस विधेयक ने नवीन भविष्य का सूत्रपात किया है। इस से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि हम भविष्य में अपने उद्योगों का संचालन किस प्रकार करेंगे।

वर्तमान बहस एक अत्यन्त असाधारण घटना की साक्षी है। मैं सदन को कलकत्ता के समीप हुई वायुयान दुर्घटना की याद दिलाता हूं। हम अंग्रेजों के ऋणी हैं। इस विधेयक में ब्रिटिश अधिनियम के अनेक अनुबन्ध हैं। नभ प्रागंण की विजय के लिये हम उन के आभारी हैं। उस वायु दुर्घटना के रूप में उन्हों ने अद्भुत बलिदान किया है। स्त्रियों और बच्चों के साथ ही इस में दो फुल ब्राइट छात्र भी मारे गये हैं।

जिन लोगों ने बलिदान किया है, उन की स्फूर्ति तथा बलिदान से हम लोगों ने लाभ उठाया है। अंग्रेज और दूसरी जाति के लोगों ने वायु पर विजय पाई। मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि कुल कितनी हानि हुई। इंगलैंड में हानि ४० मिलियन पौंड के लगभग हुई। भारत में कम्पनियों द्वारा उठाई गई हानि का यदि ज्ञान होता, तो सदन इस दिशा में ध्यानपूर्वक विचार कर सकता। कई कम्पनियां हिसाब में गड़बड़ कर के

[श्री जोशिम अलवा]

अधिक लाभ उठाती हैं और हिस्सेदार इस से हानि उठायेंगे । वायु लाइनों के लेने से ही काम नहीं चलेगा, अपितु अच्छे हवाई अड्डों की भी आवश्यकता है । रेडियो संचार, सिगनल की लाइन भी ठीक होने चाहियें । रोशनी का उचित प्रबन्ध भी होना चाहिये । पिछली के० एल० एम० दुर्घटना के उपरान्त ही इस ओर ध्यान दिया गया है । किसी भी विदेशी को इस दिशा में शिकायत करने का कारण नहीं मिलना चाहिये । इंगलैंड में निगमों का विलीनीकरण के समय व्यापार को बढ़ाने के लिये छंटनी को नहीं अपनाया गया । शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए व्यक्तियों को हटाया नहीं जाना चाहिये । गलाइडिंग और फ्लाइंग क्लबों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्री जगजीवन राम : यह यहां समयानुकूल नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, सदस्य का समय पूरा हो चुका।

श्री जोशिम अलवा : इन फ्लाइंग क्लबों की सहायता की जानी चाहिए, ताकि हमारे युवक प्रशिक्षित हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का समय पूरा हो चुका है । मैं मंत्री को बुलाता हूं ।

श्री जोशिम अलवा : तीसरी सीमा रेखा हवाई रेखा है । असैनिक विमान संचालन बायां हाथ और सुरक्षा विमान संचालन दायां हाथ है । असैनिक विमान विभाग को लेकर देश में वास्तव में अधिक शक्तिशाली बन सकेगा ।

श्री जगजीवन राम : मैं केवल मुआवजे के सम्बन्ध में कहता हूं कि छोटे हिस्सेदारों को इस से लाभ ही होगा । उन को उस से अधिक मिलेगा, जितना उन को कम्पनियों में रहने से मिलता है । हम उनको ३½ प्रतिशत सूद का भी आश्वासन देते हैं । इस मुआवजे की पद्धति से उन को लाभ ही होगा । मुझे भारत एयरवेज लिमिटेड का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने साधारण हिस्सेदारों के उचित हकों के संरक्षण का विश्वास दिलाया है । विधेयक में किये गये संशोधन के उपबन्धों में सदन को कोई अदला बदली करने की आवश्यकता न रहेगी । यदि भारत एयरवेज का प्रबन्ध इसी प्रकार चलता रहा ।

एच० एन० मुखर्जी के कहने को मैं ध्यान में रखूंगा और पुर्जे बनाने का यत्न भी करेंग । और अधिक से अधिक पुर्जे अपने देश की फैक्टरियों में बनवायेंगे । उन्हों ने कहा कि मैं उन की विचारधारा को नहीं समझता, सो ठीक है । हमारा अपना ढंग है उन का अपना । मैं श्रमिक वर्ग में विश्वास रखता हूं और उन के विचारों को जानता हूं । विरोधी दल के सदस्यों को इस बात का पता होना चाहिये ।

श्री नम्बियार : व्यवहार में अवश्य ही होना चाहिये ।

श्री नामधारी : हां, हमें विश्वास है ।

श्री जगजीवन राम : मैं श्रमिक लोगों में विश्वास रखता हूं : क्योंकि उन में कृत्रिमता नहीं होती । उन के सामने साफ साफ बातें रख दो तो वे निर्णय स्वयं कर सकते हैं । वे कभी भी देश विरोधी कार्यवाहियों में भाग नहीं लेंगे । यदि उन के तथाकथित नेता उन को न बहकायें, तो उनको जो समय समय पर आपत्तियां झेलनी पड़ती हैं, न झेलनी पड़ें ।

श्री नम्बियार : आप उन को श्मशान की शान्ति देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे सदस्यों को भी अनुभव होगा । अतः प्रत्येक को कहने का हक है ।

श्री जगजीवन राम : मैं सदा श्रमिकों और मजदूरों में ही हित रखता हूं। परन्तु मैं माध्यमिकों द्वारा उन के साथ व्यवहार करने में हित नहीं समझता।

श्री गाडगिल : उन के नेताओं के साथ व्यवहार करने में ?

श्री नामधारी : उन के व्यवसायी माध्यमिकों द्वारा।

श्री जगजीवन राम : मैं माध्यमिकों को बीच से निकालना चाहता हूं, और मैं ने इसे कभी भी गुप्त नहीं रखा चाहे वे माध्यमिक किसी भी राजनैतिक दल के क्यों न हों। यह श्रमिक वर्ग के लिये अच्छा ही है।

श्री रघुनाथ सिंह (बनारस जिला-केन्द्रीय) : देश के लिये भी।

श्री जगजीवन राम : मैं तो कहूंगा कि विश्व शान्ति के लिये भी।

श्री नम्बियार : हवा में उड़ते हुए ?

श्री जगजीवन राम : मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, अत : मैं सदन के सब दलों को धन्यवाद देता हूं।

मैं जानता हूं कि हम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेने जा रहे हैं--वह उत्तरदायित्व जिस की असफलता या सफलता पर बहुत कुछ हद तक इस देश के भविष्य का आर्थिक नमूना निर्भर करता है। और इसी लिये उन सभी का यह प्रयत्न होना चाहिये जो चाहते हैं कि देश का वर्तमान ढ़ांचा, जो बहुत हद तक अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुका है, उन्नति करे और इस उपक्रम को सफल बनाने में लगनपूर्वक सहयोग दे सके। हम लोगों में मत भेद हो सकता है और मत भेद रहेंगे ही इस के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता किन्तु इस राष्ट्रीय उपक्रम को सफल बनाने में हमारा अन्तिम ध्येय सामान्य प्रयत्न करना होना ही चाहिये इस में सन्देह नहीं, और मैं केवल यही आशा करूंगा कि मुझे इस विधेयक के पारण करने में मुझे जो सहायता हुई है, निगमों को भी वही सहायता प्राप्त होगी उन के कार्य के उत्तरदायित्व को सफल बनाने में भी सहायक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक जैसा संशोधित किया गया, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक स्थगित होगी और चार बजे अपरान्ह से पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् सदन की बैठक चार बजे अपरान्ह तक के लिए स्थगित हो गई।

सदन की बैठक पुनः चार बजे अपरान्ह से समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे।]

राज्य परिषद से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव द्वारा प्राप्त दो निम्न संदेश पढ़ कर सुनाने हैं :

(१) मुझे लोक सभा को सूचना देने का आदेश मिला है कि राज्य परिषद् ने ७ मई, १९५३ को होने वाली बैठक में बिना किसी संशोधन के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक, १९५३ जो लोक सभा द्वारा उन की २९ अप्रैल, १९५३ की बैठक में पारित किया गया था स्वीकार कर लिया है।

(२) मुझे पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोजन (संख्या २) विधेयक,

[श्री सचिव]

१९५३ जो लोक सभा द्वारा २ मई, १९५३ को होने वाली बैठक में पारित किया गया था, और जिसे राज्य परिषद् को उस की सिफारिशों के लिये भेजा गया था लौटाने और यह कहने का आदेश किया है कि राज्य परिषद् को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

चाय विधेयक

वाणिज्य तथा यातायात मंत्री (श्री **टी० टी० कृष्णमाचारी**) : इस के पूर्व कि आप प्रारम्भ करें श्रीमान्, क्या मैं एक सुझाव रख सकता हूं । सामान्य वाद विवाद चल रहा है । कुछ विषयों में छोड़ कर शेष अधिकतर वाद विवाद विधेयक के कार्य करने पर होगा जो बाद को होना चाहिये । और यह कार्य को बहुत हल्का कर देगा यदि सामान्य वाद विवाद कुछ संक्षेप में कर दिया जाय । हम को सवा दो यों ही घंटे व्यतीत हो चुके हैं। हम खण्डवार विवाद कर सकते हैं और तृतीय वाचन की अवस्था में अधिनियम की कार्य-पद्धति पर लगभग दो घंटे व्याख्यानों के लिये समय दिया जा सकता है । तृतीय वाचन वाद विवाद यदि आवश्यक समझा गया तो कर्ल किया जा सकता है । यदि ऐसा कुछ प्रबन्ध किया जा सके, तो कार्य में सुविधा हो जायेगी और आज हम इस का द्वितीय वाचन समाप्त कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को इस में कोई आपत्ति नहीं है । दो घंटे पहले ही समाप्त हो चुके हैं । छः घंटे और शेष हैं । पूरे खण्डवार वाद विवाद करने से लगभग तीन घंटे लग जायेंगे ।

श्री **टी० टी० कृष्णमाचारी** : दो घंटे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार वाद विवाद कर सकते हैं । मैं तृतीय वाचन में यथासम्भव अधिक से अधिक समय देने का प्रयत्न करूंगा । कोई भी सदस्य अनावश्यक न बोल सकेगा उस अवस्था में । प्रश्न केवल यह है कि यह कार्य इस समय होना चाहिये अथवा उस अन्तिम अवस्था पर हमें खण्डों पर विचार करना चाहिये ।

श्री **पुन्नूस** (ऐलेप्पी) : भाषण के बीच में ?

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण मध्य में में समाप्त करने को तत्पर नहीं । हमें अब श्री मुकर्जी का भाषण इस पर सुनना चाहिये ।

श्री एच० एन० मखर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस समय हमें वाद विवाद पर एक घण्टा देना चाहिये । तथा अगले दो घण्टे खण्डवार विवाद के लिये ।

श्री के० के० बसू : तीन घंटे तृतीय वाचन में ।

उपाध्यक्ष महोदय : अवशेष घण्टे तृतीय वाचन में ।

श्री **टी० के० चौधरी** : मैं ने चाय उद्योग में अंग्रेज़ों के एकाधिकार के सम्बन्ध में कहा था और उस की पुष्टि में कुछ तथ्य तथा आंकड़े भी दिये थे, जिन की सूचना माननीय मंत्री को भी नहीं थी । अतः स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । माननीय मंत्री ने बताया था कि हमें इस समस्या का सामना साक्षात रूप से करना है और उद्योग में विदेशी आधिपत्य को भी ध्यान में रखना है किन्तु केवल विदेशी तत्व को निकाल देने से ही समस्या सुलझ नहीं जाती । भारतीय चाय कम्पनियों में अंग्रेजों का चाव भारत की आर्थिक दशा पर अत्यन्त प्रभाव डालता है क्योंकि बहुत कुछ अभी उन्हीं का अधिकार चल रहा है । केवल चाय पर ही नहीं उन का आधिपत्य जूट, कोयला तथा इंजीनियरिंग आदि उद्योगों पर भी बहुत कुछ है । उन का नियंत्रण बहुत कुछ

हमारे विदेशी व्यापार तथा विदेशी व्यापार वित्त पर भी है । । चाय पर तो उन का प्रमुख अधिकार है ही । लन्दन अभी भी अनेक चाय कम्पनियों का मुख्य कार्यालय है । पंचवर्षीय योजना में चाय उद्योग के विकास के लिये कोई स्थान नहीं दिया गया है । चाय हमारा प्रमुख उद्योग है जिस से न केवल हमें आर्थिक लाभ ही होता है वरन् दस लाख लोगों की जीविका भी इसी उद्योग से चलती है । अत: सरकार को चाहिये कि चाय उद्योग का जो संक्रमण काल इस समय चल रहा है उस से शीघ्र ही मुक्ति दिलाने का उपाय करे। राजा राम राव समिति इस की जांच के लिए नियुक्त की गई थी । किन्तु उस जांच का उद्देश्य क्या था यह आज तक ज्ञात न हो सका । समिति का उद्देश्य बाद को सरकार की इच्छानुसार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का था संक्रमण काल के नाम पर ।

माननीय मंत्री महोदय तथा उन के सहयोगी माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिय गये स्पष्ट आश्वासनों को दृष्टि में रखते हुए समिति न्यूनतम मजदूरियों के सीधे पुनरीक्षण के लिये सिफ़ारिश न करने के लिय बाध्य थी । जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था तो माननीय मंत्री ने १५ जुलाई को आश्वासन देते हुए कहा था कि समिति इस बारे में कोई सिफारिश नहीं करेगी और यदि करेगी तो सरकार उन को नहीं स्वीकार करेगी क्योंकि सरकार श्रमिकों के हितों को ज़रा भी जोखिम में नहीं पड़ने देना चाहती ।

माननीय सी० डी० देशमुख तो और भी आगे बढ़ गये । उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाय उद्योग ने सरकार को संकट निवारण के लिय न्यूनतम मजदूरियों को घटाने का सुझाव कभी नहीं दिया । परन्तु यह कथन असत्य है, जैसा कि सरकारी दल के प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाता ह । तथ्य तो यह है कि चाय उद्योग ने सरकार से स्पष्ट कहा था कि या तो निर्यात शुल्क घटाया जाय अथवा न्यूनतम मजदूरियां घटाई जांय । सरकार दोनों ही के लिये तैयार न थी । फलत: उक्त समिति ने चाय उद्योग को केवल यह सलाह मात्र दी कि वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को न तंग करें और न्यूनतम मजदूरियों को घटवान के लिय राज्य सरकार से बात चीत करें ।

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के सदस्य श्री के० पी० त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया था और इस सम्बन्ध में उन का मंत्री महोदय के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ था उस को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार शुरू ही से न्यूनतम मजदूरियों को घटाना चाहती थी । वह कार्य उस ने सीधे न कर के घुमा फिरा कर किया है । इसी सदन में दिये गये न्यूनतम मजदूरियों के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के एक वक्तव्य से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है । उस में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरियों के घटा दिय जाने से चाय उद्योग बच गया ।

इस सम्बन्ध में सरकार की नियत का इस से अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि चाय उद्योग के सम्बन्ध में अभी तक हमारी कोई भी निश्चित राष्ट्रीय नीति नहीं बन सकी है । यह बड़े दु:ख की बात है, विशेषकर जब कि इस उद्योग का हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । सरकार ने इस सम्बन्ध में कभी भी कोई परवाह नहीं की । मैं माननीय मंत्री के शब्दों पर विश्वास कर के यह आशा करता हूं कि वह भविष्य में इस उद्योग के लागत के ढ़ांचे की तथा श्रमिकों की मांगों की भली प्रकार जांच करवायेंगे ।

[श्री टी० के० चौधरी]

अब जब कि उद्योग का संकट काल समाप्त हो गया है, इस बात की भी जांच होनी चाहिय कि कहीं चाय के मूल्यों में इतने घटाव-चढ़ाव के पीछे शक्तिशाली ब्रिटिश हितों का तो हाथ नहीं रहा है ? उन की इस उद्योग में बड़ी प्रधानता है । सरकारी दल ने भी इस विषय में संदेह प्रकट किया है ।

हम को इस उद्योग के लागत के ढ़ांचे की ओर विशेष रूप से देखना है । पर इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बड़ी ही असन्तोष-पूर्ण है । अब जब कि हम एक बोर्ड बनान जा रहे हैं और सरकार को इतनी अधिक शक्ति दे रहे हैं । हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस उद्योग के सम्बन्ध इस शक्ति का क्या प्रयोग करन जा रही है । चाय उद्योग हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिय अत्यन्त महत्व-पूर्ण है । हमारी मांग है कि सरकार इस सदन में यह स्पष्ट रूप से बता दे कि वह इस उद्योग के विकास नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाना चाहती है ।

कुमारी **एनी मस्करीन** (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों से सहमत हूं और विधेयक का समर्थन करती हूं । यह पहला मौका है जब कि सरकार ने विनियमन के द्वारा चाय उद्योग में हस्तक्षेप किया है । यह विधेयक एक लोक कल्याण विनियमन है और इस का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है । इन उतार चढ़ावों से हमारे हितों, उत्पादन और वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इस से चाय उद्योग की स्थिति बहुत अधिक सुधर जायेगी मैं उन लोगों से असहमत हूं जो यह कहते हैं कि चाय एक कृषि उद्योग है अत: वह एक राज्य विषय है— उस में केन्द्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिय। कुछ विधान राज्य के आंतरिक विधान और कुछ अन्तर राज्य विधान कहलाते हैं । राज्य के आन्तरिक विधान के सम्बन्ध में राज्य अपनी सीमाओं के अन्दर नियंत्रित तथा विनियमित कर सकता है । जहां तक चाय उद्योग का सम्बन्ध है वह इस के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि चाय का उत्पादन तो राज्य के अन्दर होता है, पर उस का वितरण और उपभोग राज्य के बाहर भी होता है । अत: उस उद्योग को नियंत्रित करने तथा बिगड़ने से बचाने के हेतु एक अन्तराज्य विधान की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार अमरीका रूस तथा ब्रिटेन में भी इस उद्योग पर नियंत्रण रखा जाता है ।

युद्ध के उपरान्त मुद्रा-स्फीति के काल में यह उद्योग फलता फूलता है । साधारण काल में इस उद्योग में उत्पादन की लागत बढ़ती रही थी और वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया था । दु:ख है कि हमारे व्यापार आयुक्तों ने समय रहते ही इन से बचने के सुझाव देने में अभी तक तत्परता नहीं दिखाई है ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि खंड ३ के भाग (ड) में व्यापार आयोगों का निर्देश नहीं है परन्तु एक वाक्य है "किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के अन्तर्गत"। मेरा आशय यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में केवल हमारा लंदन स्थित व्यापार आयुक्त ही इस में हस्तक्षेप कर सकता है परन्तु उन्हों ने अभी तक भारत के चाय उद्योग के विषय में कुछ नहीं किया है । विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है कि व्यापार आयुक्त लंदन में हमारे हितों के लिये कोई कार्यवाही करेगा ।

ये असाधारण बातें एकाधिपत्यधारी और लाभ-लोभी व्यापारी ही करते हैं । अत: श्रमिकों के विषय में कुछ व्यवस्था होनी चाहिय । इस खंड में निर्वाह मजूरी के

विषय में कुछ नहीं है । खंड में केवल इतना ही है कि उद्योग में नियोजित व्यक्तियों को मंडली में रखा जायगा । श्रमिकों के हितों के रक्षण के लिय अधिक निश्चित बात होनी चाहिये ।

विधेयक के खंड ४, १० तथा ३० से बुराइयां दूर हो जाती हैं। चाय के विकास तथा निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिये चाय बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा भाव नियत करना और अनुज्ञप्तियां देना ये चीजें रखी गई हैं। य बातें प्राय: युद्ध काल में होती हैं परन्तु व्यापार में मन्दा होने के कारण ऐसा करना पड़ गया है ।

मेरे राज्य में ८० प्रतिशत चाय उद्योग यूरोपीयों के हाथों में हैं। उन की वहां जितनी पूंजी लगी है उस से उन्हें कई गुना लाभ हो चुका है। उन का वहां राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव बढ़ता जाता है । गत साधारण निर्वाचनों में हम यह देख चुके हैं। उन का वहां साम्राज्य सा है । सरकार का कर्त्तव्य है कि उन विदेशियों के आर्थिक हितों को समाप्त करे ।

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । यह उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया है। मेरा विचार है कि हाल ही में कीमतों की जो रुकावट हुई थी वह आंशिक रूप में मानव जनित और कुछ अंश तक विश्व परिस्थितियों से उत्पन्न हुई थी । यह आवश्यक है कि अवसर मिलन पर सरकार इस के कारणों की जांच करे। इस औद्योगिक संकट ने वस्तुत: कठिन स्थिति पैदा कर दी थी । मैं चाय बागान के भारतीय स्वामियों को यह स्मरण करा दूं कि अगस्त १९४७ तक हमारे भारतीय व्यावसायिक अपने यूरोपीय साथियों पर बहुत अधिक भरोसा करते थ क्यों कि उन के और भारतीयों के हित प्राय : समान स्तर पर आधारित थे किन्तु सन् १९४७ के पश्चात् भारत सरकार लगभग १० करोड़ रु० वार्षिक की आमदनी प्राप्त करती थी और ब्रिटिश खाद्य मंत्रालय अपने चाय उपभोक्ताओं को १ करोड़ ७० लाख स्टर्लिग पौंड की वार्षिक सहायता देता था; स्वाभाविक था कि अंग्रेज अपने हितों की देखभाल करते थे भारतीय साथियों का उन पर निर्भर रहना व्यर्थ था। उम्मीद है कि चाय बागान के भारतीय स्वामी इस से सबक लेंगे ।

संकट के पूर्व भारत सरकार कर वसूल करने के अतिरिक्त इस उद्योग की ओर अधिक ध्यान नहीं देती थी । जब संघर्ष उत्पन्न हुआ सब व्यक्ति सरकार के पास सहायता के लिये पहुंचे और सरकार ने अनुभव किया कि गुजरे हुए जमाने की भांति वह अब इस उद्योग से तटस्थ केवल दर्शक बन कर नहीं रह सकती। सरकार ने कुछ वादे किये। चाय उत्पादन कर्त्ताओं की बैंक की प्रत्याभूतियों को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। किन्तु सर्वाधिक संघर्षयुक्त सबक सीखा श्रमिकों ने । अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के कुछेक कार्यकर्त्ताओं को छोड़ कर कोई उन की मदद के लिये तैयार नहीं था ।

उस दिन जब कि श्री ए० वी० टामस ने भाषण दिया था मैं ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगा कि जैसे वह भारत के किसी भाग के चाय बागान की प्रतिमूर्ति हो। उन्हों ने कहा कि जब उद्योग रोटी की पुकार कर रहा था उसे पत्थर दिया गया । यदि बागान के स्वामी ही इस तरह की शिकायत करते हैं तो मजदूरों का तो कहना ही क्या है । मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री स्वयं ही अपने कार्य की भली प्रकार देख भाल कर सकते हैं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्रम और वाणिज्य तथा उद्योग के मंशी द्वय ने यह आश्वासन दिया था कि श्रमिकों के वेतन में कोई कमी नहीं की

[श्री सरमा]

जायेगी। मुझ से पूर्व वक्ता श्री टी० चौधरी ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया था। माननीय श्री गिरि ने इसी सदन में कहा था कि कलकत्ता में हाल ही में हुए त्रिदलीय सम्मेलन में नियोजकों की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि विभिन्न हितों,और सरकार के परामर्श की अनुपस्थिति में मजदूरी में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जायेगी। किन्तु इस के साथ ही आसाम सरकार और बंगाल सरकार की प्रैस विज्ञप्तियां हैं राजपत्र के एक असाधारण अंक में कहा गया है :

"श्रमिकों को खाद्य पदार्थ रियायती दरों पर नहीं दिये जायेंगे और इस को ध्यान में रखते हुए उन्हें नकद मुआवजा दिया जायगा।"

इस स्थिति को मैं कुछ अधिक स्पष्ट कर देता हूं ताकि माननीय सदस्य इस के अर्थ से परिचित हो जायें। चाय उद्योग में मज़दूरों का वेतन बहुत कम है यहां तक कि युद्ध काल में भी यह उद्योग मज़दूरों को उचित वेतन देने के लिये प्रस्तुत नहीं था। उन्हें चावल, दाल, तेल, नमक आदि खाद्य सामग्री रियायती मूल्य पर दी गई किन्तु वेतन में नकद वृद्धि कभी नहीं की गई। जब कभी चाय की कीमत कम हुई कि अनेक चाय बागान बन्द कर दिये गये। कलकत्ता के त्रिदलीय सम्मेलन के पश्चात् भी कुछ चाय बागान बन्द कर दिये गये और कदाचित आसाम और बंगाल की सरकारों ने भारत सरकार की स्वीकृति से खाद्य पदार्थों में रियायतें देना बन्द कर दिया जो कि वेतन का ही एक भाग थीं। खाद्य पदार्थों की रियायत सहित एक वयस्क पुरुष की मज़दूरी लगभग १ रु० १३ आने प्रति दिन होती है जबकि आजकल एक मज़दूर का औसत वेतन २ रु० प्रति दिन है। इस एक रुपये तेरह आने में से ११ आने खाद्य पदार्थ की रियायत के रूप में काट लिय जाते थे। मेरे मित्र श्री ए० वी० टॉमस का कथन है कि उन्हें भोजन के स्थान पर पाषाण दिया जाता था। मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने उचित ही कहा था कि यह औद्योगिक कृषि है अथवा कृषि उद्योग है। आयकर की दृष्टि से ४० प्रतिशत उद्योग कृषि की भांति स्वीकार कर लिया जाता है और ६० प्रतिशत उद्योग की भांति व्यवहृत होता है।

यहां यह भी स्मरणीय है कि इस उद्योग का अस्सी प्रतिशत भाग यूरोपियनों के हाथ में है और मल पूंजी की लगभग पचास गुनी रकम इन चाय बागानों के स्वामियों द्वारा लाभांश के रूप में ले ली गई है। उदाहरण के लिये एक लाख रु० की पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को पचास लाख रु० मिल चुके हैं।

श्री **ए० वी० टॉमस** : आप तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं अथवा केवल कल्पना के सहारे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने आसाम के अनुभव पर कह रहे हैं।

श्री **सरमा** : श्री टॉमस चाय उत्पादन कर्त्ता हैं और उत्पादन कर्त्ताओं के दृष्टिकोण से इन सब बातों को जानते हैं। अत्यन्त विनम्रता के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं इस उद्योग को श्रम और पूंजी दोनों पहलुओं से जानता हूं क्योंकि मैं आसाम सरकार द्वारा नियुक्त चाय श्रमिक जांच समिति का सदस्य रह चुका हूं। मैं इस समिति में आसाम विधान सभा का प्रतिनिधि भी रहा हूं। एक समय जब कि मैं एक चाय बागान का लेखा जोखा तैयार कर रहा था समिति के अध्यक्ष को लगा कि जैसे किसी अपशकुन की सृष्टि हो रही है और हम से काम बन्द करने के लिये कहा गया। उस के पश्चात् युद्ध आरम्भ हो गया और हमारा

कार्य वहीं समाप्त हो गया। मैं विनम्रता-पूर्वक फिर यह दोहरा दूं कि आसाम क्षेत्र में एक लाख रु० लगाने वाले व्यक्ति को पचास लाख रु० वापस मिल चुके हैं। युद्ध के समय लोगों ने बहुत अधिक कीमत में चाय बागान खरीद कर एक रात में भारी रकम कमाई है। उदाहरण के लिये युद्ध में लाभ उठाने वाले एक मारवाड़ी ने दस लाख रुपये की कीमत का चाय बागान ३० लाख रुपये में खरीदा। संकट काल उपस्थित होने पर इन लोगों ने सब से पहले काम बन्द किया। दिसम्बर १९५० में कलकत्ता के एक व्यक्ति ने ९० लाख रु० में अनेक चाय बागानों का एक सम्मिलित उद्योग खरीदा और १७,००० मज़दूरों को सड़क पर बेकार छोड़ कर एक ही रात में उस ने काम बन्द कर दिया। उस ने अत्याधिक मूल्य में चाय बागान खरीदे थे और जब कीमतों में अवरोध आया तो उसे मालूम हुआ कि वह उस का संचालन करने में असमर्थ है। उस के अधीन यूरोपीय कर्मचारी भी थे। उस ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पांच बागानों को बन्द कर दिया और १७,००० मज़दूरों के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई। चाय बागान के मालिकों की यह कार्य प्रणाली है। मेरा तात्पर्य सब से नहीं किन्तु उन व्यक्तियों से है जो लाभ कमाने की दृष्टि से इन उद्योगों में प्रवेश करते हैं।

यह भी कहा गया है कि चाय उद्योग में यूरोपीयनों का आधिपत्य है। यह असंदिग्ध है कि भारत का समस्त उद्योग व्यवसाय और वाणिज्य भारतीयों के हाथ में होना चाहिये और वह भारतीयों के लाभ के लिये ही होना चाहिये। जब अंग्रेज़ व्यापारी सर्वप्रथम आसाम में आये तो उन्हों ने उच्चकोटि की भूमि अपने अधिकार में ले ली और तभी से वे इस का संचालन कर रहे हैं। किन्तु कदाचित् वर्तमान समय में यह कठिन है कि इस चाय क्षेत्र से अभारतीय हितों को बहिष्कृत कर दें। इस उद्योग को ले लेना भी इतना सरल नहीं है। इस में वृहद् रकम डूब गई है। इसे निचोड़ लिया गया है और शेष बचा है केवल संघर्ष और उत्पात।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उस दिन कहा था कि संघर्ष की घड़ी आने पर चाय उत्पादकों और मज़दूरों ने सांठ गांठ कर ली। उन में से कोई भी त्याग करने को प्रस्तुत नहीं था और सब सरकार पर उत्तरदायित्व डालने लगे किन्तु इसी प्रकार क्या मैं कह सकता हूं कि संघर्ष काल में सरकार तटस्थ हो जाती है अथवा हवाई वायदे कर देती है। चाय उत्पादन कर्त्ता यह कह कर अलग हो जाते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है और हम इस उद्योग का अब अधिक समय तक संचालन नहीं कर सकते। किन्तु बेचारा मज़दूर तटस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि वह निर्धन है। सरकार ने कहा कि बेकार मज़दूरों को लोक निर्माण विभाग काम देगा। किन्तु उस विभाग ने क्या किया। जब उस ने देखा कि मज़दूर भूखों मर रहे हैं उस ने उन को कम मज़दूरी दे कर कठिन काम करने के लिये कहा। चाय बागान के मज़दूर इस प्रकार के कार्य से अनभ्यस्त थे वे काम नहीं कर सके। अन्ततः ठेकेदार ने उन्हें काम देना बन्द कर दिया।

इस उद्योग में सहायता प्रदान करने के लिये सरकार को आगे आना चाहिये। चाय उत्पादन में कोयला और यातायात दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। युद्ध पूर्व के समय समुद्र तट पर जहाज से उतरते समय कोयले की कीमत १२ आने प्रति मन थी और डेढ़ मन के एक रु० दो आने देने पड़ते थे। क्रमशः कोयले की कीमत बढ़ती गई और १९४९-५० में यह १ रु० ५ आना प्रति मन तथा डेढ़ मन के २ रु० तक जा पहुंची। आजकल

[श्री सरमा]

यही कीमत ३ रु० ८ आ० प्रति मन तथा ५ रु० ४ आना प्रति डेढ़ मन तक पहुंच गई ह । सरकार को यह देखना चाहिय कि कोयला उचित कीमत पर मिलता है । प्राय: अच्छी कोटि का कोयला रेलों को दिया जाता है और चाय उत्पादन कर्त्ताओं के हिस्से में सब से मंहगा और निम्न कोटि का कोयला आता है ।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय यातायात है । आजकल चाय उद्योग को आसाम और उत्तर बंगाल से सब से छोटे अथवा सस्ते मार्ग द्वारा चाय नहीं भेजने दी जाती है । उदाहरण के लिये उत्तरी बंगाल के बनारहाट से कलकत्ता चाय भेजने में मनिहारी घाट हो कर रेल मार्ग द्वारा २ रु० ४ आ० प्रति मन, भागलपुर से संपूर्ण तथा रेल मार्ग से २ रु० १० आ० प्रति मन, डुबरी हो कर स्टीमर से भेनेज में ३ रु० १ आ० ४ पा० प्रति मन व्यय होते हैं । भागलपुर से ५ आ० २ पा० और डुबरीसे भेजने में १२ आ० ५ पाई का अन्तर पड़ता है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

गोदामों के सम्बन्ध में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । जब कि ब्रिटेन से भारी मात्रा में उस की मांग होती थी चाय शीघ्र ही वहां भेज दी जाती थी किन्तु अब ब्रिटेन द्वारा इतनी तादाद में खरीदी बन्द कर देने पर वह काफी समय तक कलकत्ता अथवा अन्य स्थानों पर इकट्ठी रखी रहती है । गोदामों का अभाव है । यही कारण है कि उस के गुणों का ह्रास हो जाता है और उस के उत्पादनकर्त्ताओं को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । इन सब दिशाओं में सरकार को इस उद्योग की सहायता करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब अपना भाषण आरम्भ करें ।

श्री टी० टी० कृष्णामाचारी : कल मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इस विषय पर काफी विस्तार से कहा था और उन युक्तियों को पहिले बतलाने की चेष्टा की थी जो कि इस विधेयक के विरुद्ध प्रस्तुत की जायेंगी । मैं देखता हूं कि वाद विवाद के सम्बन्ध में मेरी आशा पूरी हुई है ।

मेरे माननीय मित्र श्री टॉमस मेरे साथ सहमत नहीं हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि मेरी माननीय मित्र कुमारी एनी मस्करीन ने जो कुछ कहा था वह ठीक ही था । मुझे श्री टॉमस के सहमत होने की आशा नहीं थी । विधेयक के कतिपय उपबन्धों के सम्बन्ध में उन्हों ने मुझ से अपना मतभेद प्रकट किया था और स्वाभाविकतया मुझे यह आशा थी कि वह इस के बारे में कुछ कहेंग । उन्हों ने मुझे सामान्यतया सभी बागान वालों और विशेषतया विदेशी बागान वालों के सम्बन्ध में कुछ कहने में कुछ थोड़े से अविवेक से काम लेने के लिये आड़े हाथों लिया है । सम्भवत: मैं ने जो कुछ कहा था उस की ओर मेरे माननीय मित्र ने ध्यान नहीं दिया । वास्तव में मैं ने अपने भाषण की एक एक प्रति प्रत्यक माननीय सदस्य के पास भेज दी थी । मैं समझता हूं कि श्री टी० के० चौधरी ने मेरे भाषण की जो आलोचना की थी उस में मेरे माननीय मित्र श्री टॉमस की बातों का उत्तर दे दिया गया है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ८० प्रतिशत चाय उद्योग का नियंत्रण विदेशियों के हाथों में है । जैसा कि श्री टी० के० चौधरी ने कहा था, ऐसा हो सकता है कि उन में से कोई सहयोग न करता हो तथा अन्य सहयोग करता हो और इस बात को मैं ने भी स्वीकार किया था । सम्भवत : भारतीय चाय संघ के प्रधान मित्रता-पूर्ण रहे हों । सम्भव है यह मैत्रीभाव आन्तरिक उदारता के कारण रहा हो या अत्यधिक

स्वार्थ के कारण हुआ हो। चाहे किसी कारण भी हुआ हो, इस की कोई बात नहीं। परन्तु यह बात ठीक है कि ये लोग यहां चाय बागानों से धन कमाने के लिये रहते हैं। मैं मानता हूं—और इस बात को श्री टी० के० चौधरी नहीं मानेंगे —— कि बलात् किसी परिवर्तन से चाय उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा। अतः, यदि वे ठीक प्रकार से कार्य करें तो मेरा उन के कार्य में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है, किन्तु शर्त यह है कि वे श्रमिकों को अच्छी मजूरी दें और अपने कर भी ठीक प्रकार से देते रहें। वे यह समझते हैं कि वे विधि के अन्दर ही कार्य करते हैं और इस उद्योग की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिये हमारी व्यवस्था में बाधा नहीं डालते, किन्तु मुझे उन्हें यहां से बिल्कुल चले जाने के लिये कह देने में कोई अधिक लाभ नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिय मान लीजिये कि यदि वे वास्तव में चले जायें और अपने चाय बागानों को बेच दें तो ये ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जायेंगे जिन्हें कि चाय में इन लोगों की अपेक्षा कहीं कम रुचि है और इस से न तो चाय उद्योग को कोई लाभ पहुंचेगा, न ही श्रमिकों को कोई लाभ होगा और न ही इस में लगे हुए किन्हीं अन्य लोगों को कोई लाभ होगा। मैं जानता हूं कि हमारे लिये किसी विदेशी पूंजीपति को साफ साफ यह कह देना कुछ कठिन है कि उन के सम्बन्ध में हमारा क्या दृष्टिकोण है, किन्तु मैं तो समझता हूं कि मैं इस मामले में काफी स्पष्टवक्ता रहा हूं। जहाँ तक मैं उन से अच्छा व्यवहार करने के लिये कहता हूं वहां तक मैं उन का समर्थन भी करने को तैयार हूं किन्तु शर्त यह है कि वे भी अपने व्यवहार को वैसा ही बनावें, मुझे अपने रुख में कोई परिवर्तन करने का कारण नहीं दिखाई देता। क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं सरकार के एक अंग के रूप में कार्य करते हुए किसी विदेशी के प्रति देश के प्रति अपने दायित्वों के अनुरूप इस से अधिक अच्छा रुख को नहीं अपना सकता।

मैं ने चाय संघ के भूत पूर्व प्रधान तथा कहवा बोर्ड के वर्तमान प्रधान के भाषणों की जो आलोचना की थी माननीय सदस्य श्री टॉमस ने उस पर आपत्ति की थी; मैं अब भी यह अनुभव करता हूं कि उन्हों ने जिन तथ्यों के आधार पर अपनी युक्तियां प्रस्तुत की थीं और अपन भाषणों में जिस भाषा और लहजे का प्रयोग किया था वह न तो सरकार के लिये उचित है और न ही वस्तुतः ठीक है। इस देश का प्रत्येक नागरिक राजनीति में भाग ले सकता है: उस के अपने कोई भी विचार हो सकते हैं। वह सरकार की आलोचना कर सकता है। वह इसे गालियां दे सकता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह स्वतः सिद्ध अधिकार है। किन्तु मैं नहीं समझता कि विदेशी लोग भी इस देश में उस अधिकार को बलात् छीनना चाहते हैं। मुझ भय है कि उन्हें सरकार का कहना मानना पड़ेगा और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो वे बुद्धिमान नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि श्री टॉमस उन के लिये जो समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं उस से वे इस समय की अपेक्षा अपने आप को अधिक सुरक्षित समझेंग। आखिर उन की इस देश में सब से बड़ी सहायक तो सरकार ही है और उन के लिये सरकार को अपनी उपयोगिता का विश्वास दिला देना ही सब से उत्तम है। यदि वे कोई अनुचित कार्य न करें तो केवल उपयोगिता की दृष्टि से ही हम यह अनुभव करते हैं कि उन का यहां रहना अच्छा है।

इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों की सांठ-गांठ के सम्बन्ध में जितना श्री टॉमस को ज्ञात है उतना ही मैं भी जानता हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वे उस सब को व्यर्थ करने की चेष्टा कर रहे हैं। और मैं उन के नाम

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

लेना नहीं चाहता । किन्तु मुझे यह ज्ञात है और मैं उन्हें यह सार्वजनिक रूप से नहीं, अपितु निजी रूप से बता सकता हूं । अतः यूरोपीयन चाय बागान स्वामियों का इसी में हित है कि वे इन कष्टदायक व्यक्तियों को जो कि अब भारत में हैं, अपने में से निकाल दें, क्योंकि इन से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा । मैं इस सदन के मंच से यह चेतावनी देना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि मुझे विदेशी पूंजीपतियों के सम्बन्ध में इस विषय में सरकार की इच्छायें बतलाने के लिये हर मंच का प्रयोग करना पड़ता है और मैं समझता हूं कि मैं यह ठीक ही करता हूं ।

श्री टॉमस ने बोर्ड की सामान्य रचना के सम्बन्ध में भी कुछ कहा था । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं । हम ने यह अनुभव किया है कि इस मामले में विभिन्न हितों के व्यक्तियों को मनोनीत करना ही हमारे लिये अधिक अच्छा है । मैं एक बार और यह दोहराता हूं कि मैं विभिन्न हितों को यह कहने के लिये तैयार हूं कि वे एक नामावलि भेजें और यदि वे नामावलि भेजेंगे तो नियमों के अन्तर्गत प्रस्थापित सीमाओं के अन्दर उन्हें स्थान देने का हर प्रयत्न किया जायेगा । मैं केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं, इस से अधिक और कोई आश्वासन नहीं दे सकता । प्रजातन्त्र की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं । प्रजातन्त्र इस देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक के लिये है, निहितस्वार्थ व्यक्तियों के लिय यह प्रजातन्त्र नहीं है । यह कहन का कोई लाभ नहीं । कुछ व्यक्तियों का एक गुट आपस में मिल कर एक क्लब या संघ बना लेते हैं और संकल्प पारित कर देते हैं । सरकार ऐसे संकल्प की ओर ध्यान नहीं देती । आप तुरन्त कह देते हैं, "आप प्रजातन्त्र की अवहेलना कर रहे हैं ।"

'लोकतन्त्र' शब्द के प्रयोग में कुछ सावधानी बरतनी चाहिये । मुझे प्रतिदिन प्रत्येक छोटी मोटी संस्था के तार आते हैं । पता नहीं वे सच्चे भी होते हैं या नहीं । संस्था की शिकायत यही होती है कि उस से परामर्श किये बिना सरकार ने कोई आदेश निकाल दिया है अतः लोकतन्त्र की अवहेलना हो गई है । मैंने वस्त्र मिलों में प्रयोग के लिये रिंगफ्रेमों का आयात बन्द कर दिया था क्योंकि देशी रिंग फ्रेम बहुत हैं । वस्त्र मिलों ने कहा कि यह अलोकतन्त्रात्मक है, क्योंकि तृतीय समिति का गठन नहीं किया गया है और उन से परामर्श नहीं किया गया है । लोकतन्त्र का अर्थ जनता की इच्छा है, स्थापित स्वार्थों की इच्छा नहीं । यदि लोकतन्त्र में इन स्वार्थो की इच्छा चले तो भगवान ही यदि कोई हो तो— हमें बचा सकता है ।

एक बार बोर्ड की स्थापना हो जाये तो मैं उस की बात पर चलूंगा । मैं ने वहां से सरकार का प्रतिनिधित्व हट लिया है । बोर्ड का विचार स्पष्टतः व्यक्त होना चाहिये । उन्हें स्वीकार करना या न करना हमारा काम है । नियुक्तियों के विषय में हम उन की बात पर नहीं चल सकते परन्तु कुछ नियुक्तियों के विषय में हम उन्हें स्वतन्त्रता दे सकते हैं । अन्य मामलों में हम उन की राय नहीं ले सकते । निर्यात कोटाओं के विषय में तो बोर्ड से परामर्श लेना ही होगा, क्योंकि बोर्ड इसीलिये तो है । वही निर्यातकों से सम्बन्ध बनाये रखता है । परन्तु प्रशासन के विषय में सरकार की इच्छा ही निर्णायक होगी । उस में शीघ्रता की अपेक्षा होती है और सरकार अपना उत्तरदायित्व बोर्ड पर डाल कर बच नहीं सकती । इसी कारण मैं ने इस विषय में बोर्ड से परामर्श की व्यवस्था नहीं की है । अंग्रेजी शासन में तो इन बोर्डों के बहाने सरकार अपने

साम्राज्यवादी रूप को छिपाना चाहती थी। वह कहीं कहीं कुछ शक्ति दे देती थी, उनसे परामर्श करती थी परन्तु अमल नहीं करती थी। मैं चाहता हूं कि इन बोर्डों को उद्योग पर नियंत्रण करने की वास्तविक शक्ति हो और जब तक कोई त्रुटि न हो मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। परन्तु नियुक्तियों के विषय में यह अधिक अच्छा है कि भारत एक विशेष प्रकार के अधिकारियों को बोर्ड की सेवा के लिये रखे। पहले बोर्ड का एक सचिव नियुक्त किया गया था जो कार्य में सर्वथा अकुशल था। प्रधान तथा सचिव की निर्बलता के कारण बोर्ड को लाखों की हानि उठानी पड़ी। कई ऐसे भी गोल माल हुए होंगे जिन का हमें पता ही नहीं लगा। वह अधिकारी तीन वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था। सरकार द्वारा भेजा गया अधिकारी यदि ठीक कार्य नहीं करेगा तो उसे वापिस बुला कर दूसरा अधिकारी भेजा जा सकता है। उसे नौकरी का ख्याल होगा। उस की भविष्य-निधि और उत्तर वेतन भी होंगे। अतः वह निःसंदेह ठीक कार्य करेगा। अतः सरकार द्वारा नियुक्ति ही ठीक रहेगी।

छोटी नियुक्तियों के विषय में जो ३५० रुपये से १५०० रुपये तक की हों प्रवर समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग या प्रांतीय लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हाथ होना चाहिये जिस से कि न्याय की प्रतिभूति रहे। हम केवल रक्षण कवच रख रहे हैं। बोर्ड की शक्ति को कम नहीं कर रहे।

श्री टामस से मेरा मतभेद केवल मूल्य-नियंत्रण के विषय में है। वे समझते हैं कि मैं चाय में निर्यात मूल्य पर नियंत्रण रखने जा रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। यदि वे विदेशों में अपनी चाय मंहगी बेच सके तो मुझे प्रसन्नता होगी क्योंकि उन्हें अधिक धन मिलेगा और मझे विदेशी मुद्रा। मैं उस में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। परन्तु युद्धकाल में मूल्य-नियंत्रण करना होगा क्योंकि थोक में इकट्ठा माल खरीदना पड़ेगा। और हम कह सकते हैं कि हम युद्धरत देशों को तथा तटस्थ देशों को नियंत्रित मूल्यों पर समान माल देंगे। यही एक संभावना है, अन्यथा मूल्य नियंत्रण सामान्यतः देश के आंतरिक प्रयोजनों के लिये ही है। वे प्रायः मुझ से भावों के विषय में समर्थन की मांग करते हैं। यदि मैं निम्नतम मजूरी की व्यवस्था का समर्थन करूं तो मुझे आंतरिक खपत के विषय में भावों का समर्थन भी करना पड़ेगा।

अतएव अन्तर उपभोग के लिये इस का प्रयोग करना आवश्यक है ताकि उत्पादन के लिए मैं मूल्य का समर्थन कर सकूं। चाय भूसम्पत्ति की स्वतन्त्रता को हानि पहुंचाने का विचार तो नहीं है कि वह चाय को अधिक मूल्य पर, अथवा उस का ऊंचा मूल्य ले सके। किन्तु हम आशा करते हैं कि जहां तक अन्तर बटवारे का प्रश्न है हम को देखना होगा कि, यदि यह आवश्यक है, जब कि वे चाय के न्यूनतम मूल्य करने के लिये हम से उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये कह रहे हैं कि जहां तक अन्तर्देशीय चाय बेचने का प्रश्न है वहां तक चाय के मूल्य का न्यूनतम मूल्य होना चाहिये। यह केवल इस उद्योग को सहायता देने के विचार से ही है न कि उस पर कुठाराघात करने के विचार से, और इसी विचार से इस उपबन्ध को प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने देखा होगा कि उद्योग (विकास और विनियमन) विधेयक में एक सम उपबन्ध भी है। मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार संभरण में परिवर्तन कर सकता हूं, किन्तु इस उद्योग के विरुद्ध मैं इस का प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं माननीय सदस्य को इस का आश्वासन देता हूं।

श्री बसु ने छोटे बागों के बारे में कहा है, मैं ने स्वयं कहा है कि इस मामले पर मैं भी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

विचार कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि श्री बसु की सन्तुष्टि के लिये यह काफी होगा। श्री चौधरी ने अपने भाषण में बताया है कि इस मामले में श्रमिकों का पक्ष नहीं लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिस ने मेरे भाषण को पढ़ा है अथवा सुना है वह यह नहीं कह सकता कि मेरे विचार इस के विपरीत हैं। किन्तु वे सारा दोष सरकार के मत्थे मढ़ना चाहते हैं जिसे मैं स्वीकार करने को तत्पर नहीं हूं।

मैं कहता हूं कि मैं ने यह सदन में कहा है कि राजा राम राव समिति वेतन में कमी करने के लिये सिफारिश नहीं करेगी और केन्द्रीय सरकार का न्यूनतम वेतन में कमी करने के बारे में कोई सिफारिश करने का विचार नहीं है। मेरा अब भी यही विचार है। मेरे साथी वित्त मंत्री का भी यही विचार है। किन्तु यदि घटनास्वरूप जब किसी विशेष घटना का विवेचन कर रहे हों, आप कहें कि स्वायत्त शासन ने एक प्रकार का विश्वास सा उत्पन्न कर लिया है और भूसम्पत्तियों ने अपना कारोबार जारी कर दिया है तब दो असम्बन्धित तथ्यों को साथ साथ जोड़ने से क्या लाभ। अब आप स्थानीय शासन की कार्यवाही का समर्थन करते हैं। अतएव यह अपूर्ण है। यदि आप लिखने बैठे तो निष्कर्ष के नाम पर असफलता ही रहेगी। मैं ने किसी दायित्व को मानने से इन्कार कर दिया है। और मैं श्रमिकों के वेतन में कटौती करने के पक्ष में नहीं हूं और न उस में कटौती की गुंजाइश ही है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस सम्बन्धित मामले में भी बातचीत करने के अवसर का हम ने कोई लाभ नहीं उठाया है।

जो कुछ उन्हों ने कहा है उस के बारे में मैं और कुछ अधिक नहीं कहना चाहता क्यों कि वास्तव में यदि देखा जाय तो हम एक दूसरे से मतभेद नहीं रखते, किन्तु यदि वह मुझे दोष देना चाहते हैं तो वे ऐसा करें, मैं तो जोरदार शब्दों में केवल इतना ही कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करने में वह भूल कर रहे हैं। यहां तक कि वे ऐसा कहने में भी भूल कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा करने का वचन दे दिया था और वह उसे अब पूरा नहीं कर रही है।

मेरी मित्र कुमारी एनी मस्करीन ने विधान का हार्दिक स्वागत किया है और बहुत कुछ उन्हों ने उन सभी बातों को महत्व दिया है जिनका जिक्र मैं ने विधान को महत्व देते समय किया था। मैं उन का आभारी हूं। वास्तव में बात यह है कि उन का भाषण बहुत ही प्रयोगात्मक है और हम प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों से जो हमारे रास्ते में आती हैं नहीं बच सकते। वह बिल्कुल ठीक कहती हैं कि चाय के कुछ छोटे छोटे बागान भी स्वयं अपने आप को स्वतन्त्र समझते हैं। कानन देवन हिल्स उत्पादक कम्पनी जो त्रावनकोर कोचीन में है उस विशेष क्षेत्र मुनार की आर्थिक स्थिति में अपना महत्व रखती है। और जहां कहीं भी आप जायें वहां आप को इस कम्पनी की मोटर लारी खड़ी हुई मिलेगी। एक प्रकार से वह उस नगर पर शासन करती है। और यह सत्य है कि यह एक बहुत बड़ी व्यवसायिक संस्था है। वह एक बहुत बड़ी उद्योग संस्था है जो दुर्भाग्यवश भारतीय नहीं है। और जो कुछ भी उन्हों ने कहा है वह नितान्त सत्य है।

एक विदेशी जो यहां भारत में रहता है तो वह अपनी रुचि का प्रदर्शन अत्यधिक आकर्षक रूप में करता है। यदि वह खेल कूद में भाग नहीं लेता तो उस को यहां एक दिन अधिक

ठहरने का अधिकार नहीं है । यह उस की कला प्रियता नहीं है वह तो केवल इसलिये है कि वह अपनी स्थिति पहचानता है । मैं भी चाहता हूं कि वह अपनी स्थिति के बारे में जाने और अच्छी प्रकार से बर्ताव करें, और जब तक वे अच्छी प्रकार से बर्ताव करते हैं, मुझे उन के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है । किन्तु तथ्यों को भी भुलाया नहीं जा सकता ।

श्री सरमा जो आसाम से आये हैं उन्होंने अपना विवेचन मध्यम रूप से किया है, किन्तु साधारण रूप से उन्हों ने विधान का अनुमोदन किया है, जिस के लिये मैं उनका आभारी हूं ।

अंत में मैं कहता हूं कि चाय व्यापार के लिये यह "मैगना चार्टा" बन गया है किन्तु मेरा विश्वास है कि इन परिवर्तनों के आधार पर उस की नीति बदल जायेगी, और इस प्रकार से चाय उद्योग में रुचि लेने के लिये सरकार को भी अपनी ओर खींचने में सफल हो सकेगी । सरकार के पास कुछ अधिकार हैं जिन का प्रयोग वह करना चाहती है । और हम आशा करते हैं कि सभी सम्बन्धित सदस्यों के सहयोग से चाहे इस विधान के बारे में उन के विचार कैसे ही रहे हों हम अपने चाय व्यापार को उन्नतिशील और दृढ़ बनाने में समर्थ हो सकेंगे ताकि मूल्यों में होने वाले बड़े से बड़े परिवर्तनों की मार को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक आसानी से सहन कर सके । मैं एक बार फिर कहता हूं कि इस उद्योग ने २० वर्ष समृद्धि के देखे हैं, और जब एक या दो वर्ष ही बुरे आये तो उन को बर्दाश्त नहीं कर सका । इस का मतलब तो यह हुआ कि आप इस उद्योग को इस के अपने साधनों पर नहीं छोड़ सकते । किसी न किसी को इस में दखल देना होगा । मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में बुद्धिमत्ता से कार्य लेगी और यह देखेगी कि इस विशेष विधान को इस उद्योग के विकास के लिये प्रयोग में लाया जाता है, जिस से कि सभी संस्थायें, राष्ट्रीय राज्य कोष, राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा वे सभी जो चाय के बागों में काम करते हैं उन सभी को इस से लाभ पहुंचे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण के लिए उपबंध करने के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली चाय चुंगी शुल्क लगाने और एक चाय बोर्ड स्थापित करने के प्रयोजन से, प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक विचाराधीन किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २— (संघ द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता के संबंध में घोषणा)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २ संशोधन— श्री पुन्नूस ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं इस समय इसे प्रस्तुत करूं अथवा इस पर बोलूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक संशोधन है । वे संशोधन और खण्ड पर बोल सकते हैं ।

श्री पन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ट १ पंक्ति १४ में—

"take under its control" ["अपने नियंत्रण अधीन ले ले"] के स्थान पर "Develop and regulate" ["विकास और विनियमन करे"] आदिष्ट किया जाय ।

मेरे विचार में चाय उद्योग के नियन्त्रण की अपेक्षा हम कुछ अधिक चाहते हैं । वह यह है कि उद्योग का पुनसंघ और विकास किया जाए जिस से यह राष्ट्रीय सम्पत्ति बन सके । राष्ट्रीय आय में पटसन के पश्चात इस का दूसरा स्थान है, परन्तु अब तक यह राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं । श्री ए० वी० टामस ने कल कहा कि सरकार

[श्री पुन्नूस]

को बाधा नहीं डालनी चाहिए और कि श्रमिकों संबंधी कार्य हम पर छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार तो आजकल एकाधिकार वाले पूंजीपति भी नहीं कहते हैं उद्योगपतियों का जो भी उद्देश्य हो वह उन के कार्यों से व्यक्त होता है ।

दूसरी ओर से श्री मात्तन और एक माननीय सदस्य विघ्न डाल रहे थे और कह रहे थे कि कानन देवन व्यवसाय में उन्होंने अपना कार्य किया था ।

श्री मात्तन : जो हां ।

श्री पुन्नूस : कार्य से उन का क्या अभिप्राय है । क्या उन्होंने उससे बहुत लाभ उठाया है कानन देवन व्यवसाय, जिस की ओर कुमारी एनी मस्करीन ने निर्देश किया था, ट्रावनकोर राज्य के २१५ वर्ग मील पर अधिकार रखता है, जो ट्रावनकोर के हर ३६ एकड़ में से एक है, हम वहां उन के बड़े चाय बागान और भव्य भवन देख सकते हैं । उन की सफलताएं हमारे रक्त द्वारा सिंचित हैं।

हमारी ओर की एक कहावत के अनुसार जब कोई सर्वथा नष्ट हो रहा हो उसे कहा जाता है कि वह मेडु को जा रहा है । मेडु के अर्थ हैं पहाड़ी प्रदेश । वहां की परिस्थितियां मानव जीवन के लिए हानिकर हैं । यह सब होते हुए अंग्रेज़ी पूंजी को स्वतंत्र क्यों रहने दें, अब समय है कि हम भारतीय पूंजी का भी ध्यान रखें । पूछ ताछ समितियों के प्रतिवेदन से पता चलता है कि जागीरों में ५० प्रतिशत श्रमिक वर्ग की जनसंख्या है । इस उद्योग में इन दो करोड़ लोगों के हितों की बहुत बड़ी पूंजी है ।

राज्यों के संबंध में इस विशेष उद्योग का बहुत महत्व है । आसाम में प्रत्येक १० व्यक्तियों में से एक इस उद्योग से सम्बंधित है । ट्रावनकोर व कोचीन में भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है यद्यपि इसे प्रायः भुला दिया जाता है । उत्पादन और काम करने वाले, श्रमिकों के विचार से हम तीसरे स्थान पर हैं । चाय उद्योग के प्रश्न को सुलझाते हुए हमें इस के विशेष राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी ध्यान देना है ।

कल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री अंग्रेज़ी पूंजी का विरोध कर रहे थे परन्तु उन के शब्दों का वास्तविक अर्थ यह नहीं । जब कांग्रेस देश का संघटन कर रही थी तो कांग्रेस पूंजी का विरोध होता था और बाद में विरोध, तटस्थता में तटस्थता सहन शक्ति में और सहनशक्ति आमन्त्रण तथा प्रेम में परिवर्तित हो गई है ।

मुझे आश्चर्य होता है जब माननीय मंत्री कहते हैं कि हमें लोकतन्त्रवादी होने के कारण योरोपियन उत्पादक संस्थाओं के शोषण को सहना पड़ता है । परन्तु देश की लोकतन्त्रात्मक विचारधारा तो इस उद्योग से विदेशी अंशों को निकाल फेंकना है ।

सारे विधेयक को देखने से पता चलता है कि सरकार अंग्रेजी अंशों से सौदाबाज़ी कर रही है । क्योंकि जब वह यह कहती है कि कल से हम इस उद्योग पर नियंत्रण करेंगे तो वह मिथ्या और केवल एक आकांक्षा मात्र है अन्यथा नियंत्रण अंग्रेजी पूंजी के हाथ में है । अंग्रेज़ पूंजीपति निर्यात कर बढ़वाना चाहते थे परन्तु सरकार इस की हानि को समझती थी । इस कारण श्रमिक के थोड़े से अधिकारों को छीन लेने पर सौदाबाज़ी हुई और श्रमिकों की मज़दूरी २० से २५ प्रतिशत तक घटा दी गई ।

आज हम उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिस के द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं दी जानी हैं परन्तु ट्रावनकोर के पहाड़ी प्रदेशों में श्रमिक संघ के कार्यों पर रोक है । गुंडों की मंडलियों द्वारा श्रमिक संघ के कार्यकर्त्ताओं को पिटवाया जाता है । सच तो यह है कि उद्योग पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट कार्य किया जाना चाहिये । विदेशियों ने यदि पूंजी लगाई है तो उन्होंने लाभ उठा लिया है । विधेयक का कुछ महत्व अवश्य है क्योंकि यह वर्षों के कार्य का परिणाम है । श्रमिक वर्ग सजग और संघटित हो रहा है । दूसरे जनता की विचारधारा ने भी सरकार को ऐसा करने की प्रेरणा दी है । हमारी ओर तो यह नारा है कि "कान देवन व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो" हमारे राज्य के सामान्य निर्वाचनों में एक कांग्रेस नेता ने कानन देवन व्यवसाय और कृष्णा देवन व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का वचन दिया था परन्तु यह दोनों व्यवसाय वैसे ही हैं जैसे पहले थे ।

जनता की विचार धारा और अन्य शक्तियों द्वारा इस विधेयक की रूप रचना हो सकी है । इस लिए हम इस का समर्थन करते हैं ।

भारतीय उद्योगपतियों के सम्बंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । हम भारतीय उद्योगपतियों अर्थात अपने नागरिकों से केवल लाभ बटोरने की अपेक्षा अधिक की प्रत्याशा करते हैं सामान्य जनता प्रायः यह कहती हुई सुनी गई है कि योरोपियन फिर भी अच्छे थे क्योंकि ये व्यक्ति परतन्त्रता की परिस्थितियों में पलने के कारण श्रमिकों के आन्दोलन से भयभीत रहते हैं और सामन्तवादी विचारधारा के कारण अंग्रेज़ों की अपेक्षा अधिक कठोर व्यवहार करते हैं उन्हें उद्योग के विकास और राष्ट्र के हितों का ध्यान रखना चाहिये । भारतीय उद्योगपतियों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं ।

छोटे बागों का प्रश्न भी है । सरकारी प्रतिवेदन अर्थात राजा राम राव समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कम से कम ३०० एकड़ का बाग आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है । सरकार को भारतीय छोटे बागान को सहायता द्वारा पुनर्संघटन और संचालन करवाना चाहिये ।

एक और कठिनाई यह है कि यद्यपि यह उद्योग १०० वर्ष पुराना है परन्तु भारतीय उत्पादन विशेषज्ञ बहुत कम हैं । उद्योग का राष्ट्रीय आधार और स्तर पर विकास करने के लिए हमें उत्पादन कार्य सीखना चाहिये और इसके लिए आवश्यक कर्मचारी वृन्द रखने चाहियें ।

अब मैं निर्यात का प्रश्न लेता हूं । हमारी ८० प्रतिशत चाय संयुक्त राज्य को निर्यात की जाती है । वाणिज्य तथा उद्योग की पत्रिका द्वारा पता चलता है कि १९४८-४९ में एक बार निर्यात की गई चाय की मात्रा ४०५.६६ पौंड थी । वहां हमें रूस, टर्की और अन्य देशों के नाम मिलते हैं । परन्तु १९५१-५२ में संयुक्त राज्य को इतनी अधिक चाय भेजी गई कि अन्य मण्डियों के प्रति संकोच करना पड़ा । कारण यही है कि इस उद्योग में अंग्रेजी पूंजी के नियंत्रण के कारण निर्यात व्यापार पर हानिदायक प्रभाव पड़ा फिर श्रम सम्बन्धी प्रश्न भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सारे विधेयक पर बोल रहे हैं अथवा विशेष खण्ड के संशोधन पर ?

श्री पुन्नूस : मैं आप को आपके वचन याद दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आज खण्ड पारित हो जाएं तो वे कल इस पर सामान्य

[उपाध्यक्ष महोदय]

रूप से बोल सकते हैं। उन का संशोधन भी उचित नहीं है क्योंकि यह उद्योग राज्य का विषय है और संघ की सूची की सातवीं अनुसूची के पद ५२ के अधीन है। इसे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन लाने की घोषणा के बिना इस पर विधान नहीं बनाया जा सकता। माननीय सदस्य का संशोधन विधेयक को जड़ से उखाड़ रहा है।

श्री के० के० बसु : हम यह चर्चा कर रहे हैं कि इस उद्योग को विकसित और विनियमित करना चाहिये। इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम इस पर अलग विधान बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम संसद् में घोषणा करनी है कि यह विषय उन के नियंत्रण आधीन है। तत्पश्चात् यह विधान बनाया जाएगा कि यह नियंत्रण कैसा हो।

अच्छा, तो माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सभापति के निर्णय से सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे संशोधन से सहमत हैं ?

श्री पुन्नूस : मैं ने अभी समाप्त नहीं किया। मैं ने एक बात कहनी है। जब सरकार इस उद्योग का नियंत्रण ले तो उसे श्रम सम्बंधी उत्तरदायित्व भी संभालना चाहिये। न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम और बागान श्रमिक अधिनियम को इस प्रकार नहीं चलने देना चाहिये जैसे राज्य सरकारें इन्हें चला रहीं हैं। हमारे राज्य में इन में से कोई भी अधिनियम कार्यान्वित नहीं हुआ। इसलिए हम विधेयक में ऐसे संशोधन चाहते हैं जिस से भारत सरकार श्रमिकों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन रखा गया।

पृष्ठ १, पंक्ति १४ में—

"अपने नियंत्रण में ले ले" (take under its Control) के लिए "विकास और विनियमन करे" (develop and regulate) आदिष्ट किया जाए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने अधिक नहीं कहना है। माननीय सदस्य ने श्रमिक संबन्धी प्रश्न पर कहा है। श्रमिक सम्बंधी विषय समवर्ती सूची में है। हम किसी घोषणा द्वारा भी राज्य सरकार को इस में बाधा डालने से नहीं रोक सकते। हम केवल समवर्ती सूची के विषय पर विधान बना सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकार के पास है। यहां उपबंध बना लेने से हमें वह शक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड २ विधेयक का भाग हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड ३—(परिभाषाएं)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में, पंक्तियां २५ तथा २७ में (Theasinensis) "थीसाईनैंसिज़" के लिए "कामलिया साईनैंसिज (एल०) ओ० कन्टज" [Camellia Sinensis (L) O. Kuntze] आदिष्ट किया जाए।

वस्तुतः बात यह है कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। प्रवर समिति में भी हमें चाय की परिभाषा के सम्बंध में कठिनाई हुई थी और अन्त में हम इस परिभाषा पर पहुंचे जो अब प्रयोग की गई है। कृषि आयुक्त डा० उप्पल ने मुझे परामर्श दिया कि भारतीय चाय के पौदे के लिए प्रचलित नाम कामेलिया साईनैंसिज़ है जो कि लेटिन नाम है। थीसाईनैंसिज चीनी चाय है। और यह नाम हाल के अन्तर्राष्ट्रीय चाय के समझौते में प्रयोग किया गया है। उस ने इस लिए सुझाव दिया कि थीसाईनैंसिज़ के लिए यह नाम आदिष्ट किया जाए। मैं अनुभव करता हूं कि जहां तक यह चाय है इसे किसी भी नाम से पुकारने पर आक्षेप नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे क्यों न दोनों नामों से पुकारा जाए अर्थात् उपनाम अमुक तथा अमुक।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : थीसाईनैंसिज़ चीन की मूल चाय है। भारतीय किस्म की चाय का नाम कामलिया साईनैंसिज़ है। अन्तर्राष्ट्रीय चाय के करार में यही नाम प्रयोग में लाया गया है इस लिए यह नाम प्रयुक्त करना ठीक है।

डा० एम० एम० दास : स्पष्टीकरण के लिए मैं जान सकता हूं कि आगे के भाग (ख) में चाय के बीज के लिए यही परिभाषा क्यों प्रयोग में नहीं लाई गई।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : धन्यवाद, मैं इसे निविष्ट कर लूंगा। श्रीमान् आप की अनुज्ञा से मैं संशोधन को इस प्रकार सुधारना चाहता हूं :

पृष्ठ २ में पंक्तियां २५, २७ तथा २९ में (Theasinensis) "थीसाईनैंसिज़ के लिए [Camellia Sinensis (L)O. Kuntze] "कामेलिया साईनैंसिज़ (एल) ओ० कुन्टज़े" आदिष्ट किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रखा गया :

पृष्ठ २ में पंक्तियां २५, २७, तथा २९ में (Theasinensis) "थीसाईनैंसिज़" के लिए [Camellia Sinensis (L) O. Kuntze] "कामेलिया साईनैंसिज़ (एल) ओ० कुन्टज़े" आदिष्ट किया जाए।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : कठिनाई यह है कि जिस किसी ने भी माननीय मंत्री को परामर्श दिया है वे वनस्पति शास्त्र को भूल चुके हैं। प्रजाति के गलत विश्लेषण द्वारा १७५३ में थीसाईनैंसिज़ नाम दिया गया था। तत्पश्चात यह विचार किया कि थी केवल जाति है और कामेलिया प्रजाति है। भारत में दो किस्में थी विरिदिस और बोहिया। तीसरी स्त्रिक्ता है ये नाम कामेलिया थी बोहिया कामेलिया थी विरिदिस और कामेलिया थी स्त्रिक्टा हैं न कि कामेलिया थी साईनैंसिज़। शब्द (एल) का अभिप्राय (Linneus) लीनस है तथा ओ कुन्टज़े एक जर्मन लेखक हुए हैं। इन सब शब्दों को अनावश्यक ढंग से इकट्ठे रखने में वनस्पति शास्त्रज्ञ हम पर हंसेंगे। इस लिए इस का नाम रखने से पूर्व उचित व्यक्ति से परामर्श करना चाहिये यदि हरी और काली दो किस्म की चाय के नाम रखना चाहते हैं तो वे कामेलिया थी विरिडिस और कामेलिया थी बोहिया होने चाहियें। कामेलिया साइनैंसिज़ नाम चाय की किसी किस्म का बोध नहीं कराता।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह नाम उस नाम से भिन्न हुआ जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करार में दिया गया है तो वे इसे नहीं खरीदेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : परन्तु माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि यह नाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करार में से लिया गया है। यदि गलती हो गई है तो इसे चलने दीजिए परन्तु हम समझते हैं कि यह नाम गलत है।

दूसरी बात यह है कि खण्ड ३ के भाग (ट) में स्वामी की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आई। उस की परिभाषा अनुसार ठेके अथवा गिरवी द्वारा चाय बागान आदि के हस्तान्तरित करने पर वह व्यक्ति स्वामी होगा जिस के पास वह हस्तान्तरित किए गए हैं यह आश्चर्यजनक परिभाषा है। इस प्रकार असली स्वामी उस सम्पत्ति का स्वामी नहीं रहता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भूलते हैं। मद १ भाग (२) में कहा गया है कि "चाय बागान, बाग, अथवा उसके उप-विभाग के सम्बन्ध में जो गिरवी, ठेके अथवा अन्यथा हस्तान्तरित की गई हैं" यह प्रथम शर्त है। वस्तुतः जिस के पास ठेका है वही स्वामी है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : परन्तु वे भी स्वामी होंगे जिन के पास अपने चाय बागान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी तो स्वामी ही है परन्तु जब वह ठेके पर दे देता है तो उस से कुछ आशा नहीं की जा सकती। ठेकेदार और गिरवी रखने वाले स्वामी होंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान् जो आपने कहा है वह ठीक है। परन्तु यह तो अनन्य शब्द है। इस परिभाषा के अनुसार केवल ठेकेदार और हस्तान्तरित हुई सम्पत्ति को लेने वाला ही स्वामी है। भाग (२) (२) के अधीन एक अभिकर्ता भी स्वामी हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठेके पर दिए गए बागान का स्वामी कौन होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने बताया इसी प्रकार की परिभाषाएं मूल अधिनियम, चाय अनुज्ञप्ति अधिनियम और चाय नियंत्रण अधिनियम में प्रयुक्त की गई थीं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा अभिप्राय यह है कि किसी कारण 'स्वामी' की परिभाषा में से असली स्वामी रह गया है।

डा० एम० एम० दास : मैं परिभाषा पर बोलना चाहता हूं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन में 'चाय' शब्द की परिभाषा को कुछ बदल दिया गया है और (Excluding tea waste) "चाय अवशेष के अतिरिक्त" शब्दों को निकाल दिया है। जब 'चाय' और 'चाय अवशेष' का अन्तर न दिया जाए तो निर्यात शुल्क वसूल करना कठिन होगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस परिभाषा के सम्बंध में मुझे खेद है कि मैं ने (एन) तथा (ओ) को संशोधन में निविष्ट नहीं किया। जैसा मैं ने कहा संशोधन को सुधारा जा सकता है।

श्री त्रिवेदी की बात को मैं स्वीकार करता हूं कि मैं वनस्पति-शास्त्रज्ञ नहीं हूं। मुझे कुछ विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होता है। कृषि आयुक्त डा० उप्पल के पास वनस्पति शास्त्र की योग्यताएं हैं। इस से सरकार को उस के परामर्श से कार्य करना होता है।

चाय अवशेष को निकाल देने के संबंध में प्रवर समिति ने बहुत विचार किया था और उत्पादन अधिकारियों का परामर्श

भी लिया गया था। सब ऊंच नीच का विचार करने के पश्चात यह समझा गया इस का अपवर्जन इस की निविष्टि की अपेक्षा अधिक लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा यह स्पष्ट नहीं होगा। इस लिए यह विचार पूर्वक किया गया है। मुझे संतोष है कि इन शब्दों के अपवर्जन से प्रशासन में कठिनाई नहीं होगी।

पण्डित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिभाषा के संबंध में हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। हम वह परिभाषा नहीं रखना चाहते जो हमारे लिए स्पष्ट नहीं है। संभवतः मंत्री कल तक कोई स्पष्ट और ठीक परिभाषा जान सकें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : परिभाषा स्पष्ट है कल भी मैं यही कहूंगा। मैं ने किसी से ठीक परिभाषा को जानने के लिए नहीं जाना है। कृषि आयुक्त योग्य व्यक्ति हैं और मुझे उनपर निर्भर रहना होता है। यही शब्द अन्तर्राष्ट्रीय चाय सम्बंधी करार में दिए गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये ठीक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ में, पंक्तियां २५, २७, तथा २९में (Theasinensis) के लिए "थीसाईनैंसिज़" के लिए [Camellia Sinensis (L) O. Kuntze] "कामेलिया साईनैंसिज़ (एल०) ओ० कुन्टज़े" आदिष्ट किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यथा संशोधित खण्ड ३ विधेयक का भाग हो"

प्रस्ताव पारित हुआ।

यथा संशोधित खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री ए० एम० टामस : (एरनाकुलम) मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ की पंक्ति ४१ से ४३ तक तथा पृष्ठ ३ की पंक्ति १ से २२ तक के स्थान में निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(3) The Board shall consist of a Chairman nominated by the Central Government and the following members not exceeding forty,—

(a) five persons from Assam to be nominated by such bodies and in such manner as may be prescribed ;

(b) three persons from West Bengal to be nominated by such bodies and in such manner as may be prescribed;

(c) two persons from Madras to be nominated by such bodies and in such manner as may be prescribed ;

(d) two persons from Travancore-Cochin to be nominated by such bodies and in such manner as may be prescribed ;

(e) two persons from the House of the People to be elected by the mem ers of that House in such manner as may be prescribed;

(f) one person from the Council of States to be elected by the members of that House in such manner as may be prescribed ;

(g) one each, from each of the States of Assam, Tripura, West Bengal, Madras, Travancore-Cochin, Mysore, Uttar Pradesh and East Punjab to be nominated by the respective State Government;

(h) four officials to be nominated by the Central Government, and

(i) such other persons to be nominated by Central Government which in its opinion will represent labourers, manufacturers of tea, dealers including both exporters and internal traders of tea and consumers.

(4) Every nomination shall be notified in the official gazette; and the notification shall specify the terms, not exceeding three years for which the members shall hold office and the date from which such terms shall commence.

(5) When the term of office of a member expires or is about to expire by efflux of time, or when a member dies, resigns, is removed, ceases to reside in India, or becomes incapable of acting, the body of Government which nominated him may nominate a person to fill the vacancy which has arisen or is about to arise as the case may be.

[श्री ए० एम० टामस]

(6) If any body, or any Government other than the Central Government fails to make any nomination which it is entitled to make under sub-section (3) the Central Government may itself make the nomination and any person so nominated shall, for all the purposes of the Act, be deemed to have been nominated by the body or Government concerned."

["(३) बोर्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक प्रधान तथा निम्नलिखित सदस्य होंगें जिन की संख्या चालीस से अधिक नहीं होगी,--

(क) आसाम के पांच व्यक्ति जो कि प्रख्यापित निकायों द्वारा नियत विधि के अनुसार मनोनीत किये जायेंगे ;

(ख) पश्चिमी बंगाल के तीन व्यक्ति जो कि प्रख्यापित निकायों द्वारा नियत विधि के अनुसार मनोनीत किये जायेंगे ;

(ग) मद्रास के दो व्यक्ति जो कि प्रख्यापित निकायों द्वारा नियत विधि के अनुसार मनोनीत किये जायेंगे ;

(घ) त्रावनकोर-कोचीन के दो व्यक्ति जो कि प्रख्यापित निकायों द्वारा नियत विधि के अनुसार मनोनीत किये जायेंगे ;

(ङ) लोक सभा के दो व्यक्ति जो जो कि उस सदन के सदस्यों द्वारा प्रख्यापित विधि के अनुसार चुने जायेंगे ;

(च) राज्य परिषद् का एक व्यक्ति जो कि उस सदन के सदस्यों द्वारा प्रख्यापित विधि के अनुसार चुना जायेगा,

(छ) आसाम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब के राज्यों में से प्रत्येक का एक एक व्यक्ति जो कि उस राज्य की सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।

(ज) चार पदाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी; और

(झ) अन्य ऐसे व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी जो कि उस की सम्मति में श्रमिकों, चाय उत्पादकों, चाय के निर्यातकों तथा आन्तरिक व्यापारियों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(४) प्रत्येक नाम निर्देशन की अधिसूचना सरकारी गजट में दे दी जायेगी; और अधिसूचना में कार्यवधि निर्दिष्ट होगी जो कि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, और जितने समय के लिये कि वह सदस्य उस पद पर कार्य करेगा तथा उसका कार्यकाल जिस तिथि से आरम्भ होगा ।

(५) जब किसी सदस्य का कार्यकाल अवधि के समाप्त हो जाने से समाप्त हो जाये या समाप्त होने वाला हो, या जब कोई सदस्य मर जाये, त्याग पत्र दे दे, हटा दिया जाये, भारत में रहना बन्द कर दे, या कार्य करने में अशक्त हो जाये, तो वह निकाय या सरकार जिसने कि उसे मनोनीत किया हो उस हुई या होने वाली रिक्ति की पूर्ति के लिये, जैसी भी अवस्था हो, एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है ।

(६) यदि कोई निकाय या केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई सरकार कोई नाम निर्देशन न कर सके जो कि उसे उपधारा (३) के अधीन करने का अधिकार है, तो केन्द्रीय सरकार स्वयं वह नाम निर्देशन कर सकती है और इस प्रकार मनोनीत कोई भी व्यक्ति अधिनियम के समी प्रयोजनों के लिये सम्बद्ध निकाय या सरकार द्वारा मनोनीत समझा जायेगा ।"]

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ की पंक्ति १ में "who are" ("जो हैं") के पश्चात् "citizen of India and" ("भारत के नागरिक और") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ की पंक्ति ३ में "owners of" ("के स्वामी") के पश्चात् "Indian owned" ("भारतीय स्वामियों की") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें।

(२) पृष्ठ ३ की पंक्ति ३ में "gardens and" ("बागान और") के पश्चात् "Indian" ("भारतीय") शब्द निविष्ट कर दिया जाये।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ ३ की पंक्ति ३ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"provided that proportion of Indian owner to the European shall be 3:1"

("परन्तु शर्त यह है कि यूरोपियन और भारतीय स्वामियों में ३:१ का अनुपात होगा।")

श्री टी० के० चौधरी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ की पंक्ति ४ के स्थान में निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(b) workers employed in tea estates and gardens and organised under the four central trade union organisations, *viz.*, the All India Trade Union Congress, Indian National Trade Union Congress, Hind Mazdoor Sabha and the United Trade Union Congress."

["(ख) चाय बागानों और बागों में काम पर लगे हुए और चार केन्द्रीय मजदूर संघों अर्थात्, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा तथा संयुक्त मजदूर कांग्रेस के अन्तर्गत संगठित मजदूर।"]

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ की पंक्ति ४ में "gardens" ("बागानों") के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"including at least one representative each nominated by the four principal all-India Organisations of the working class, *viz.*, the All Indian Trade Union Congress, the Indian National Trade Union Congress, the Hind Mazdoor Sabha and the United Trade Union Congress;"

["जिसमें कि मजदूर वर्ग के चार प्रमुख अखिल भारतीय संघटनों, अर्थात्, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा तथा संयुक्त मजदूर कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि सम्मिलित हो।"]

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ की पंक्ति ४ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"including the labour and other employees whose number should be proportionate."

["श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों सहित जिन की संख्या समानुपतिक हो।"]

[श्री के० के० बसु]

(२) पृष्ठ ३ की पंक्ति ५ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and the labour working in the manufacturing process."

["और निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक ।"]

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ की पंक्ति ६ में "internal traders" ("देसी व्यापारियों") के पश्चात् "including small traders" ("छोटे छोटे व्यापारियों सहित") ये शब्द निविष्ट कर दिये जाये।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ की पंक्ति ६ में "tea" ("चाय") के पश्चात् "including small traders" ("छोटे छोटे व्यापारियों सहित") जोड़ दिया जाये।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ की पंक्ति १० के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"to be elected by the legislature of such state."

["उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा चुना जाये ।"]

(२) पृष्ठ ३ की पंक्ति १४ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाय :

"Provided that the number of representative of labour and emyloyee should be equal to the number of representative manufacturer, owners and dealers."

["परन्तु श्रमिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्माताओं, स्वामियों तथा दूकानदारों के प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर होनी चाहिये ।"]

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ की पंक्ति १९ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that—

(a) the number of persons appointed to represent owners of tea estates, gardens and growers of tea shall not exceed the number of persons appointed to represent persons employed in tea estates and gardens;

(b) adequate representation is given to owners of small-sized tea estates and gardens."

["परन्तु शर्त यह है कि :

(क) चाय बागानों तथा बागों के स्वामियों और चाय उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों की संख्या चाय बागानों और बागों में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ख) छोटे छोटे चाय बागानों और बागों के स्वामियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब संशोधन चर्चा के लिये सदन के समक्ष रखे जाते

हैं। जिस किसी माननीय सदस्य ने अभी तक भाषण नहीं दिया है वह भाषण दे सकता है।

श्री ए० एम० टामस : मेरे संशोधन का मुख्य आशय यह है कि बोर्ड का गठन प्रादेशिक आधार पर किया जाना चाहिये, अर्थात् नाम निर्देशन का अधिकार विभिन्न क्षेत्रों में बागान लगाने के उद्योग में निरत विभिन्न संघटनों को दिया जाना चाहिये। मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि क्यों कि ये चाय बागान कुछ थोड़े से राज्यों में हैं अतः उन राज्य सरकारों को भी जिन में कि ये बागान हैं, नामनिर्देशन का अधिकार मिलना चाहिये। मैं इसमें इतना और जोड़ देता कि कुछ मज़दूर संघटनों को कतिपय प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाना चाहिये।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष पद पर आसीन]

किन्तु श्रमिक संघटनों को इस श्रेणी में सम्मिलित करना वास्तव में कठिन था। चाय बागानों के स्वामियों का संघटन तो बन गया है। किन्तु श्रमिकों का कोई एक संघटन नहीं है। इन बागानों में कई मजदूर संघटन हैं और उन में परस्पर बात-बात पर सिर-फुटौवल होती रहती है। अतः मुझे श्रमिक संघों को बोर्ड के नाम निर्देशन का अधिकार दिये जाने वालों की श्रेणी में सम्मिलित करने में कठिनाई हुई। इस विधेयक के इतिहास से यह पता लगता है कि इसकी ओर, विशेषतया बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि इसे दिया जाना चाहिये था। इस विधेयक में बोर्ड के गठन का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया है। मुझे इस बात की चिन्ता है कि इस विधेयक के सिद्धान्त को अन्य वस्तुओं के बोर्डों या समितियों पर भी लागू न कर दिया जाये और मैं समझता हूं कि इस नीति का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। मेरे मतानुसार माननीय मंत्री ने इस विधेयक को या प्रवर समिति के प्रतिवेदन को सदन के विचारार्थ पुरः स्थापित करते समय वर्तमान अधिनियम की पद्धति को छोड़ने के संगत और विश्वसनीय कारण नहीं बताये।

मेरा प्रस्तुत संशोधन बोर्ड के गठन में परिवर्तन के सम्बन्ध में है और कुछ अन्य संशोधन जिनकी मैंने पूर्व सूचना दी है बोर्ड के कृत्यों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में है। मेरा संशोधन न्याय संगत है। माननीय मंत्री ने कहा है कि चाय बोर्ड हाल के संकट का सामना नहीं कर सका। सरकार भी तो अनुभव के बाद अपने उपायों को बदलती रही है। तर्क के लिये यदि यह मान भी लिया जाये कि बोर्ड तथा चाय उद्योगपति स्थिति का ठीक प्रकार सामना नहीं कर सके, तो क्या उस का प्रतिकार यह है ? क्या इसका प्रतिकार यह है कि उसे एक सरकारी अभिकरण मात्र बना दिया जाये और वह इस निकाय की सम्मति लिये बिना सरकार के निदेशों का पालन करे ? मेरा मत इससे भिन्न है। केन्द्रीय सरकार को उचित मामलों में हस्तक्षेप करने के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। खण्ड १० के उपखण्ड (३) के अनुसार बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों तथा इस धारा के अधीन कार्य करेगा। खण्ड ११ में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर बोर्ड को किसी भी समय भंग कर सकती है। उस पर इस विषय में लोक सभा की पूर्व स्वीकृति लेने का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। खण्ड ३१ में लिखा है कि बोर्ड के सब कार्यों तथा कार्यवाहियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण होगा जो कि बोर्ड के किसी भी कार्य को रद्द, स्थगित या संशोधित कर सकेगी। इस के आगे यह भी लिखा है कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के कुशलतापूर्वक प्रशासन के लिये समय समय पर

[श्री ए० एम० टामस]

दिये जाने वाले निदेशों का पालन करेगा। इसके आगे खण्ड ३२ में लिखा है कि धारा १४, धारा १५ या धारा २० के अन्तर्गत बोर्ड के किसी आदेश द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति उस आदेश की तिथि से साठ दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार से पुनर्विचार के लिये प्रार्थना कर सकता है और केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के आदेश को रद्द, संशोधित या स्थगित कर सकती है। क्या इन सब उपबन्धों के होते हुए केन्द्रीय सरकार के लिये इस बोर्ड के सदस्यों के नाम निर्देशन का अधिकार अपने हाथ में लेने की कोई आवश्यकता है ? इससे तो बोर्ड में गैर सरकारी प्रतिनिधियों की सम्मति प्राप्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मेरा संशोधन वर्तमान अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार है। उदाहरणार्थ मेरे संशोधन के अनुसार संसद् के प्रतिनिधि दोनों सदनों द्वारा चुने जाने हैं।

एक और आधार के कारण भी मैं सदन को अपना संशोधन स्वीकार करने के लिये प्रेरित कर रहा हूं। और वह यह है कि चाय उद्योग एक संगठित उद्योग है और इसके संघटनों को उचित प्रोत्साहन मिलने से अन्य कृषि उद्योगों का भी इसी प्रकार के संघटन बनाने के लिये उत्साह बढ़ेगा और इससे केन्द्रीय सरकार को विभिन्न उद्योगों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मैंने अपने संशोधन में यह भी कहा है कि बोर्ड की अवधि निश्चित होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अवधि निश्चित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को देने की अपेक्षा संसद् को देना अधिक अच्छा है। नाम निर्देशन का अधिकार तो पहिले ही राज्य सरकारों को दिया जा चुका है। इससे बोर्ड के प्रतिनिधि स्वरूप में वृद्धि होगी। मैं समझता हूं कि मैंने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया है उन्हें उसी भावना से ग्रहण किया जायेगा जिससे कि वे प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक मूल संशोधन है। अन्य सब संशोधनों में खण्ड के सिद्धान्त को स्वीकार करके केवल शाब्दिक परिवर्तन सुझाये गये हैं। मेरा यह सुझाव है कि इस संशोधन के अलग से मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाय तथा अन्य संशोधनों को बाद में लिया जा सकता है। जहां तक बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है इस संशोधन से सारा चित्र एक दम बदल जाता है। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया, तो अन्य संशोधनों की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि यह गिर गया, तो अन्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझूं कि आप यह चाहते हैं कि इस संशोधन को सबसे पहिले लिया जाय और इस पर मत भी लिया जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्।

सभापति महोदय : कोई बात नहीं। क्या कोई इस पर बोलना चाहता है ?

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : श्रीमान्, मैं चाहता हूं। केन्द्रीय चाय बोर्ड के द्वारा ही मुख्यतया चाय अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित किया जायगा, अतः यह बोर्ड ऐसा होना चाहिय जो सरकार की नीति को कार्यान्वित करे। अनुभव से यह पता लगा है कि उद्योग तथा सरकार के बीच का निकाय ऐसा होना चाहिये जो कि सरकार से सहयोग करे और उसकी नीतियों को क्रियान्वित करे।

हम एक ऐसी अवस्था तक पहुंच चुके हैं जब कि न केवल चाय उद्योग पर अपितु सामान्यतया सभी उद्योगों पर सरकार का नियन्त्रण बढ़ गया है। अतः चाय उद्योग

इसका अपवाद नहीं बन सकता। परन्तु इसके साथ ही इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि बोर्ड में सभी हितों के प्रतिनिधि हों और मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस बात के लिये उपबन्ध कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि इस उद्योग के रहस्यों ने वाणिज्य मंत्रालय को भी पूरे परेशान कर दिया है।

इस उद्योग के ऊपर स्वार्थी लोगों का नियंत्रण अधिक है, इसीलिये विदेशियों के प्रभाव भी काफी हैं। सरकार ने जांच कराने के लिए एक समिति बनाई, परन्तु उसे सम्पूर्ण जांच करने के लिए आवश्यक सहूलियतें नहीं दी गईं। मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि चाय-मण्डली के कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, केवल आकस्मिक अवसरों को छोड़ कर। और इस आश्वासन को हमें मानना चाहिए। एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दक्षिणी भाग में छोटी खेतियों वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास अपनी फैक्टरियां आदि नहीं। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इन को खाद आदि के लिए अधिक खर्च आता है। केन्द्रीय चाय मण्डली में इनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इनको विस्तार योजना से छोड़ दिया जाय। दक्षिणी भारत के यूनाइटिड प्लांटर्ज़ असोसियेशन न केन्द्रीय चाय-मण्डली की स्थापना का विरोध इस कारण किया है कि यह जनतन्त्रात्मक पद्धति नहीं है कि सरकार बोने वालों के प्रतिनिधि नियुक्त करे। मंत्री महोदय ने इस पर प्रकाश डाल दिया है।

विधेयक उद्योग का विस्तार चाहता है। परन्तु इसकी नुकता चीनी अधिक हो रही है। वास्तविक आधार नियोजक नियोजित व्यवहार, आन्तरिक बाजार का विकास, विक्रय की उन्नति, अच्छी चाय की उन्नति हैं। इन में से किसी के लिए भी उद्योग ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, दूसरी ओर उनकी शिकायत है कि इन कार्यों को करने के लिए उनकी सलाह नहीं ली गई।

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग वाले देश हित में इसे बढ़ाना नहीं चाहते। वे पहले रक्षा पद्धति के कारण इस के आदी हो गए हैं। १९३७ में जब श्री वी० वी० गिरि तत्काल मद्रास के श्रम मंत्री चाय के खेतों को देखने गये, तो कलक्टर ने कहा कि उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। अब उनकी स्वतन्त्रता एक प्रकार से छीनी जा रही है, अतः वे घबराये हुए हैं। सरकार की यह इच्छा नहीं है कि उनके खेत छीन लिये जाएं, और न ही हमें उनके लाभों से द्वेष है। परन्तु मैं बोने वालों से अपील करूंगा कि वे देश हित के लिये विशाल हृदय धारण करें। परन्तु मैं कहूंगा कि मजदूर भी नुकसान न उठायें और कारोबार चलता रहे तथा बढ़ता रहे। भूतकाल में उनको रियायत दी गई, अतः ८० प्रतिशत के लगभग योरोपियन लोग इसे नहीं चाहते। उद्योग निश्चय ही चाय के उपभोग में और योग्यता में वृद्धि करेगा। इन खेतों के प्रबन्ध के लिये भारतीयों को प्रशिक्षित न करने में बड़ी गलती की गई है।

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य को संशोधन पर बोलने के लिए कह सकता हूं ?

श्री एन० एम० लिंगम् : जी हां।

सभापति महोदय : अब साधारण विवाद पूरा हो चुका।

श्री नम्बियार : चाय भी परोसी जा रही है।

श्री एन० एम० लिंगम् : जब उद्योग भारत में लाभ उठा रहा था, यह दक्षिणी

[श्री एन० एम० लिंगम्]

अफरीका, कीनिया और दूसरे स्थानों पर चाय के उद्योग को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य महोदय को संशोधन पर बोलने के लिये कहा है।

श्री एन० एम० लिंगम् : अभी भी, जबकि उन्होंने भारतीयों को प्रशिक्षित करने की परवाह नहीं की, अनुभवी भारतीय कर्मचारी हैं, जो खेतों का प्रबन्ध कर सकते हैं, परन्तु उनको तरक्की नहीं दी जाती। राष्ट्र हित के लिए सरकार एक मण्डल स्थापित करे। अतः मैं श्री ए० एम० टामस के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री बर्मन (उत्तर-बंगाल-रक्षित अनुसूचित जातियां) : श्री टामस के संशोधन में एक आधार भूत बात है कि क्या मण्डल केवल एक परामर्शदाता होगा, अथवा अपनी स्वतन्त्र शक्ति से कार्य करेगा। सरकार को ९९ प्रतिशत मामलों में इसके परामर्श को मानना चाहिए तथा उद्योग के लोगों में से पूछे गये व्यक्तियों में से नामांकित किये गये व्यक्ति मण्डल बनाए जिसमें सरकार का विश्वास है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व तथा सरकार का विश्वास प्राप्त कर, अशुद्ध प्रतिनिधित्व को रोका जा सकता है। सरकार ऐसा मण्डल अवश्य बनाये।

सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। कारण मन्दी के समय छोटी खेती वालों को हानि होती है और सरमायेदार टिक सकते हैं। छोटे लोगों के हित के वित्त तथा अनुपात से बांटे गये हिस्से के लिए सरकार का हाथ आवश्यक है। मण्डल ने ३०० एकड़ से अधिक के खेत को गैर सरकारी सम्पत्ति बनने पर रोक लगाई है। उद्योग को सरकार से सहायता की आवश्यकता भी है और विदेशी व्यापार से रक्षण भी प्राप्त करना है। जब सरकार ने इतने आभार अपने ऊपर लिये हैं तो इसके पास भी भारत की आर्थिक स्थिति में इस उद्योग को भाग देने तथा विदेशी अर्थ में भी, योग्य शक्ति होनी चाहिए।

इस कारण सरकार सरकार को एक मण्डल स्थापित करना चाहिए, जिस में उद्योग के नामांकित व्यक्तियों में लोग चुने जायं। तो मैं समझता हूं कि विधेयक के उपबंध ठीक हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उचित असोसियेशन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाना चाहिए तथा संसद् के सदस्य भी लिये जायें और राज्यों से भी प्रतिनिधि लिये जाकर मण्डल स्थापित करना चाहिए। मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त होना चाहिए।

श्री वैंकटारमन (तंजोर) : उनका उगाने वालों के साथ बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियम सब सदस्यों को दिये जाएंगे। उनके विचार भी सुने जायेंगे। सरकार सीधी प्रतिनिधि नहीं ले सकती, इस में कठिनाइयां हैं। भारत के नागरिक न होने वालों के पास भी बाग हैं उनको भी नहीं निकाला जा सकता। इन सब का विधेयक में लाना कठिन है। श्रेणियां तथा उपश्रेणियां निश्चित करके प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जायगा। यदि श्री थौमस का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं विधेयक को वापिस ले लूंगा।

श्री टामस : मेरा मतलब था कि न्याय हो रहा है इतना ही काफी नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष दिखलाई दे कि न्याय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को दूसरी बार बोलने का समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री के इस आश्वासन को कि नियम बनाने में इन सब बातों का ध्यान रखा जायगा, समझते हुए, मैं सदन से अपना संशोधन वापिस लेने की प्रार्थना करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देता है ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिया गया ।

श्री पुन्नूस : कई संशोधन पेश किये गये हैं, अर्थात् भारतीयों और अभारतीयों का अनुपात ३:१ हो, दूसरा है कि श्रमिक और दूसरे कर्मचारियों को मिला कर जिनकी संख्या अनुपात से बराबर हो । तीसरा कि बनाने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले श्रमिकों को मिला कर आदि आदि । भाव यह है कि उद्योग में विदेशियों का नियंत्रण कम हो और मंडल यथासम्भव जनतन्त्रात्मक ढंग से कार्य करे । मैं विश्वास करता हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि इन सब बातों को वे ध्यान में रखेंगे।

परन्तु मज़दूरों के प्रतिनिधित्व के बारे में ज़ोर दूंगा ।

श्री ए० एम० टामस : मैं मज़दूरों के प्रति सद्भावना से बोला था ।

श्री पुन्नूस : भावना दूसरे प्रकार से थी । कहा था कि मज़दूरों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है । जब तक यह सरकार है, तब तक औद्योगिकों को डरना नहीं चाहिए । परन्तु श्रमिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ आना पड़ेगा । काम करने वाली श्रेणी में असंगठन है । यदि सरकार का ऐसा इरादा है तो यह अच्छा अवसर है कि श्रमिकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका स्थान दे इस प्रकार श्रमिक अच्छी अवस्था में संगठित हो सकते हैं ।

राज्यों का प्रतिनिधित्व भी अत्यन्त आवश्यक है । जैसे संसद् के अध्यक्ष महोदय नामांकित करेंगे, उसी प्रकार राज्य की विधान सभाओं से भी नामांकित करने के लिए कहा जाना चाहिए । आसाम और ट्रावनकोर-कोचीन के बारे में विशेषतया, यह उद्योग अति महत्व का है । न केवल मण्डल के उत्तम प्रबन्ध के लिए, अपितु जनता की सहायता और सहयोग तथा हित प्राप्त करने के लिये राज्यों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है । अतः प्रत्येक राज्यों को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाना चाहिए । तथा प्रत्येक एक यूरोपीयन के पीछे तीन भारतीयों का मण्डल में होना आवश्यक है । इस प्रकार धीरे धीरे हम इस उद्योग पर नियन्त्रण कर सकते हैं । मैं माननीय मंत्री से जोरदार प्रार्थना करूंगा कि वे इन संशोधनों की ओर ध्यान दें, और इन्हें स्वीकार कर लें ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : श्री बसु के संशोधनों के समर्थन में मैं कहना चाहता हूं कि श्रमिकों के प्रतिनिधि बोर्ड में अवश्य होने चाहियें । इस उद्योग में श्रमिकों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है ।

हाल ही में आसाम में थोड़े से काल में ६,००० व्यक्तियों की छंटनी कर दी गई है । नीलगिरि और अनामलाई पहाड़ियों में श्रमिकों पर बहुत अत्याचार होते हैं जो कि मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं । कभी कभी श्रमिकों का अपहरण तक हो जाता है और कुछ पता नहीं लग पाता । यदि उनका एक प्रतिनिधि ही चाय बोर्ड में होगा तो उनकी तनिक सहायता हो सकेगी । जिन श्रमिक संघों को सरकार अभिज्ञात करती है उनके प्रतिनिधि ही लिये जा सकते हैं । श्रमिकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये। सरकार को इस पर सहा-

[श्री नम्बियार]

नुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम (गुन्टूर) : विदेशी स्वार्थों का हमारे देश में बोलबाला रहा है। अब स्वतन्त्र भारत की यह नीति होनी चाहिये कि केवल भारतीयों का ही हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय उद्योग पर नियन्त्रण रहे। मैं चाहता हूं कि बोर्ड का प्रत्येक सदस्य भारत का नागरिक हो और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदर मेनन : मेरे संशोधन को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि मेरा केवल यही सुझाव है कि बोर्ड में बागान के स्वामियों का प्रतिनिधित्व बागान के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व से अधिक नहीं होना चाहिये। दूसरी बात छोटे चाय बागान के स्वामियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये।

श्री टी०टी०कृष्णमाचारी : श्री दामोदर मेनन के संशोधन के विषय में स्थिति यह है कि यदि वे अनुपात पर अधिक ज़ोर न दें तो उन्हें पता लगेगा कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या ठीक ही होगी। उस प्रश्न पर हमारे मनमानी करने की बात नहीं है। मेरा विचार श्रमिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने का है और सब कुछ नियमों में रख दिया जायेगा। एक दो कम होने पर माननीय सदस्य को मेरे से कुछ नहीं कहना चाहिये।

हम प्रत्येक क्षेत्र में श्रम संघों की स्थिति पर विचार करके उचित प्रतिनिधित्व देंगे। कोई कठिनाई नहीं होगी और सभी संघों को स्थान मिल सकेगा क्योंकि किसी संघ का कहीं जोर है तो किसी संघ का अन्य क्षेत्र में जोर है।

मैं ऐसे किसी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें यूरोपीयों और भारतीयों का अनुपात निश्चित हो। ऐसा करना न्याय-पूर्ण तथा शिष्ट नहीं होगा। परन्तु जो सुझाव दिये गये हैं उनका मैं ध्यान रखूंगा और उन्हें नियमों में रख दूंगा। सदन में नियम पेश किये जायेंगे। तथा माननीय सदस्य उस समय कुछ कह सकेंगे। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे संशोधन पर आग्रह न करें।

श्री ए० वी० टामस : सदस्यों की पदावधि कितनी होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भवतः दो तीन वर्ष होगी। मैं इसे नियमों में रख दूंगा; अभी मैंने विनिश्चय नहीं किया है।

सभी संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिये गये।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

इसके पश्चात् सदन शनिवार, ९ मई १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

GIPD—HS—259 PSD—14-1-54—285